VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

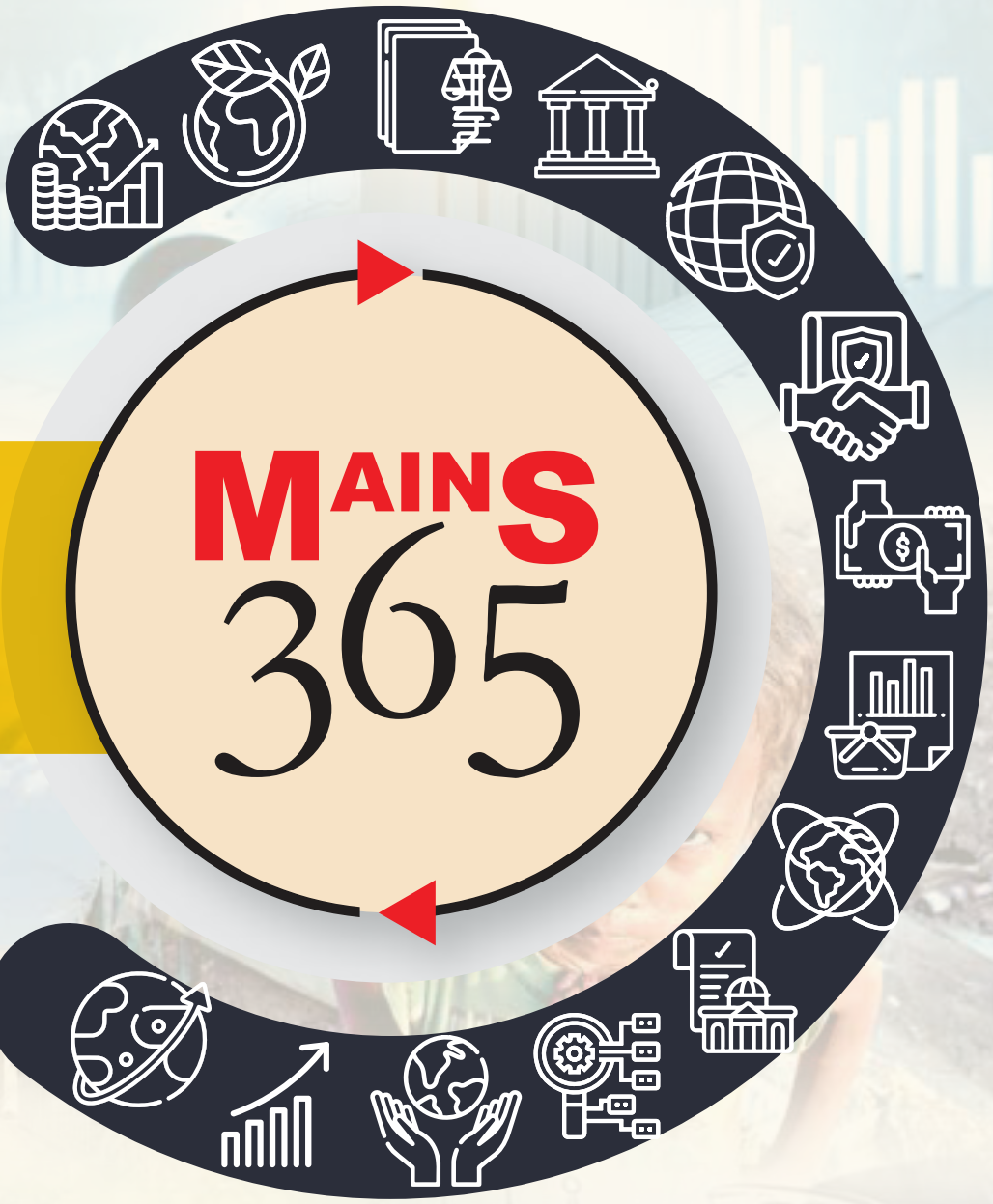

MAINS 365

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल 2025

जून और जुलाई 2025

8468022022, 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

ENGLISH MEDIUM
1 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
5 July | 5 PM

मुख्य परीक्षा
2025 के लिए 1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में

- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

137 AIR — अंकिता कांति

182 AIR — रवि राज

412 AIR — जितेंद्र कुमावत

438 AIR — ममता

448 AIR — सुख राम

483 AIR — ईश्वर लाल गुर्जर

509 AIR — अमित कुमार यादव

554 AIR — विमलोक तिवारी

564 AIR — गौरव छिम्वाल

618 AIR — राम निवास सियाग

622 AIR — आलोक रंजन

651 AIR — अनुराग रंजन वत्स

689 AIR — खेतदान चारण

718 AIR — रजनीश पटेल

731 AIR — तेशुकान्त

760 AIR — अश्वनी दुबे

795 AIR — कर्मवीर नरवाडिया

865 AIR — आनंद कुमार मीणा

873 AIR — सिद्धार्थ कुमार मीणा

890 AIR — सुषमा सागर

893 AIR — अरुण मालवीय

895 AIR — अजय कुमार

899 AIR — रितिक आर्य

911 AIR — अरुण कुमार

921 AIR — ममता जोगी

925 AIR — विजेंद्र कुमार मीणा

953 AIR — राजकेश मीणा

998 AIR — इकबाल अहमद

अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल (Updated Classroom Study Material)

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 3

1.1. संसदीय समितियां 3
1.2. भारत में राजनीतिक दलों का वित्त-पोषण 4
1.3. राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 5
1.4. व्यक्तित्व अधिकार 6
1.5. गवर्नेंस के लिए डेटा 7

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 9

2.1. सॉफ्ट पावर कूटनीति 9
2.2. डिजिटल उपनिवेशवाद 10
2.3. बहुपक्षीय विकास बैंक और ग्लोबल साउथ 11
2.4. आर्कटिक गवर्नेंस और ध्रुव क्षेत्र के संबंध में भारत की कूटनीति 12
2.5. नए समुद्री चोकपॉइंट्स और SLOC सुभेद्यताएं 14
2.6. भारत-भूमध्यसागरीय देश 15
2.7. भारत-जर्मनी संबंध 16
2.8. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 17
2.9. भारत-मालदीव संबंध 18
2.10. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय 19
2.11. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद 20

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 21

3.1. ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन 21
3.2. भारत में क्विक कॉमर्स 22
3.3. विमानन सुरक्षा 23
3.4. भारत में अवसरंचनाओं की विफलता 25
3.5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण 26
3.6. रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना 28
3.7. जीवन निर्वाह वेतन 29
3.8. फिनटेक क्षेत्रक 30
3.9. डिजिटल इंडिया मिशन 31
3.10. इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट्सी कोड (IBC), 2016 32
3.11. अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना 33
3.12. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण 34
3.13. विकास हेतु निवेश सुविधा समझौता 35
3.14. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड 36

4. पर्यावरण (Environment) 37

4.1. परिवहन क्षेत्रक का डीकार्बोनाइजेशन: एक नज़र में 37
4.2. भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 37
4.3. रासायनिक अपशिष्ट और प्रदूषण 38
4.4 सतत विकास 40
4.4.1 सतत विकास के लिए वित्त-पोषण 40
4.5. वाहन स्क्रैपिंग 42
4.6. सस्टेनेबल कूलिंग 43
4.7. क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग 44
4.8. वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) 46
4.9. महासागर संरक्षण 47
4.10. वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन 48
4.11. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का वित्त-पोषण 49
4.12. आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन 51
4.13. भीड़ संबंधी आपदा प्रबंधन 52
4.14. भारत में शहरी विकास और आपदा-प्रतिरोधकता 54
4.15. तटीय खतरे 56
4.16. सुनामी 57

5. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 59

5.1. लोगों को AI विकास के केंद्र में रखना 59
5.2. सांस्कृतिक विनियोग 60
5.3. विविधता, समानता और समावेशन 61
5.4. सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा 62
5.5. राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका 63
5.6. छात्रों द्वारा आत्महत्या 64
5.7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 65
5.8. STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित) में महिलाएं 66
5.9. ब्लू-ग्रे कॉलर नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 68
5.10. भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस 69
5.11. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 72

 © Vision IAS

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) __ 74
6.1. नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह __ 74
7. नीतिशास्त्र (Ethics) _____ 76
7.1. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के जीवन मूल्य ___ 76
7.2. एकात्म मानववाद _____ 76
7.3. आवारा कुत्तों के नियंत्रण में नैतिक पहलू _____ 78
7.4. घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर वैश्विक बहस को समझना _____ 80

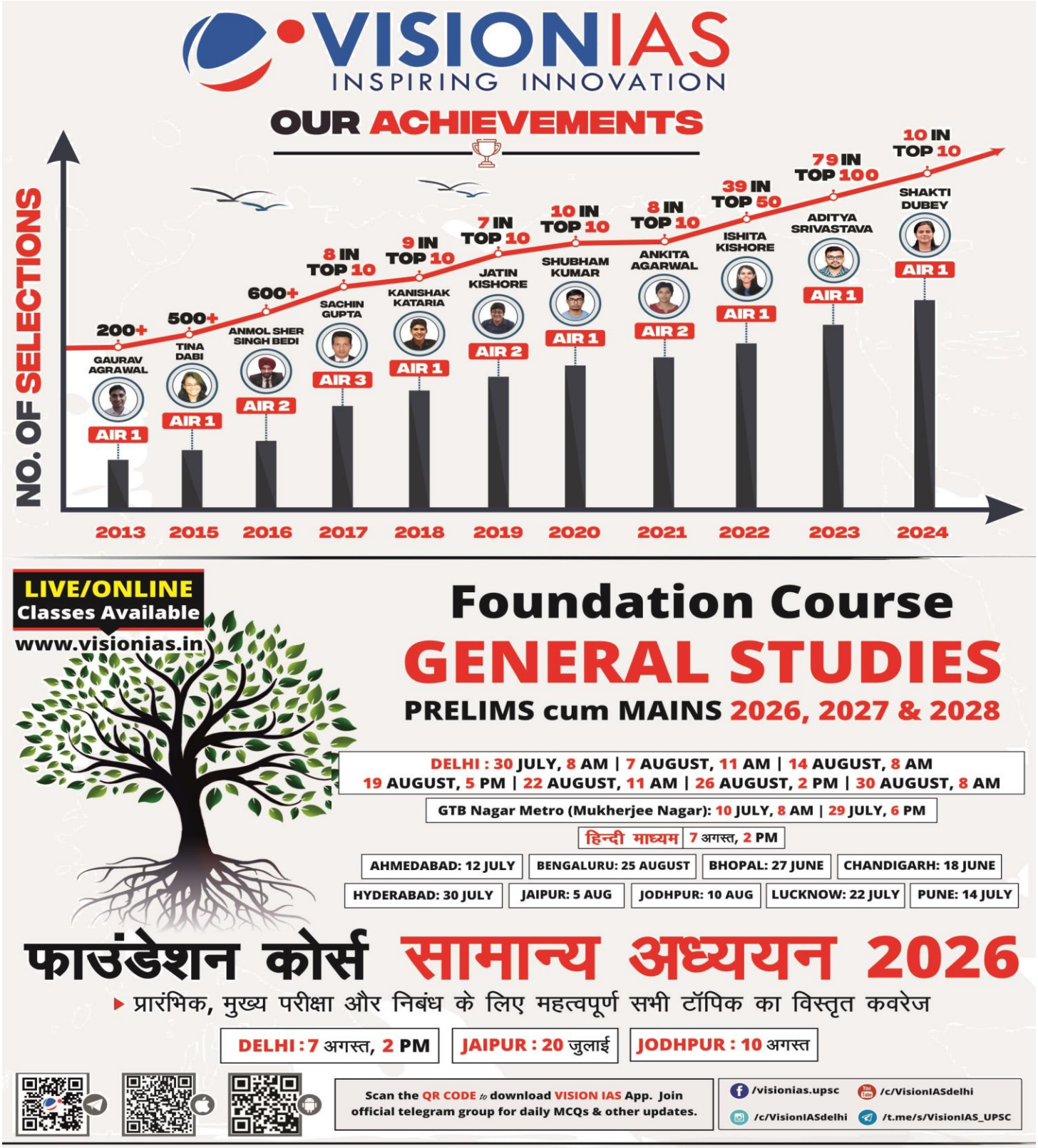

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 10 अगस्त

Lakshya

MAINS MENTORING PROGRAM 2025

30 Days Expert Intervention

A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims Examination

15 JULY 2025

- Highly experienced and qualified team of Mentors for continuous support and guidance
- A structured plan of revision for GS Prelims, CSAT, and Current Affairs
- Effective Utilization of learning resources, including PYQs, Quick Revision Modules (QRMs), and PT-365

Lakshya

PRELIMS & MAINS INTEGRATED MENTORING PROGRAM

Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Program 2026

(A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims and Mains Examination 2026)

VisionIAS introduces the Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Programme 2026, offering unified guidance for UPSC aspirants across both stages, ensuring comprehensive support and strategic preparation for success

2026 | 13 MONTHS | 31 JULY

Highlights of the Program

- Coverage of the entire UPSC Prelims and Mains Syllabus
- Development of Advanced answer writing skills
- Highly experienced and qualified team of senior mentors
- Special emphasis to Essay & Ethics

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय समितियां सरकार की विरोधी नहीं बल्कि **सहायक होती हैं और सुधार के साधन** के रूप में कार्य करती हैं। साथ ही, ये **रचनात्मक मार्गदर्शन** भी प्रदान करती हैं।

संसदीय समितियों के बारे में

- संसद समितियां वास्तव में संसद सदस्यों के ऐसे पैनल होते हैं, जो **सरकार के कार्यों की जांच-पड़ताल** करते हैं और **कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित** करने में मदद करते हैं।
- **संसदीय समितियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं:**
  - **स्थायी समितियां (Standing Committees):** ये **स्थाई और नियमित** समितियां होती हैं। इनमें **वित्तीय समितियां और केंद्र सरकार के 24 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां** शामिल हैं।
  - **तदर्थ समितियां (Ad hoc Committees):** ये **किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित** होती हैं और कार्य पूरा होने के बाद भंग हो जाती हैं। इनमें विधेयकों पर **प्रवर समिति (Select Committee) और संयुक्त समितियां** शामिल होती हैं।

संसदीय समितियों का महत्व

- **जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं:** कार्यपालिका के कार्यों पर विधायिका द्वारा निगरानी बनाए रखना आवश्यक है और समितियां ये कार्य बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। उदाहरण के तौर पर, **लोक लेखा समिति (PAC)[1] वित्तीय मामलों की निगरानी** करती है।
- **पारदर्शी और प्रभावी शासन सुनिश्चित करती है:** ये समितियां अच्छी तरह से शोध की गई सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं तथा **कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सेतु** का कार्य करती हैं।
- **विधायी दक्षता में सुधार करती हैं:** चूंकि, समितियां पूरे वर्ष बैठक करती हैं, इसलिए सदन में किसी विधेयक पर चर्चा के लिए समय की कमी की भरपाई कर देती हैं।
- **सर्वसम्मति बनाने में भूमिका निभाती हैं:** ये समितियां राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

संसदीय समितियों से जुड़ी चिंताएं

- इन समितियों का **कार्यकाल छोटा** होता है। इसके अलावा, **समय पर समितियों का गठन भी नहीं** होता और इनकी **बैठकें भी बंद दरवाजों के भीतर** होती हैं।
- समिति की बैठकों में **सांसदों की उपस्थिति कम** रहती है। उदाहरण के लिए: 17वीं लोक सभा में जुलाई 2023 तक **विषय संबंधी समितियों की बैठकों में औसत उपस्थिति केवल 47%** थी।
- समितियों को चर्चा के लिए भेजे जा रहे **विधेयकों की संख्या में कमी** आई है। उदाहरण के लिए- **17वीं लोक सभा में केवल 16% विधेयक** समितियों को भेजे गए थे, जबकि 14वीं लोक सभा में यह आंकड़ा **60%** था।
- **वेंकटचलैया आयोग (2000)** ने संसदीय समितियों में **संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी और विशेषज्ञ सलाहकारों की अनुपस्थिति** जैसी समस्याओं को रेखांकित किया था।

निष्कर्ष

संसदीय समितियां भारत में विधायी कार्य-प्रणाली के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। पारदर्शिता बढ़ा कर, विधेयकों के नियमित संदर्भों को अनिवार्य बना कर, उन्हें विशेषज्ञ सहायता से सशक्त बना कर और सांसदों की सक्रिय भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देकर समितियों के कामकाज को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस प्रकार, भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है।

[1] Public Accounts Committee

1.2. भारत में राजनीतिक दलों का वित्त-पोषण (Political Financing in India)

सुर्खियों में क्यों?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई राजनीतिक दलों ने 2024 के आम चुनावों के बाद अपना **व्यय ब्यौरा देने में देरी** की थी, वहीं कुछ दलों ने तो **ब्यौरा बिल्कुल भी नहीं सौंपा है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- राजनीतिक दलों को **आम चुनाव के 90 दिनों के भीतर और विधान-सभा चुनाव के 75 दिनों के भीतर चुनाव व्यय का विवरण भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को देना अनिवार्य** है।
- उपर्युक्त नियम की व्यापक स्तर पर अवहेलना से **राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न** उत्पन्न हुए हैं।

भारत में राजनीतिक दलों के वित्त-पोषण से जुड़ी चिंताएं

- **चुनाव प्रक्रिया की लागत का बढ़ना:** 2024 का लोक सभा चुनाव **दुनिया का सबसे महंगा चुनावी आयोजन** बन गया। इस चुनाव में **लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये का व्यय** हुआ था।
- **पारदर्शिता की कमी:** वर्ष 2004-05 से 2022-23 के बीच भारत में **6 प्रमुख राजनीतिक दलों को लगभग 60% राजनीतिक चंदे अज्ञात स्रोतों** से प्राप्त हुए थे।
- **राजनीतिक दलों की फंडिंग में असमानता:** उदाहरण के तौर पर, 2024 के आम चुनावों में **राष्ट्रीय दलों ने कुल राजनीतिक फंडिंग का 93% से अधिक हिस्सा** प्राप्त किया था। इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले **चंदे में असमानता** देखी गई और **चुनाव में सभी के लिए समान अवसर पर चिंताएं** बढ़ गईं।
- **उम्मीदवारों द्वारा अत्यधिक खर्च:** चुनाव आयोग के नियम के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार **लोक सभा चुनाव में अधिकतम 95 लाख रुपये और विधान सभा चुनाव में अधिकतम 40 लाख रुपये** खर्च कर सकता है। अक्सर **तीसरे पक्ष के प्रचारकों और आदर्श आचार संहिता में कमियों** की वजह से चुनाव में **वास्तविक खर्च कहीं अधिक** होते हैं।
- **चुनाव में सफलता में धन की बड़ी भूमिका है:** इस वजह से कम धनी उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- मध्य प्रदेश में **44% विजयी उम्मीदवारों की घोषित संपत्ति 5 करोड़ रुपये से अधिक** थी।

चुनावी फंडिंग में सुधार के लिए सुझाव

- विधि आयोग ने **राजनीतिक दलों के लिए चुनावी व्यय की सीमा** तय करने की सिफारिश की है।
- **इंद्रजीत गुप्ता समिति** (1998) ने सभी दलों को चुनाव लड़ने के लिए **सरकार से फंडिंग देने की सिफारिश** की है, ताकि **सभी को समान आर्थिक अवसर** मिल सकें।
- ADR की सिफारिश के अनुसार **सभी चुनावी व्यय चेक/ ड्राफ्ट/ RTGS के माध्यम से होने चाहिए,** ताकि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोका जा सके।
- **अन्य सुझाव:**
  - चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए **पर्यवेक्षकों की नियुक्ति** की जानी चाहिए।
  - **राजनीतिक चंदा देने वाले सभी व्यक्तियों/ संस्थाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा** की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए राजनीतिक वित्त-पोषण में सुधार आवश्यक है, जिसमें व्यय सीमा को प्रभावी ढंग से लागू करना, फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, राज्य द्वारा वित्त-पोषण की व्यवस्था करना और उल्लंघनों पर कठोर दंड निर्धारित करना शामिल है।

1.3. राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 (National Cooperation Policy 2025)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने **'राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025'** का अनावरण किया।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP), 2025 के बारे में

- **लक्ष्य:** आने वाली पीढ़ियों के लिए सहकारिता को देश के विकास का एक साधन बनाना।
- **मिशन:** पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक-आधारित, जवाबदेह, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सफल सहकारी इकाइयों को बढ़ावा देना।

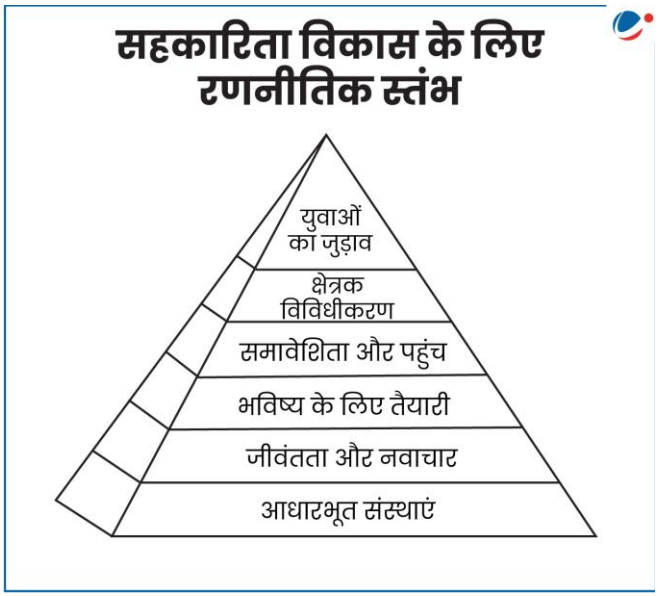

मुख्य उद्देश्य

- **प्रत्येक गांव में कम-से-कम एक सहकारिता इकाई** की स्थापना करना तथा **हर तहसील में पांच 'मॉडल सहकारी गांव'** का निर्माण करना।
- **2034 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सहकारिता क्षेत्रक का योगदान तीन गुना तक बढ़ाना।**
- सहकारी **समितियों की संख्या** में मौजूदा 8.3 लाख से **30% की वृद्धि** करना।
- **पर्यटन, बीमा, टैक्सी सेवाएं, हरित ऊर्जा** जैसे नए क्षेत्रकों में सहकारिता का विस्तार करना।
- नीति को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए **हर 10 साल में कानूनी सुधार** करना।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का उद्देश्य भारत के सहकारी क्षेत्रक का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। इससे यह अधिक पेशेवर, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हो सकेगा। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और क्षेत्रीय विविधीकरण के साथ, यह सहकारी समितियों को **जमीनी स्तर पर विकास** के प्रमुख प्रेरक के रूप में देखता है।

नोट: *सहकारिता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, 2025 Mains 365 राजव्यवस्था डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 10.1. देखें।*

1.4. व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले के माध्यम से **सद्गुरु जग्गी वासुदेव** के व्यक्तित्व अधिकारों को **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के जरिए वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स द्वारा दुरुपयोग से सुरक्षित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस दौरान हाईकोर्ट ने AI टूल्स के दुरुपयोग से किसी व्यक्ति की **आवाज और चेहरे के हाव-भाव की हूबहू नकल करने वाले डीपफेक** पर चिंता जताई। इन टूल्स का किसी **व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकारों का हनन** करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
  - इससे न केवल **किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता को खतरा** होता है, बल्कि सार्वजनिक हस्तियों के तो **आर्थिक हितों पर भी असर** पड़ता है।

व्यक्तित्व अधिकारों के बारे में

- व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे **नाम, छवि, आवाज़, शक्ल-सूरत, और विशिष्ट हाव-भाव या लक्षणों** के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के अधिकार होते हैं।
  - **भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं** किया गया है।
- **व्यक्तित्व अधिकारों के घटक:**
  - **पब्लिसिटी का अधिकार (Right of Publicity):** यह किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है।
    - यह अधिकार **ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957** जैसे कानूनों द्वारा आंशिक व अप्रत्यक्ष रूप से शासित होता है।
  - **निजता का अधिकार (Right to Privacy):** इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है।
    - निजता का अधिकार मोटे तौर पर **संविधान के अनुच्छेद 21 और न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) मामले (2017) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले** के तहत शासित होता है।
- **भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार:** भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है।
  - **प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम[2], 1950** इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों (जैसे महात्मा गांधी, प्रधान मंत्री आदि) के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है।
  - **दीपा जयकुमार बनाम ए. एल. विजय मामला (2019):** मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही उसके व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिष्ठा या निजता भी समाप्त हो जाते हैं।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **ICC डेवलपमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम अरवी एंटरप्राइजेज, 2003 (दिल्ली हाईकोर्ट):** अनुच्छेद 19 और 21 के तहत व्यक्तित्व अधिकारों का संरक्षण किया गया।
- **अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला (2011):** दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी।
- **रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस (मद्रास हाईकोर्ट, 2015):** न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी सेलिब्रिटी के नाम, छवि या शैली का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना उसके **व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन** है।

भारत में व्यक्तित्व अधिकारों को लागू करने में चुनौतियां

- 'व्यक्तित्व' (Persona) की कोई **स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं** है।
- व्यक्तित्व अधिकारों के लिए **कोई समर्पित कानून नहीं** है।
- इन अधिकारों की **सुरक्षा बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों, अपकृत्य (Tort) और संवैधानिक कानून के तहत बिखरी** हुई है।
- बौद्धिक संपदा (IP) व्यवस्था के तहत अपर्याप्त सुरक्षा है, जैसे **कॉपीराइट कानून आवाज या समरूपता जैसे व्यक्तिगत गुणों को कवर नहीं** करता है।

[2] Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act

आगे की राह

- **नए कानून की आवश्यकता:** व्यक्तिगत गुणों को परिभाषित करना, सहमति को अनिवार्य करना, AI के उपयोग को विनियमित करना और दंड निर्धारित करना जरूरी है।
- **मजबूत विनियमन:** यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के साथ संरेखित करना; AI के दुरुपयोग की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)/ दूरसंचार विभाग (DoT) को सशक्त बनाना आदि आवश्यक है।
- **नैतिक AI (Ethical AI):** व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए AI डेवलपर्स हेतु दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

AI के युग में व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने और सम्मान, गोपनीयता एवं डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक समर्पित कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।

1.5. गवर्नेंस के लिए डेटा (Data for Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **"इंडियाज़ डेटा इम्पेरेटिव: द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी"** रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में डिजिटल गवर्नेंस में बेहतर डेटा-गुणवत्ता सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- पिछले दशक में **भारत 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)' के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा** है।
- जैसे-जैसे भारत अपनी डिजिटल विकास यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, उसे अब **केवल डेटा की संख्या बढ़ाने की बजाय डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना** चाहिए।
- गुणवत्ता वाले डेटा यानी डेटा क्वालिटी के छह मुख्य गुण हैं - **सटीकता (Accuracy), पूर्णता (Completeness), समयबद्धता (Timeliness), निरंतरता (Consistency), वैधता (Validity)** और **विशिष्टता (Uniqueness)**।
- **डेटा-गुणवत्ता स्कोरकार्ड:** डेटासेट की निगरानी और सुधार के लिए एक डेटा-गुणवत्ता स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अलावा, विभागों द्वारा अपने डेटा सिस्टम का आकलन और उन्नयन करने में मदद करने के लिए सात आयामों वाला एक **डेटा-क्वालिटी मैच्योरिटी फ्रेमवर्क** भी होना चाहिए।

गवर्नेंस के लिए गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता क्यों है?

- **डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना:** उच्च गुणवत्ता वाला डेटा UPI, आधार, आदि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के संचालन को प्रभावी बनाता है।
- **अपव्यय से बचना:** गलतियों या डुप्लीकेट एंट्री के कारण सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं के **बजट में हर साल 4 से 7% तक की वृद्धि** हो सकती है।
- **जनता का विश्वास बढ़ाना:** सटीक लक्ष्यीकरण और समय पर सेवा सुनिश्चित करता है, तथा अस्वीकृति से बचाता है।

गवर्नेंस के लिए गुणवत्ता वाले डेटा का लाभ उठाने के समक्ष व्याप्त चुनौतियां

- **दोषपूर्ण डेटा संग्रह करना: तेज गति से डेटा संग्रह को प्राथमिकता** दी जाती है। इस वजह से **80% सटीकता को भी "अच्छा डेटा"** मान लिया जाता है।
- **अंतर-संचालन क्षमता का अभाव:** ऐसा मंत्रालयों एवं विभागों में डेटा भंडारण और पुनर्प्राप्ति के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल्स के अभाव के कारण है।

- **बिखरा हुआ भंडारण:** आधुनिक और पुरानी प्रणालियों का मिश्रण है, जिनके मानक एक समान नहीं हैं।
- **समन्वय का अभाव:** विभाग अलग-अलग प्रारूपों और अपडेशन चक्रों का उपयोग करते हैं।
- **खराब रखरखाव:** पुराने रिकॉर्ड नहीं हटाए जाते, जिससे सिस्टम धीमा हो जाता है और डेटा लीक होने का खतरा रहता है।

निष्कर्ष

प्रभावी डिजिटल गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए, भारत को डेटा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जैसे- रियल टाइम ऑडिट को संस्थागत बनाना; समान मानकों को लागू करना; अंतर-संचालन को बढ़ाना; तथा समावेशी व जवाबदेह सेवा वितरण के लिए संस्थानों में डेटा जिम्मेदारी विकसित करना।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. सॉफ्ट पावर कूटनीति (Soft Power Diplomacy)

सॉफ्ट पावर कूटनीति

सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति क्या है?

सॉफ्ट पावर वह क्षमता है जिससे किसी पर **बिना दबाव डाले** हुए आकर्षण और अपील के माध्यम से प्रभावित किया जाता है।

सांस्कृतिक कूटनीति का अर्थ है: "आपसी समझ को बढ़ाने के लिए राष्ट्रों और लोगों के बीच विचारों, जानकारियों, कला, भाषा, और संस्कृति के अन्य पहलुओं का आदान-प्रदान।"

- राम लीला आज भी त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित की जाती है, जो वहां बंधुआ मजदूर के रूप में गए थे।

स्मार्ट पावर किसी देश की वह क्षमता है जिसमें वह **हार्ड और सॉफ्ट पावर,** दोनों के तत्वों को इस तरह जोड़ता है कि वह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके।

- **भारत के विदेश मंत्रालय** के अनुसार, स्मार्ट पावर भारत की मौजूदा वैश्विक संबंध का सबसे सटीक प्रतिबिंब है।
- आज की **परस्पर निर्भरता और आपसी संबंधों** की दुनिया में, स्मार्ट पावर का मुख्य स्थान है।

सॉफ्ट पावर के प्रभावी उपयोग में बाधाएं

- समय पर और पर्याप्त **बजट आवंटन की कमी**
- सरकार और निजी क्षेत्र की कई संस्थाओं के बीच **बेहतर समन्वय और परामर्श** की कमी
- विदेश स्थित भारतीय मिशनों/ दूतावासों में **कुशल और समर्पित मानव संसाधन की कमी**
- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** (ICCR) की भूमिकाओं को लेकर अस्पष्टता, और **राष्ट्रीय नीति** का अभाव

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के साधन

- **योग:** संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की।
- **भारतीय सिनेमा:** दुनियाभर में भारतीय फिल्मों को पसंद किया जाता है।
- **भारत के मूल्य और सहिष्णुता:** इन्हें आमतौर पर सकारात्मक गुण के रूप में देखा जाता है।
- **भारतीय खान-पान:** भारत की सांस्कृतिक विविधता की वजह से खान-पान (व्यंजनों) में भी विविधता प्राप्त होती है।
- **पर्यटन:** लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने में सहायता करता है।

आगे की राह (संसदीय समिति की सिफारिशें)

- **विशिष्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना:** इसमें भारत के सॉफ्ट पावर टूलबॉक्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और इसे विदेशों में कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका विवरण हो।
- **ICCR का पुनर्गठन:** इसके बजटीय आवंटन को कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए।
- **समन्वय समिति का गठन:** विदेश मंत्रालय द्वारा ICCR और अन्य मंत्रालयों (जैसे संस्कृति मंत्रालय) के बीच समन्वय का कार्य करेगी।
- **प्रवासी भारतीयों से संपर्क:** प्रवासी भारतीयों के साथ सक्रिय रूप से संवाद स्थापित करने हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **धार्मिक और चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान:** इस क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता विकसित करके बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति संस्कृति, लोकतंत्र, योग, प्रवासी समुदाय और विकास साझेदारी पर आधारित है। यह कूटनीति विश्व के बीच सद्भाव को बढ़ाती है, विश्वास का निर्माण करती है और भारत की प्राचीन सभ्यता के साथ आधुनिक शक्ति के रूप में इसकी सकारात्मक छवि भी प्रस्तुत करती है। यह हार्ड पावर के पूरक की भूमिका निभाती हुई संतुलित विदेश नीति सुनिश्चित करती है।

एथिक्स केस स्टडीज मॉड्यूल
प्रवेश प्रारंभ
Available in English & हिन्दी

2.2. डिजिटल उपनिवेशवाद (Digital Colonialism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उपराष्ट्रपति ने यह चेतावनी दी कि **आज राष्ट्र एक नए प्रकार के औपनिवेशीकरण का सामना कर रहे हैं।** यह औपनिवेशीकरण **सेनाओं द्वारा नहीं, बल्कि एल्गोरिदम** द्वारा किया जा रहा है। इससे **डिजिटल उपनिवेशवाद** के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं।

डिजिटल उपनिवेशवाद क्या हैं?

- **परिभाषा:** यह एक ऐसी प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें **विकसित देश और उनकी बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके विकासशील देशों पर नियंत्रण** स्थापित करती हैं और उनसे लाभ कमाती हैं।
  - यह मुख्य रूप से **ग्लोबल साउथ के नव-उपनिवेशवाद से संबंधित** है, अर्थात् **ग्लोबल नॉर्थ किस प्रकार ग्लोबल साउथ के डिजिटल क्षेत्र पर नियंत्रण** रखता है।
- **उदाहरण:** संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां जैसे गूगल और अमेजन विकासशील देशों से डेटा एकत्र करती हैं तथा विविध उद्योगों को पुनः आकार देती हैं।

इससे संबंधित मुख्य चिंताएं कौन-सी हैं?

- **डिजिटल संप्रभुता का ह्रास:** विकसित देश और बड़ी टेक कंपनियां वैश्विक डिजिटल नियम तय करते हैं। उदाहरण के लिए-
  - माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा नायरा एनर्जी पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन में, रूसी स्वामित्व के कारण इस भारतीय कंपनी (जिसमें रूस की रोसनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है) की सेवाओं को ब्लॉक कर दिया है। हालांकि, भारतीय या अमेरिकी क़ानून में माइक्रोसॉफ्ट के लिए ऐसी कोई स्पष्ट कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
  - **2024 में WhatsApp ने भारत छोड़ने की धमकी दी, क्योंकि वह 2021 के आई.टी. नियमों में 'ट्रेसेबिलिटी क्लॉज़' का विरोध** कर रहा था।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** ये कंपनियां अक्सर विकासशील देशों के संवेदनशील डेटा तक अनियमित पहुंच प्राप्त कर लेती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
  - इसका एक उदाहरण **माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कथित बैकडोर** है, जिसे कथित तौर पर **अमेरिकी खुफिया एजेंसी** के लिए इंस्टॉल किया गया है।
- **बढ़ता आर्थिक अंतर:** विकासशील देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में और पिछड़ते जा रहे हैं।
  - 40% से अधिक प्रमुख क्लाउड और इंटरनेट डेटा सेंटर साइट्स **संयुक्त राज्य अमेरिका** में स्थित हैं। (सिनर्जी रिसर्च ग्रुप की 2021 की रिपोर्ट)।
- **सांस्कृतिक साम्राज्यवाद:** सोशल मीडिया और सर्च इंजन प्रायः विकसित देशों का वैश्विक दृष्टिकोण थोपते हैं तथा स्थानीय संस्कृतियों को हाशिए पर डाल देते हैं।
- **निगरानी पूंजीवाद:** कंपनियां बिना सहमति के उपयोगकर्ताओं का विशाल डेटा एकत्र करती हैं। इससे निजता और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।

डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के उपाय

- **डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करना: स्वदेशी डिजिटल प्रणालियों** के विकास पर फोकस करना चाहिए, जैसे- ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स), इंडिया स्टैक आदि।

- **डेटा स्थानीयकरण को लागू करना:** इस संबंध में भारत ने अग्रलिखित कदम उठाए हैं- **डेटा प्रसार पर ओसाका ट्रैक** पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना; **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act), 2023** को लागू करना आदि।
- **आयात पर निर्भरता कम करना:** रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए- **मेक इन इंडिया पहल, चिप्स टू स्टार्ट-अप ('C2S')** कार्यक्रम आदि।
- **नीतियों को अपडेट करना: संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास** की 2021 की रिपोर्ट में देशों को डेटा प्रवाह नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। इससे **आर्थिक संवृद्धि, जनहित और कनेक्टेड वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम** के बीच संतुलन बना रहेगा।

2.3. बहुपक्षीय विकास बैंक और ग्लोबल साउथ (Multilateral Development Banks and Global South)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने **1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs)** की नींव रखने में ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया।

बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) के बारे में

- **MDBs अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान** हैं, जो विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
- **ये बैंक कई सदस्य देशों के स्वामित्व** में होते हैं और अपने सदस्य देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं।
- प्रमुख MDBs में **विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक** आदि शामिल हैं।

बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में ग्लोबल साउथ का योगदान

- **ग्लोबल साउथ ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक** जैसे नए संस्थानों की स्थापना में सहयोग किया है।
- भारत और चीन जैसे ग्लोबल साउथ के देशों ने अपनी आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ **MDBs के लिए अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं में भी वृद्धि** की है।
- ग्लोबल साउथ ने MDBs में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध पक्षों को शामिल करने पर जोर देकर **समावेशिता और MDBs में सुधारों का समर्थन** किया है।

ग्लोबल साउथ के दृष्टिकोण से MDBs में सुधारों की आवश्यकता

- **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** IMF में 59.1% वोटिंग शेयर विश्व की आबादी के केवल 13.7% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के पास है।
- **ऋण राहत आवश्यकता:** लगभग 79 निम्न और मध्यम आय वाले देश ऋण संकट में हैं।
- **वैश्विक चुनौतियों का समाधान:** जलवायु परिवर्तन, महामारी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे मुद्दे ग्लोबल साउथ को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण सहायता की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **डिजिटल समावेशन और सतत ऊर्जा** जैसे क्षेत्रकों में ग्लोबल साउथ के अनुभवों से **नवाचारों के दो-तरफा आदान-प्रदान** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, ग्लोबल साउथ के लिए विकास संबंधी वित्त-पोषण की आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए।
- **व्यापक भागीदारी** को बढ़ावा देने, मध्यम आय वाले देशों को अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने और विकास संबंधी गतिविधियों के प्रभावों को बेहतर करने हेतु अधिक **प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल** अपनाया जाना चाहिए।
- **विश्वव्यापी गवर्नेंस संकेतक और नए B-रेडी इंडेक्स** जैसे वैश्विक सूचकांक तैयार करते समय साक्ष्य-आधारित एवं डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र के साथ सहयोग:** MDBs पारंपरिक रूप से सार्वजनिक वित्त-पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए विकास प्रभाव को बढ़ाने के लिए MDBs संसाधनों के साथ-साथ निजी पूंजी की भी आवश्यकता होती है।
- अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने, साझा समृद्धि को बढ़ावा देने और वैश्विक पब्लिक गुड्स में योगदान देने हेतु **MDBs के लिए त्रि-अधिदेश अपनाना**।
- **समग्र ऋण में वृद्धि:** 2030 तक MDBs के वार्षिक ऋण स्तर को तिगुना करके 390 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

MDB सुधार पर स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह (IEG) (भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित) ने अग्रलिखित सिफारिशें की हैं- वित्त-पोषण मॉडल का विस्तार और आधुनिकीकरण करना चाहिए; विकासशील देशों का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए तथा ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिनिधि MDBs हेतु निजी वित्त-पोषण में वृद्धि करनी चाहिए।

2.4. आर्कटिक गवर्नेंस और ध्रुव क्षेत्र के संबंध में भारत की कूटनीति (Arctic Governance and India's Polar Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्कटिक, जिसे पारंपरिक रूप से वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सहयोग का क्षेत्र माना जाता है, अब सैन्य एवं भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बनता जा रहा है।

भारत के लिए आर्कटिक का महत्व

- **भू-राजनीतिक और व्यापारिक गतिशीलता:** भू-राजनीतिक तनाव और जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक व्यापार में बदलाव आ रहा है।
  - **बर्फ के पिघलने के कारण आर्कटिक में नए व्यापार मार्ग (जैसे- उत्तरी समुद्री मार्ग) उभर** रहे हैं, जिससे यह भू-राजनीतिक लाभ का एक केंद्र बन गया है।
- **सैन्यीकरण:** आर्कटिक क्षेत्र के देश अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, पुराने अड्डों को फिर से खोल रहे हैं, पनडुब्बियां तैनात कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब का भारतीय हितों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **प्राकृतिक संसाधन:** आर्कटिक क्षेत्र में **तेल, गैस और खनिज** के विशाल भंडार हैं, जो ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत की रुचि को आकर्षित करते हैं।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान:** भारत आर्कटिक की जलवायु, वनस्पतियों एवं जीवों, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक समुद्र जलस्तर में वृद्धि का अध्ययन कर रहा है।
- **कूटनीति:** भारत **नॉर्डिक देशों में NB-8 और डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप** के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के लिए आर्कटिक देशों के साथ जुड़ रहा है।

आर्कटिक में भारत के समक्ष चुनौतियां

- **रणनीतिक स्थिति:** भारत का तटस्थ या गैर-राजनीतिक दृष्टिकोण अब अप्रासंगिक लग रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय अभिकर्ता अब सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहे हैं।
- **व्यापारिक निहितार्थ:** उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) की व्यावहारिकता व्यापार प्रवाह को उत्तर की ओर मोड़ सकती है। इससे हिंद महासागर के समुद्री मार्ग और भारत की कनेक्टिविटी की आकांक्षाएं प्रभावित हो सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक चिंताएं:** आर्कटिक में रूस-चीन का परस्पर समन्वय और हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय फोकस को जटिल बनाती है।
- **पर्यटन और रोमांच:** उदाहरण के लिए- साहसिक पर्यटन लगातार बढ़ रहा है।

आर्कटिक के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **आर्कटिक में भारत की भागीदारी**
  - भारत **1920 की स्वालबार्ड संधि** के माध्यम से आर्कटिक मामलों में शुरुआती भागीदार था।
  - यह उन कुछ विकासशील देशों में से एक है, जिसके पास **आर्कटिक में एक अनुसंधान बेस है,** जिसका नाम **हिमाद्री** है।
  - **2022** में जारी की गई **भारत की आर्कटिक नीति** को प्रभावी भागीदारी के लिए परिष्कृत करने की आवश्यकता है।
  - भारत **उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR)** की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जहाजों को चलाने के लिए अपनी जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है।
- **उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) और भारत की रणनीति**
  - NSR वस्तुओं के पारगमन समय और लागत को कम करके वैश्विक व्यापार को बदल सकता है।
  - भारत आर्कटिक की स्थितियों के अनुरूप जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए **$3 बिलियन का समुद्री विकास फंड** स्थापित कर रहा है।
  - 2023 में स्थापित **आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम** भारत की आर्कटिक वार्ता और नीति कार्यान्वयन को गति प्रदान करेगा।

- **अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और चुनौतियां**
  - भारत को आर्कटिक में **रूसी और पश्चिमी गुटों के बीच अपनी साझेदारी को संतुलित** करने की आवश्यकता है।
  - **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा** NSR बंदरगाहों तक पहुंचने का एक संभावित मार्ग है।
  - **चीन** की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं को प्रतिसंतुलित करने के लिए **जापान और दक्षिण कोरिया** जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठबंधन महत्वपूर्ण हैं।

अंटार्कटिका के प्रति भारत का दृष्टिकोण

अंटार्कटिका वैश्विक साझी विरासत (ग्लोबल कॉमन्स) जैसे वायुमंडल, खुला समुद्र और बाह्य अंतरिक्ष का एक हिस्सा है। इस संदर्भ में, भारत की पहलें इस प्रकार हैं:

- **पर्यटन पर चर्चा: कोच्चि** में आयोजित **46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग (ATCM)** में अंटार्कटिक पर्यटन पर पहली बार केंद्रित कार्य समूह की चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया गया।
- **अनुसंधान केंद्र: राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** भारत का प्रमुख संस्थान है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों और दक्षिणी महासागर में अनुसंधान का समन्वय करता है।
- **द्विपक्षीय सहयोग: भारत और चिली** जल्द ही जलवायु परिवर्तन, भू-विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान और नवाचार के क्षेत्रों में अंटार्कटिका के लिए संयुक्त अनुसंधान अभियान शुरू करेंगे।
- **अनुसंधान केंद्र:** अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र **मैत्री (1989), भारती (2012) और दक्षिण गंगोत्री (1983)** हैं।
- **भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022:** इस अधिनियम ने एक कानूनी ढांचा स्थापित किया है, जो भारत की गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करता है। साथ ही, **अंटार्कटिक संधि** प्रणाली के अनुसार पारिस्थितिकी और संरक्षण को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक कार्य एवं पर्यटन को शासित करता है।

आगे की राह

- **आर्कटिक संलग्नता को संस्थागत बनाना:** विज्ञान से परे, समर्पित डेस्क और एजेंसियों के बीच परामर्श के साथ आर्कटिक के मामलों को और मजबूत करना चाहिए।
- **समान विचारधारा वाले आर्कटिक देशों के साथ साझेदारी:** ध्रुवीय लॉजिस्टिक्स और समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसी दोहरे उपयोग वाली पहलों पर साझेदारी बढ़ानी चाहिए।
- **नए आर्कटिक गवर्नेंस मंचों में भूमिका:** भारत को अवसंरचना, पोत परिवहन विनियमन और नीली अर्थव्यवस्था पर नए आर्कटिक गवर्नेंस मंचों में एक भूमिका सुरक्षित करनी चाहिए।

निष्कर्ष

आर्कटिक में सिद्धांतों की बजाय शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके साथ सभी संलग्न देशों को रणनीतिक रूप से अनुकूलन करने की आवश्यकता है। भारत को आर्कटिक के राजनीतिक परिदृश्य को संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए, स्थानीय समुदायों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ना चाहिए और एक निष्कर्षण-केंद्रित मानसिकता से बचना चाहिए।

2.5. नए समुद्री चोकपॉइंट्स और SLOC सुभेद्यताएं (New Maritime Chokepoints & SLOC Vulnerabilities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह रिपोर्ट **यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट** (पूर्ववर्ती अंकटाड/ UNCTAD) ने जारी की है।

चोकपॉइंट्स के बारे में

- चोकपॉइंट एक **भौगोलिक विशेषता या मार्ग** होता है। इसमें **घाटी, जलडमरूमध्य** आदि शामिल हैं। ये संकीर्ण होते हैं और इनका रणनीतिक व सामरिक महत्त्व होता है।
- **भू-सामरिक महत्त्व**
  - **ये कनेक्टिविटी को सुगम बनाते हैं:** उदाहरण के लिए- **स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर** से जोड़ती है। यह **यूरोप और एशिया के बीच व्यापार** के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- **होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर** से जोड़ता है। यह **वैश्विक पेट्रोलियम परिवहन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **व्यवधानों के पीछे मुख्य कारण**
  - **जलवायु परिवर्तन के कारण निम्न जल स्तर:** उदाहरण के लिए- **पनामा नहर** का घटता जलस्तर। यह नहर **प्रशांत और अटलांटिक महासागरों** को जोड़ती है।
  - **भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष:** उदाहरण के लिए- **यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य** में जहाजों पर हमला किया था। यह जलडमरूमध्य **लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर** से जोड़ता है।
- **व्यवधानों के प्रभाव:**
  - आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव पड़ता है। इससे भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति की लागत में वृद्धि होती है।
  - लंबे मार्गों के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि होती है। **उदाहरण के लिए-** स्वेज नहर की बजाय **केप ऑफ गुड होप** (अफ्रीका का दक्षिणी छोर) मार्ग को अपनाना।

विश्व के अन्य प्रमुख चोकपॉइंट्स

- **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य:** यह **भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर** से जोड़ता है।
- **मलक्का जलडमरूमध्य:** यह **हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर** से जोड़ता है।
- **तुर्की जलडमरूमध्य (बोस्पोरस और डारडेनेल्स):** यह **काला सागर को भूमध्य सागर** से जोड़ता है।

निष्कर्ष

सागर (SAGAR), महासागर (MAHASAGAR), नौसेना का आधुनिकीकरण, चाबहार जैसे बंदरगाहों के साथ साझेदारी, और IOR में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैश्विक चोक पॉइंट्स एवं समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करने की भारत की पहलें समुद्री सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता तथा एक स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के उसके संकल्प को दर्शाती हैं।

2.6. भारत-भूमध्यसागरीय देश (India-Mediterranean Countries)

भारत-भूमध्यसागरीय देश

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने साइप्रस और ग्रीस जैसे कई भूमध्यसागरीय देशों की यात्रा की।

- भूमध्यसागरीय क्षेत्र भूमध्य सागर के आस-पास स्थित देशों को शामिल करने वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है।
- **प्रमुख देश:** दक्षिणी यूरोप के देश जैसे- स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, ग्रीस, माल्टा, साइप्रस आदि; उत्तरी अफ्रीका के देश जैसे- मिस्र, लीबिया, आदि और पश्चिम एशिया के कुछ देश जैसे- तुर्की, सीरिया, इजरायल, आदि।

भारत के लिए भूमध्यसागरीय देशों का महत्व

भू-रणनीतिक अवस्थिति: ये देश यूरोप और अफ्रीका तक भारत की पहुंच को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

एनर्जी हब: ग्रीस, लीबिया आदि में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार क्षमता मौजूद है।

यूरोपीय बाजार तक पहुंच: यह क्षेत्र भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (ग्रीस का पिरियस बंदरगाह), इजरायल आदि के लिए महत्वपूर्ण है।

भू-राजनीतिक: उभरते तुर्की-पाकिस्तान-अजरबैजान सैन्य धुरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और भूमध्य सागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव प्रतिसंतुलित कर सकता है। स्पेन के साथ पैसेज अभ्यास (PASSEX)-का आयोजन।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन: उदाहरण के लिए- परमाणु आपूर्ति समूह (NSG) में भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए प्रयास में समर्थन मिल सकता है।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध: भूमध्यसागरीय देशों के साथ भारत का व्यापार प्रतिवर्ष लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहता है।

भारत की चिंताएं

द्विपक्षीय संबंधों का अभाव: चार दशकों में उच्च-स्तरीय संपर्क नहीं बन पाने के कारण मजबूत रणनीतिक संबंधों का अभाव रहा है। उदाहरण के लिए, स्पेन, लीबिया, आदि।

चीन का बढ़ता प्रभाव: इस क्षेत्र के देश प्रमुख औद्योगिक इनपुट के आयात के लिए चीन पर निर्भर हैं, इस क्षेत्र के अधिकतर देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल हैं, हालांकि इटली इस पहल से बाहर हो गया है।

कम व्यापार और निवेश: व्यवसाय के सीमित अवसर, कम निवेश और कम पूंजी आदि।

समुद्री डकैती/ पायरेसी: हिंद महासागर-भूमध्य सागरीय क्षेत्र को समुद्री डकैती और अवैध समुद्री गतिविधियों से लगातार खतरा बना रहता है।

भू-राजनीतिक स्थिरता: भूमध्यसागरीय क्षेत्र अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों से घिरा रहता है, विशेषकर पश्चिम एशिया और लीबिया में।

आगे की राह

संबंधों को बढ़ाना: ग्रीस और साइप्रस यूरोपीय संघ और भारत के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं।

विकासात्मक सहायता: चीन की ऋण जाल नीति के विकल्प के रूप में इस क्षेत्र के देशों को भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करनी चाहिए।

पर्यटन को बढ़ावा देना: ग्रीस भारतीयों के बीच एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है।

समुद्री सहयोग: जिसमें सूचना साझाकरण और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल हैं।

भारत-भूमध्यसागरीय क्षेत्र में संघर्षों के कूटनीतिक समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र, G-20 और यूरोपीय संघ-भारत शिखर सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर **मिलकर कार्य करना।**

निष्कर्ष

भारत की भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ सहभागिता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाती है। सांस्कृतिक संबंधों और बहुपक्षीय सहयोग का लाभ उठाते हुए भारत इस क्षेत्र में स्थिरता, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा यूरोपीय, अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई बाजारों तक पहुँच प्राप्त करना चाहता है।

2.7. भारत-जर्मनी संबंध (India-Germany Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जर्मनी के चांसलर ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य **भारत एवं जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत** करना था।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2024 को भारत और जर्मनी के बीच **सामरिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ** के रूप में मनाया गया।
- दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित **'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग पर अंतर-सरकारी समझौता'** की **50वीं वर्षगांठ** भी 2024 में मनाई गई।

भारत-जर्मनी साझेदारी का महत्व

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** भारत और जर्मनी ने अक्षय ऊर्जा, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों तथा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए **'भारत-जर्मनी नवाचार एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी रोडमैप'** लॉन्च किया है।
- **भारत-जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र** 49 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, जिसमें **"वीमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च (WISER)"** भी शामिल है।
- **व्यापार और निवेश:** जर्मनी भारत का **सबसे बड़ा यूरोपीय व्यापार भागीदार** है और भारत के लिए **9वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत** है।
- **जलवायु और संधारणीयता: हरित एवं सतत विकास भागीदारी (2022)** के तहत सौर व कृषि-पारिस्थितिकी परियोजनाओं के लिए **€10 बिलियन की प्रतिबद्धता** प्रकट की गई है।
  - जर्मनी भारत के नेतृत्व वाले **आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (CDRI) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** का समर्थन करता है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** 2006 के **रक्षा सहयोग समझौते** ने आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा तथा रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह गठित किए हैं।
  - जर्मनी की **प्रोजेक्ट-75I पनडुब्बी कार्यक्रम** में रुचि है।
  - **संयुक्त अभ्यास: एक्स MILAN, PASSEX, एक्स तरंग शक्ति-1** आदि।
- **विविधीकरण रणनीति:** यूरोपीय संघ-चीन तनाव के बीच चीन पर निर्भरता कम करना **(चीन+1 रणनीति)।** यूरोपीय संघ ने जून 2024 में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर **38.1% तक टैरिफ** लगाया था।
- **प्रवासी: मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट (2022)** कुशल कामगारों के लिए आसान प्रवासन की सुविधा प्रदान करता है।
- **भू-राजनीतिक संरेखण:**दोनों राष्ट्र **बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधारों (G4) और एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था** की वकालत करते हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियां

- **व्यापार और निवेश संबंधी बाधाएं**: भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपने उत्पादों पर **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM)** जैसी **गैर-प्रशुल्क बाधाओं** का सामना करना पड़ रहा है।
  - इसी प्रकार, **नौकरशाही संबंधी बाधाएं और जटिल कर प्रणाली** की वजह से भारत में जर्मनी से होने वाले निवेश में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में यह निवेश 25 बिलियन यूरो (27 बिलियन डॉलर) था। भारत में जर्मनी का निवेश, चीन में उसके निवेश का केवल 20% है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक मतभेद:** रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का रुख तटस्थ रहा है जबकि जर्मनी ने रूसी आक्रामकता का कड़ा विरोध किया है।
- **चीन की भूमिका:** जर्मनी की चीन पर आर्थिक निर्भरता बनी हुई है। इसलिए, भारत और चीन विवाद में भारत के पक्ष में जर्मनी का उतना समर्थन नहीं मिलता जितना कि क्वाड देशों, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान का मिलता है।

आगे की राह

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** चीन और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 300 बिलियन यूरो का है। इस मामले में भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए **भारत-यूरोपीय संघ FTA** को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहभागिता: द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों** के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, **7वें अंतर-सरकारी परामर्श** के दौरान घोषित अवसंरचना निवेश को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना आवश्यक है।
- **हरित एवं सतत विकास साझेदारी** जैसी पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा जैसी **परियोजनाओं के साथ स्वच्छ तकनीक और संधारणीय विकास में सहयोग** बढ़ाना चाहिए।
- **आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना:** सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और औषधियों के उत्पादन पर चीन के वर्चस्व को कम करने में जर्मनी और भारत, दोनों देश भागीदार बन सकते हैं। साथ ही जर्मनी, भारत की **'मेक इन इंडिया'** पहल का भी समर्थन कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत-जर्मनी संबंध मजबूत आर्थिक संबंधों, तकनीकी सहयोग और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। जहां एक ओर व्यापार एवं हरित ऊर्जा में साझेदारी बढ़ रही है, वहीं रक्षा व हिंद-प्रशांत सुरक्षा में रणनीतिक तालमेल एक बहुध्रुवीय विश्व में उनकी भूमिका को और बढ़ाता है।

2.8. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) **1 अक्टूबर 2025** से लागू होगा।

मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

- यूरोप में घनिष्ठ आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए **स्टॉकहोम कन्वेंशन के माध्यम से 1960 में EFTA** की स्थापना की गई थी।
  - **सदस्य:** वर्तमान में, इसके सदस्य **स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन** हैं, जो यूरोपीय संघ के सदस्य **नहीं** हैं।
- **2024–25 में**, भारत और EFTA के बीच कुल **24.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का **व्यापार घाटा बहुत अधिक** था। इस घाटे का बड़ा हिस्सा **स्विट्जरलैंड से सोने के आयात** की वजह से है।
- EFTA देशों में, **स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है, उसके बाद **नॉर्वे** का स्थान आता है।
- पहली बार भारत ने **EFTA के सदस्यों के साथ FTA** पर हस्ताक्षर किए हैं।

TEPA की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **प्रथम बाध्यकारी प्रतिबद्धता:** यह पहला FTA है, जिसमें **अगले 15 सालों में भारत में 100 बिलियन डॉलर (FDI) का निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार** देने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता है।
  - बदले में, भारत विविध उत्पादों **(जैसे स्विस घड़ियाँ, चॉकलेट, कटे व पॉलिश किए गए हीरे आदि) पर बहुत कम या शून्य सीमा शुल्क (ड्यूटी)** लगाएगा।
- **पारस्परिक मान्यता समझौता[3]:** TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसी **"पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों"** के प्रावधान शामिल हैं।
- **प्रशुल्क में कटौती:** EFTA ने अपनी **92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर प्रशुल्क (Tariff) को हटाने** का प्रस्ताव किया है। यह भारत के **99.6 प्रतिशत निर्यात** को कवर करेगा।
- **बाज़ार तक पहुंच:** EFTA के बाजारों में भारत के **100% गैर-कृषि उत्पादों को प्रवेश** दिया जाएगा। साथ ही, **प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (PAPs) पर प्रशुल्क में रियायत** दी जाएगी।
- **अन्य:** बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से जुड़ी प्रतिबद्धताएं, पेशेवर सेवाओं (जैसे नर्सिंग) में आपसी मान्यता समझौते आदि।

EFTA से जुड़े चिंताजनक मुद्दे

- **डेटा विशिष्टता (Data Exclusivity): EFTA के देश** डेटा एक्सक्लूसिविटी संबंधी प्रावधान को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। **भारत पहले ही डेटा एक्सक्लूसिविटी संबंधी प्रावधानों को अस्वीकार** कर चुका है।

[3] Mutual Recognition Agreements

- **EFTA को अधिक व्यापार लाभ:** भारत ने अगले **10 वर्षों में कई वस्तुओं पर प्रशुल्क में महत्वपूर्ण रूप से कटौती** करने के लिए सहमति दी है, जबकि EFTA देशों में पहले से ही **प्रशुल्क बहुत कम** है।
  - भारत द्वारा निर्यात से अधिक आयात करने के कारण भारत के लिए **व्यापार घाटा (Trade gap) काफी बढ़** सकता है।
- **निवेश दायित्व से संबंधित बाधाएं:** TEPA के तहत भारत के पास EFTA देशों को दी गई प्रशुल्क संबंधी रियायतों को **18 वर्ष के बाद ही रद्द करने का विकल्प** है, वह भी तब जब वे FDI से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।

निष्कर्ष

इन चुनौतियों के बावजूद, भविष्य में सहयोग को अग्रलिखित पर केंद्रित किया जा सकता है- MSMEs को वैश्विक व्यापार में एकीकृत करना; समझौते के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से व्यावसायिक पहुंच का आयोजन करना; तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नवाचार व संधारणीयता का समर्थन करना। इन मुद्दों का हल निकालना और सहयोग को बढ़ावा देना इस संबंध के विकास एवं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

2.9. भारत-मालदीव संबंध (India- Maldives Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधान मंत्री ने मालदीव की यात्रा की। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि **"इंडिया आउट" कैंपेन** के बाद प्रधान मंत्री की यह **पहली** मालदीव यात्रा है।

यात्रा के प्रमुख परिणामों पर एक नजर:

- **समझौतों पर हस्ताक्षर:**
  - मालदीव को **4,850 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट** की सुविधा दी गई।
  - भारत सरकार से लिए गए **ऋणों के वार्षिक भुगतान को कम** करने के लिए एक समझौता किया गया।
  - मालदीव में **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) शुरू** करने का समझौता किया गया।
  - प्रस्तावित **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के लिए विचारार्थ विषयों पर चर्चा की गई।
- **समझौता ज्ञापनों (MoUs) का आदान-प्रदान:** मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि; मौसम विज्ञान; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; UPI; भारतीय फार्माकोपिया आदि क्षेत्रकों के संबंध में 6 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
- **उद्घाटन/ हस्तांतरण:**
  - **आवास और अवसंरचना:** भारत की बायर्स क्रेडिट सुविधा के तहत **हुलहुमाले में 3,300 सामाजिक आवास इकाइयों और अद्दू शहर में सड़क एवं जल निकासी प्रणाली परियोजना** का उद्घाटन किया गया।
  - **स्वास्थ्य:** दो **'आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब (भीष्म/ BHISHM)' सेट्स** सौंपे गए।

नोट: *भारत-मालदीव संबंधों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, 2025 Mains 365 अंतर्राष्ट्रीय संबंध डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 3.8. देखें।*

2.10. पश्चिम अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States: ECOWAS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ECOWAS ने इस साल अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई।

ECOWAS के बारे में

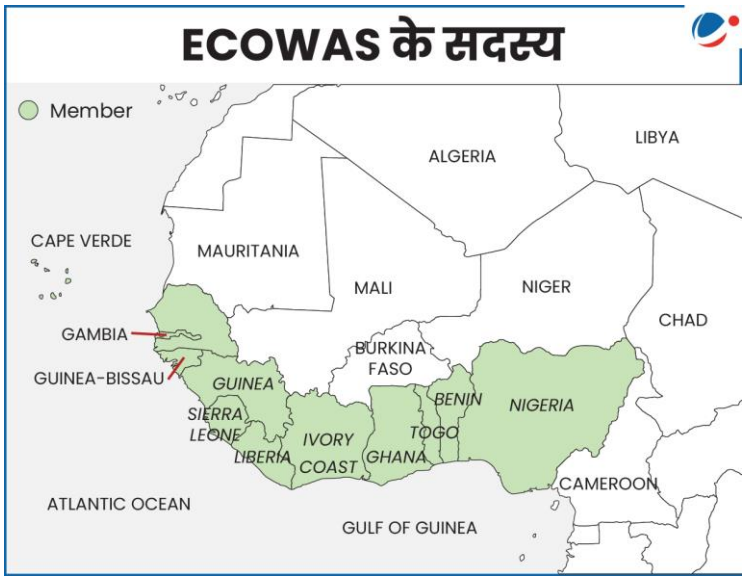

- **स्थापना:** ECOWAS की स्थापना **28 मई 1975** में की गई थी। **15 देशों ने लागोस संधि पर हस्ताक्षर** करके इसकी शुरुआत की थी।
- **मुख्यालय:** अबूजा (नाइजीरिया)
- **क्षेत्रीय समूह:** ECOWAS में जून 2025 तक **12 पश्चिम अफ्रीकी देश** शामिल हैं।
  - इसके सदस्य देशों में **बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** ECOWAS का मुख्य उद्देश्य **पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना के लिए सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे:**
  - इसके लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो,
  - आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सके,
  - सदस्य देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सके, और
  - अफ्रीकी महाद्वीप की प्रगति और विकास में योगदान दिया जा सके।
    - ECOWAS ने **1990** में अपना **मुक्त व्यापार क्षेत्र** स्थापित किया था और **जनवरी 2015** में एक **साझी बाह्य प्रशुल्क व्यवस्था** अपनाई थी।

भारत-ECOWAS संबंध

- **राजनयिक संबंध:** भारत **2004** में ECOWAS का **पर्यवेक्षक** बना था।
  - ECOWAS **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करता है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** भारत पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए- नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के लिए **ECOWAS सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हुआ है।
- **आर्थिक सहयोग:** 2006 में भारत ने **'फोकस अफ्रीका कार्यक्रम'** को पूरक बनाने के लिए इस समूह को **250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC)** दिया था।
  - भारत ने **वर्ष 2002-03** से एक एकीकृत कार्यक्रम **'फोकस अफ्रीका'** शुरू किया था। इसका उद्देश्य **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान** करके भारत एवं अफ्रीका के बीच अंतर्क्रिया में वृद्धि करना था।

निष्कर्ष

ECOWAS अपने छठे दशक में प्रवेश कर रहा है, जहां वह एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। एकीकरण, शांति स्थापना और मानव विकास में इसकी उपलब्धियां सराहनीय हैं, लेकिन आंतरिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिकों से जुड़ाव की कमी इसकी भावी प्रासंगिकता को चुनौती दे रहे हैं।

2.11. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN Economic and Social Council: ECOSOC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत को **2026-28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** का सदस्य चुना गया।

- ECOSOC की **सदस्यता** 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है। ये क्षेत्रीय समूह हैं- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन, तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश।
- भारत को **एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना** गया है। एशिया-प्रशांत देशों को **चार सदस्यता** आवंटित की गई है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में

- **मुख्यालय:** न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
- **स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत **ECOSOC की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक** के रूप में की गई थी।
- **सदस्य संख्या:** इसमें **कुल 54 सदस्य** होते हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष **18 सदस्यों को महासभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि** के लिए चुना जाता है। **प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट** होता है।
- **ECOSOC के प्रमुख कार्य**
  - सतत विकास के तीन आयामों (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय) को आगे बढ़ाना।
  - **समन्वय:** यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के **निकायों और विशेष एजेंसियों के कार्यों का समन्वय** करती है।
  - **नीतिगत सिफारिशें:** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें जारी करती है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन (Rural India: The New Engine of India's Consumer Market)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण उपभोक्ता बाजार में मजबूत संवृद्धि को देखते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से आग्रह किया है कि उन्हें **ग्रामीण भारत** को केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में नहीं, बल्कि **'नए बाजार सृजित'** करने के एक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए।

ग्रामीण भारत: भारत के उपभोक्ता बाजार का नया इंजन

- **बढ़ते ग्रामीण बाजार: ग्रामीण उपभोक्ता मांग** शहरी मांग की तुलना में तीव्र गति से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए- ग्रामीण भारत में **फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG)** क्षेत्र की वृद्धि शहरों की तुलना में तीव्र हुई है।
  - **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24** के अनुसार, 2023-24 में ग्रामीण भारत में अनुमानित औसत **मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE)** 2022-23 की तुलना में **9.2% बढ़ा** था। यह **शहरी क्षेत्रों के 8.3% की तुलना में अधिक** है।
- **ग्रामीण-शहरी उपभोग विषमता में गिरावट:** 2022-23 में शहरी और ग्रामीण **MPCE** का अंतर **71.2%** था, जो 2023-24 में घटकर **69.7%** रह गया।
- **उपभोग पैटर्न का शहरीकरण:** देशभर में औसत मासिक खर्च में गैर-खाद्य मदें प्रमुख हो गई हैं। इन गैर-खाद्य मदों में **संचार, शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं आदि पर खर्च** शामिल है।

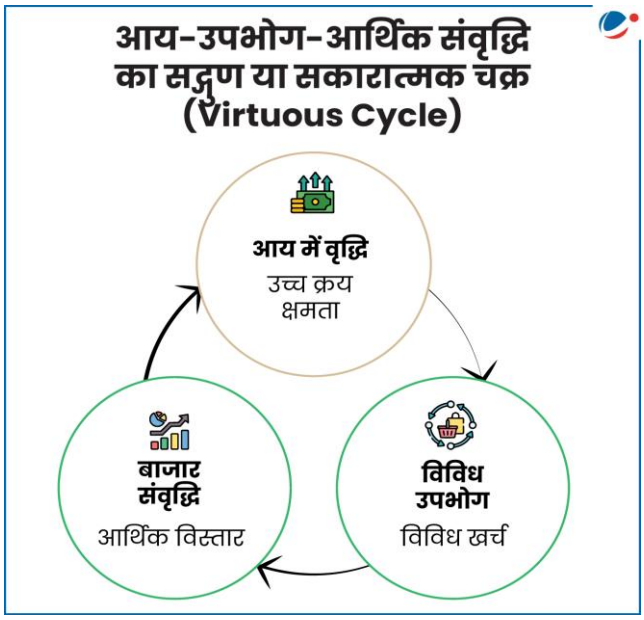

संवृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक

- **खर्च करने योग्य आय में वृद्धि:** खेती के अलावा **आय के अन्य स्रोतों में वृद्धि** (जैसे- मनरेगा, ग्रामीण उद्यमिता, विप्रेषण आदि) ग्रामीण आय को अधिक **लोचशील एवं विवेकपूर्ण** बना रही है।
- **ग्रामीण गरीबी में कमी:** SBI की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2011-12 में जहां ग्रामीण गरीबी **25.7%** थी, वहीं 2023-24 में यह पहली बार घटकर **5% से नीचे** आ गई।
- **सरकारी पहलें:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और प्रधान मंत्री-किसान जैसी लक्षित सरकारी पहलों ने तरलता को प्रोत्साहन देना।
- **अवसंरचना विकास:** सड़क (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना), डिजिटल संवृद्धि (भारत नेट); ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में उल्लेखनीय 200% की वृद्धि देखी गई है।
- **वित्तीय समावेशन:** UPI, पीएम-जन धन योजना (खोले गए खातों में से 67% ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 55% महिलाओं के नाम पर हैं) आदि।

चिंताएं

- **गांवों के बीच असमानता:** ग्रामीण उपभोक्ताओं के शीर्ष 5% लोग सबसे गरीब लोगों द्वारा औसतन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर **छह गुना से अधिक** खर्च कर रहे हैं।
- **अवसंरचना की कमी:** अपर्याप्त कोल्ड चेन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की कमी।
- **डिजिटल डिवाइड:**ग्रामीण क्षेत्रों में **डिजिटल साक्षरता कम** है, भाषा संबंधी समस्याएं मौजूद हैं, विश्वास की कमी को लेकर डर बना रहता है।
- **जलवायु संबंधी सुभेद्यता: चरम मौसमी घटनाएं** ग्रामीण आय में गिरावट का कारण बन सकती हैं।

आगे की राह

- **सरकार द्वारा:** असमानता को कम करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, मल्टी-मॉडल ग्रामीण अवसंरचना।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा:** स्थानीय पहुंच, सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए- HUL के **'प्रोजेक्ट शक्ति'**), स्थानीय तकनीक का उपयोग करना।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत को अब केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। अब यह भारत की **उपभोक्ता-आधारित विकास गति का प्रमुख इंजन** बनने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि, इसे बनाए रखने और इसकी संवृद्धि के लिए अभी भी **निरंतर अवसंरचना में निवेश, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में विश्वास सृजित करने तथा समावेशी आय वृद्धि को बढ़ावा** देने की आवश्यकता है।

3.2. भारत में क्विक कॉमर्स (Quick Commerce in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कंसल्टिंग फर्म **कर्नी (Kearney)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का **क्विक कॉमर्स क्षेत्रक** आने वाले समय में तीव्र गति से वृद्धि करेगा, हालांकि यह उपभोक्ताओं के व्यवहार में भी बदलाव ला सकता है।

क्विक कॉमर्स क्या है?

- उपभोक्ताओं के घर तक वस्तुओं और सेवाओं की तत्काल या बहुत तेज डिलीवरी को **क्विक कॉमर्स** कहा जाता है। आर्डर के बाद लगभग **एक घंटा या उससे कम समय में** ही वस्तुओं की डिलीवरी कर दी जाती है।
  - भारत में **क्विक कॉमर्स में प्रति वर्ष 75-100% की वृद्धि** दर्ज की जाएगी (बर्नस्टीन रिपोर्ट)।
  - वर्ष 2025 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर और 2029 तक 9.94 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान है।
- **लाभ**: सेवाएं 24×7 उपलब्ध होती हैं, बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है, उपभोक्ता के आस-पास से ही वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं जिससे मार्केटिंग और आपूर्ति श्रृंखला काफी दक्ष हो जाती है।

चिंताएं या क्विक कॉमर्स के अनपेक्षित दुष्परिणाम

- **तात्कालिक संतुष्टि की प्रवृत्ति**: कोई **सामान तुरंत प्राप्त करने की इच्छा** के कारण लोग अधिक बार और **बिना सोच-विचार के खरीदारी** करते हैं।
- **गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलना**: उदाहरण के लिए- **'10 मिनट में डिलीवरी'** जैसे क्लेम डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटना से जुड़े नैतिक सवाल पैदा करते हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव**: डिलीवरी के लिए बाइक के बढ़ते उपयोग से सड़क पर भीड़ बढ़ती है जिससे **ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन** भी बढ़ता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के उचित प्रबंधन नहीं होने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।
- **खुदरा व्यवसाय और किराना स्टोर पर प्रभाव**: मॉल, सुपर मार्केट और छोटे स्टोर्स में ग्राहकों की संख्या घटी है।

संतुलन कैसे स्थापित करें?

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देना**: डिलीवरी कर्मियों के लिए सख्त सुरक्षा मानक बनाए जाने चाहिए; उनका बीमा कराया जाना चाहिए।
- **सुरक्षित सेहत के लिए बेहतर स्वच्छता मानक**: उदाहरण के लिए- FSSAI ने हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को फूड सेफ्टी प्रोटोकॉल सख्त करने का निर्देश दिया।
- **स्थानीय उद्योगों से सहयोग और समन्वय**: स्थानीय व किराना स्टोर्स के साथ साझेदारी से स्टॉक की उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो सकता है।
- **विनियामक उपाय**: क्विक कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता के साथ सरकार को चाहिए कि वह **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, एकाधिकार को रोकना और उपभोक्ता हितों की रक्षा** करना।
- **पर्यावरण अनुकूल उपाय**: वस्तुओं की डिलीवरी करने में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस डिलीवरी के लिए **ड्रोन का उपयोग** करना चाहिए। मोबाइल वेयर हाउस, कलेक्शन पॉइंट्स आदि से ट्रैफिक पर बोझ कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जहाँ क्विक कॉमर्स ने उपभोक्ताओं की सुविधा को बढ़ाया है, वहीं इसने **निरंतर बदलते उपभोक्तावाद**, **गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा** और **पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव जैसी चुनौतियों** को भी जन्म दिया है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे उपाय किए जाएं, जो गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं को **भावावेश एवं एक बार में पूरा खर्च कर लेने की प्रवृत्ति** से बचने के लिए जागरूक किया जाए।

3.3. विमानन सुरक्षा (Aviation Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB)**[4] ने अहमदाबाद की दुखद **विमान दुर्घटना** की जांच की **प्रारंभिक रिपोर्ट** सौंप दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जांच रिपोर्ट में पायलट द्वारा की गई **"मेडे कॉल (MAYDAY)"** के समय की जानकारी दी गई।
  - **"मेडे कॉल"** वास्तव में **प्राण-घातक खतरे की आपात** कॉल होती है और तत्काल सहायता उपलब्ध कराना आवश्यकता होता है।
  - विमानन क्षेत्रक में आपातकालीन संचार के लिए **121.5 MHz और 243 MHz** फ्रीक्वेंसी निर्धारित की गई हैं।
- **ब्लैक बॉक्स** बरामद किए गए और उनका डेटा **AAIB लैब** से डाउनलोड किया गया।
  - **ब्लैक बॉक्स में दो प्रमुख रिकॉर्डिंग डिवाइसेज** होते हैं:
    - **फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर**, जो गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन जैसे मापदंड रिकॉर्ड करता है।
    - **कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर**।
  - यह **चमकीले नारंगी रंग का होता** है ताकि आसानी से दिखाई दे सके। इसे स्टील या टाइटेनियम जैसी मजबूत सामग्री से बनाया जाता है।

भारत में विमानन क्षेत्रक की स्थिति

- **रैंक:** विमानों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या (350 मिलियन से अधिक यात्री) के मामले में भारत **वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार** है।
- **वृद्धि:** घरेलू हवाई यात्री यातायात में **10-12% की वार्षिक वृद्धि** दर्ज की गई है।

भारत में विमानन सेवा की सुरक्षा हेतु संस्थागत व्यवस्था

- **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)**: यह नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा और विमान की एयरवर्दीनेस (उड़ान लायक स्थिति) का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह संस्था ICAO (अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन) के साथ समन्वय भी करता है।
- **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)**: हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क तय करना, प्रमुख हवाई अड्डों की सेवा-गुणवत्ता पर निगरानी रखना।
- **नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)**: यह **अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO)**[5] के परिशिष्ट 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा मानक तय करता है।
  - **परिशिष्ट 17** का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन को गैर-कानूनी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना है।
- **वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (AAIB):** यह ब्यूरो उन विमानों की दुर्घटनाओं या घटनाओं की जांच करता है जिनका अधिकतम उड़ान भार (AUW) 2250 किलोग्राम से अधिक होता है या जो टर्बोजेट इंजन से लैस होते हैं। 2017 के नियमों के तहत AAIB को साक्ष्य जुटाने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।
  - DGCA 2250 किलोग्राम या उससे कम AUW वाले **छोटे विमानों से जुड़ी गंभीर घटनाओं की जांच** करता है।

[4] Aircraft Accident Investigation Bureau

[5] International Civil Aviation Organization

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विमानन सुरक्षा के मुद्दे और सिफारिशें

विषय	चुनौतियां	सिफारिशें
बजटीय आवंटन संतुलित नहीं होना	DGCA को 30 करोड़ रुपये (**विमानन पूंजीगत बजट का 50%**) ही मिलता है, जिससे सुरक्षा अवसंरचना और दुर्घटना जांच की इसकी क्षमताएं प्रभावित होती है।	**विमानन संस्थाओं के बीच संतुलित तरीके** से बजटीय आवंटन होना चाहिए ताकि सुरक्षा उपाय और जांच क्षमताओं की कमियों को दूर किया जा सके।
मानव संसाधन की कमी	DGCA, BCAS और AAI में क्रमशः 53.8%, 34.7% और 17% पद रिक्त हैं।	भर्ती प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और दीर्घकालिक मानव संसाधन योजना अपनानी चाहिए ताकि रिक्तियों को भरा जा सके।
उड़ान योजना का विस्तार	वर्ष 2024-25 के बजट में उड़ान योजना का **बजटीय आवंटन 32% घटा दिया गया।** पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार किया गया है जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यक है। इसके लिए और बजटीय आवंटन की जरूरत है।	संशोधित UDAN योजना के तहत सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने हेतु **निधि की आवश्यकता का आकलन** करना चाहिए।
विनियामकीय निगरानी प्रणाली	**राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी के लिए सामान्य बजटीय आवंटन पर अत्यधिक निर्भरता** है और सतत फंडिंग व्यवस्था की कमी है।	**एकीकृत सुरक्षा तंत्र स्थापित** करना चाहिए जिससे DGCA, BCAS और अन्य एजेंसियों के बीच सहयोग हो और सतत वित्त पोषण सुनिश्चित हो सके।
नेविगेशन प्रणाली	धुंध की वजह दृश्यता कम हो जाती है जिससे उड़ानों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं।	**इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS)** की स्थापना शीघ्र सभी हवाई अड्डों पर की जाए।
विमान-केबिन का सुरक्षा मानक में कमियां	विमानों में बैठने वाली सीटें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, साथ ही विमानों में पुरानी तकनीकें का समयपूर्व खराबी और कई एयरलाइनों में तकनीकी पुरातनता से जुड़ी चिंताएं।	एविएशन इंटीरियर क्वालिटी कमीशन की स्थापना करनी चाहिए जो सभी विमानन कंपनियों में एर्गोनोमिक, सुरक्षा, सततता और पहुंच मानकों को लागू करे।

निष्कर्ष

भारत ने अपनी विमानन सुरक्षा प्रणाली को ICAO के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है, जिसे ICAO की सुरक्षा ऑडिट में सराहा भी गया है। **एशिया-प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन (2024)** में **दिल्ली घोषणा-पत्र** को अपनाना भारत की **ओपन स्काई नीति और वैश्विक कनेक्टिविटी** के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालिया विमान दुर्घटनाओं की पूरी पारदर्शिता और गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और भारत के विमानन क्षेत्रक सुरक्षित एवं सशक्त बनाया जा सके।

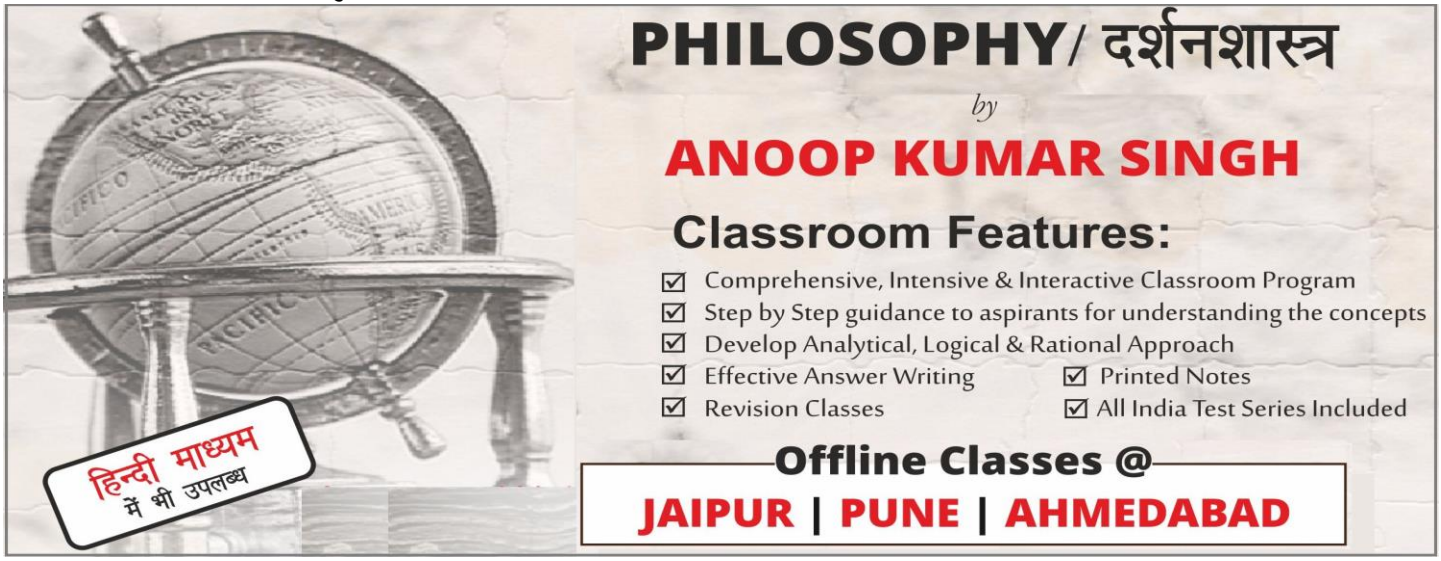

3.4. भारत में अवसरंचनाओं की विफलता (Infrastructure Failures in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, गुजरात के वडोदरा में **महिसागर नदी का पुल ढह गया**।

अन्य संबंधित तथ्य

- पुल ढहने की ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें **बिहार का भागलपुर पुल हादसा और कोलकाता फ्लाईओवर हादसा** शामिल हैं।
- आमतौर पर प्रत्येक अवसंरचना परियोजना चार महत्वपूर्ण चरणों से गुजरती है- **कॉन्ट्रैक्ट, डिज़ाइन एवं क्रियान्वयन, रखरखाव, और सुरक्षा ऑडिट**। इन प्रत्येक चरण में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

अवसंरचना की विफलताओं के कारण

- **L1 (सबसे कम बोली) कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली**: इसमें सबसे कम बोली लगाने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिससे ठेकेदार अनुबंध जीतने के लिए कम बोली लगाते हैं और बाद में निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं।
  - **सुधार**: सरकार ने **क्वालिटी-कम-कॉस्ट बेस्ड सेलेक्शन (QCBS)** प्रणाली लागू की है, जिसमें लागत और गुणवत्ता, दोनों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है।
    - हालांकि, इसका कार्यान्वयन कम हुआ है - प्रारंभ में केवल 10 करोड़ रुपये से कम के अनुबंधों पर लागू किया गया।
- **खराब डिज़ाइन और क्रियान्वयन**: जैसे, दिल्ली के प्रगति मैदान कॉरिडोर (2022–2024) की ऑडिट में जल निकासी डिजाइन में खामियां और वाटरप्रूफिंग की कमी पाई गई।
- **रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट में कोताही**: जैसे, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस फुट ओवर ब्रिज हादसा (2019) जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे से केवल 6 महीने पहले ऑडिट में इसे सुरक्षित बताया गया था। ऑडिट के दौरान गंभीर रूप से जंग लगने को नजरअंदाज कर दिया गया था।
- **गवर्नेंस में समन्वय का अभाव और जवाबदेही भी स्पष्ट नहीं होना**: जैसे, दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था — वर्षा जल निकासी हेतु 4,000 कि.मी. के नाले आठ अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।
- **कौशल की कमी और ब्रेन ड्रेन**: इंजीनियरिंग क्षेत्र में कई लोग बेहतर वेतन और कार्य दशाओं के लिए विदेश चले जाते हैं।

आगे की राह

- **L1 कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर बहु-शर्त आधारित चयन प्रणाली**: लागत, तकनीकी विशेषज्ञता, सुरक्षा का रिकॉर्ड और पिछले प्रदर्शन के आधार पर ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट का मूल्यांकन करना चाहिए।
- **केंद्रीय अवसंरचना विनियामक प्राधिकरण का गठन**: यह एकमात्र ऐसा प्राधिकरण होगा जो सार्वजनिक अवसंरचना के सभी पहलुओं; योजना, क्रियान्वयन, रखरखाव और ऑडिट की देखरेख करेगा।
- **स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट तंत्र**: निर्माण के बाद नियमित रूप से थर्ड पार्टी द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए, विशेषकर मानसून से पहले।
- **जन भागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाना**: परियोजना रिपोर्ट, ठेकेदार का विवरण और सुरक्षा ऑडिट को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित करना चाहिए।
- **विश्व के बेहतरीन उदाहरणों से सीखना**: जैसे, जापान में पुलों को भूकंप और बाढ़ के खतरों का सामना करने के प्रमाणन की सख्त प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य की गई है।

निष्कर्ष

अवसंरचना और लोगों की सुरक्षा की जगह कम लागत को प्राथमिकता देना और गुणवत्ता व रखरखाव की उपेक्षा करना वास्तव में **जनकल्याण और जवाबदेही** की भावना का उल्लंघन है, जो जीवन और लोगों विश्वास, दोनों को खतरे में डालता है। प्राधिकरणों का नैतिक दायित्व है कि वे पारदर्शिता, उचित जांच सुनिश्चित करें और जनहित में कार्य करें। समस्या के स्थायी समाधान के लिए पूर्ण सुधार, जवाबदेही तय करना और शॉर्टकट की जगह सतत विकास की ओर उन्मुख होना आवश्यक है।

3.5. परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए **परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण** के माध्यम से उसका मूल्य प्राप्त करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की है।

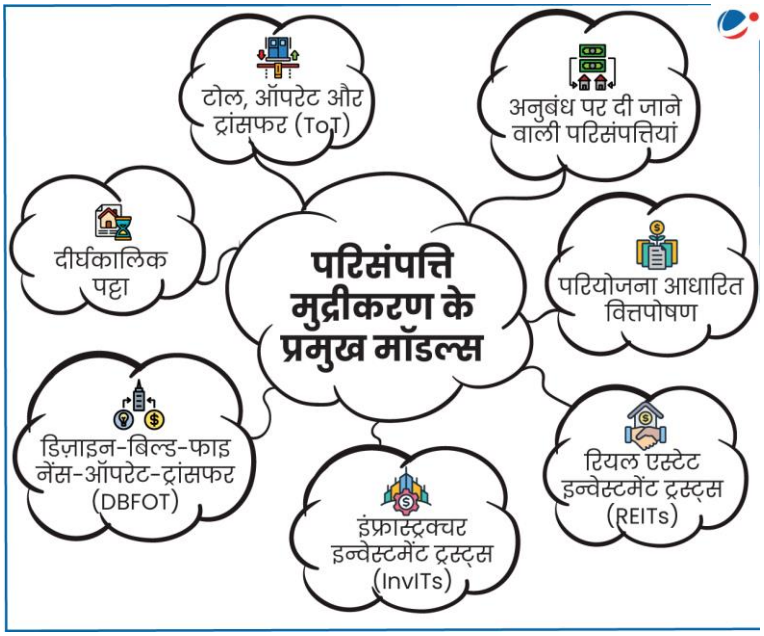

अन्य संबंधित तथ्य:

- यह रणनीति पूंजी जुटाने हेतु एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क है, जिसमें **टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (ToT), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)** और **सिक्योरिटाइजेशन** जैसे मॉडल्स को शामिल किया गया है।
- इन माध्यमों से NHAI ने **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन** के तहत अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 6,100 किलोमीटर से अधिक हिस्से के लिए **1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि** जुटाई है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या है?

यह पूरी तरह उपयोग नहीं की गई सार्वजनिक (सरकारी) परिसंपत्तियों के **आर्थिक मूल्य की प्राप्ति के द्वारा राजस्व स्रोत उत्पन्न करने की नई या वैकल्पिक प्रक्रिया** है। इसे **'पूंजी पुनर्चक्रण'** यानी **कैपिटल रीसाइक्लिंग** भी कहा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि इस प्रक्रिया से **परिसंपत्ति का विनिवेश** हो।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **निवेश की कमी को पूरा करना:** गैर-कर राजस्व के माध्यम से वित्तपोषण संबंधी बाधाओं का समाधान किया जाता है।
- **दक्षता बढ़ाना**: निजी क्षेत्र की भागीदारी से परिचालन दक्षता में सुधार होता है।
- **ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से मूल्य प्राप्त करना:** ये पहले से विकसित परिसंपत्तियां होती हैं जिनमें स्थिर राजस्व उत्पन्न होता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना:** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करती है। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारत के एकीकरण को भी बढ़ावा देती है।

प्रमुख संस्थान: वैकल्पिक तंत्र, सचिवों का कोर समूह, अंतर-मंत्रालयी समूह, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) तथा नीति आयोग।

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण हेतु प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)[6]:** इस योजना के तहत सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों को लीज पर देकर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)[7]:** यह शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका गठन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों (CPSEs) की गैर-प्रमुख (नॉन-कोर) परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किया गया है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के **सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE)** के अधीन है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड:** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मुद्रीकरण की प्रगति पर नज़र रखता है और निवेशकों को परिसंपत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

[6] National Monetization Pipeline

[7] National Land Monetization Corporation

भारत में परिसंपत्ति मुद्रीकरण: बाधाएं बनाम रणनीतिक उपाय

विषय (क्षेत्र)	परिसंपत्ति मुद्रीकरण में बाधाएं	आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप
पारदर्शिता और शासन	**पक्षपात की संभावना, अग्रिम डिस्क्लोजर का अभाव**	भविष्य की मुद्रीकरण **परियोजनाओं के बारे में जानकारियों को सार्वजनिक** करना चाहिए; **पारदर्शी निविदा प्रक्रिया** अपनानी चाहिए।
क्षेत्रक विशेष की समस्याएं	कुछ क्षेत्रकों में सफल; शहरी अवसंरचना, रेलवे उपेक्षित हैं।	**मुद्रीकरण का विस्तार और समूहीकरण** (कम निवेश वाले क्षेत्रकों की लघु परिसंपत्तियों को आकर्षक बनाया जाए।)
परिसंपत्ति के मूल्य का पता लगाना और प्रतिस्पर्धी बोली	परिसंपत्ति का कम मूल्य आंका जा सकता है; अधिक पूंजी की आवश्यकता के कारण नीलामी में कम भागीदारी देखी जाती है।	जोखिम-रहित मॉडल अपनाएं {जैसे- **टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT)**; InvITs)
राज्य-स्तरीय तत्परता	राज्य अवसंरचना क्षेत्रकों में निजी क्षेत्र की भागीदारी नगण्य है और परिसंपत्तियों की मुद्रीकरण करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की कमी है।	राज्य परिसंपत्तियों की क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए; **ब्याज-मुक्त ऋण देना एक सकारात्मक कदम** है।
उपभोक्ता एवं जनहित	निजी कंपनियों द्वारा परिसंपत्ति के अधिक दोहन से **मूल्य वृद्धि की आशंका** बनी रहती है।	**"स्वामित्व नहीं, मुद्रीकरण का अधिकार"** मॉडल अपनाया जाए; अनुबंध के दायित्वों और सेवा मानकों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
कई संस्थाओं के शामिल होने से समस्या	अलग-अलग मंत्रालयों की भागीदारी से समन्वय में समस्या उत्पन्न होती है और केंद्रीकृत योजना नहीं बन पाती है।	एक अलग **अवसंरचना मंत्रालय** गठित करना चाहिए।
विनियामकीय व्यवस्था में अनिश्चितता	**स्पष्टता का अभाव** (जैसे दूरसंचार)	क्षेत्रक-विशेष के लिए **अलग-अलग मुद्रीकरण दिशानिर्देश** जारी करना चाहिए; स्वतंत्र मूल्यांकन।
राजकोषीय प्रबंधन में उपयोग और जन-विश्वास	**विनिवेश से प्राप्त धन** का 'राजकोषीय घाटा कम करने के लिए **उपयोग की नीति**'	सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन में फंड का उपयोग करना चाहिए; पट्टे/किराये पर देने के मॉडल पर विचार करना चाहिए।
निगरानी और प्रदर्शन की ट्रैकिंग	**मुद्रीकरण के बाद** उचित निगरानी नहीं होने से अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।	मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs)[8] को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।

निष्कर्ष

परिसंपत्ति मुद्रीकरण एक रूपांतरणकारी रणनीति है जो परिसंपत्तियों के मूल्य को प्रकट करके और उसे अवसंरचना में पुनर्निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे भारत के दीर्घकालिक विकास को मजबूती मिलती है।

[8] Key Performance Indicators

3.6. रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना {Employment Linked Incentive (ELI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना' को मंजूरी दी।

रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना के बारे में

- **मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय।
- **कुल परिव्यय:** 2 वर्षों (2025 – 2027) में 99,446 करोड़ रुपये।
- **लक्ष्य:** 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन को समर्थन प्रदान करना, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार से जुड़ने वाले कर्मचारी शामिल होंगे।
- **उद्देश्य:** रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि करना तथा विशेषकर विनिर्माण सहित सभी क्षेत्रकों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

'रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन योजना' विनिर्माण क्षेत्रक में विशेष रूप से रोजगार सृजन और औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्याप्त बजटीय आवंटन और स्पष्ट लक्ष्यों वाली इस योजना का उद्देश्य करोड़ों कर्मियों की रोजगार प्राप्ति क्षमता को बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूत करना है।

नोट: *कौशल विकास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, 2025 Mains 365 अर्थव्यवस्था डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 3.3.1 देखें।*

3.7. जीवन निर्वाह वेतन (Living Wage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) ने जीवन निर्वाह वेतन की अवधारणा पर चर्चा की है। इसका उद्देश्य **श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना और विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना** है।

भारत में मजदूरी की स्थिति

- वर्तमान में, भारत में **"न्यूनतम मजदूरी" सिद्धांत** का अनुपालन किया जाता है। यह मजदूरी **2017** से स्थिर बनी हुई है।
- संसद द्वारा पारित **"वेतन संहिता (2019)"** में एक "सार्वभौमिक वेतन स्तर" (Universal wage floor) का प्रावधान किया गया है। इस संहिता के कार्यान्वयन के बाद यह वेतन स्तर सभी राज्यों पर लागू होगा।

न्यूनतम मजदूरी की मौजूदा वर्तमान व्यवस्था की समस्याएं

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा-निर्देशों का उपबंध किया गया है। यह कानून यह नहीं बताता है कि **न्यूनतम मजदूरी कितनी** होनी चाहिए।
- कुछ प्रकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970** दोनों में दिए गए हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- सभी राज्यों में **राष्ट्रीय आधार मजदूरी (Wage floor)** लागू नहीं होने की वजह से राज्यों के बीच मजदूरी में असमानताएं देखी जाती हैं।
- मजदूरी में **लैंगिक स्तर पर भी असमानता** देखी जाती है। इसकी वजह है अधिक पुरुष श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों की तुलना में **अधिक महिला श्रमिकों वाले अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी कम होना।**

भारत में वेतन के प्रमुख रूपों के बारे में

न्यूनतम वेतन

- वेतन न केवल जीवन के **न्यूनतम निर्वाह** के लिए होना चाहिए, बल्कि श्रमिकों की **दक्षता बनाए रखने** के लिए भी होना चाहिए।
- न्यूनतम वेतन का भुगतान **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948** के तहत कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- **केंद्र और राज्य दोनों सरकारें न्यूनतम वेतन** तय कर सकती हैं, उसकी समीक्षा कर सकती हैं और उसे संशोधित कर सकती हैं।
- **वेतन संहिता, 2019** के तहत न्यूनतम वेतन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में सभी नियोजनों पर लागू होता है।

जीवन निर्वाह वेतन

- जीवन निर्वाह वेतन वह वेतन स्तर है, जो श्रमिकों और उनके परिवारों को **गरिमापूर्ण जीवन स्तर** प्रदान करता है।
- ILO के अनुसार इसमें **भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और कपड़ों** जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होना शामिल है।
- जीवन निर्वाह वेतन आमतौर पर **न्यूनतम वेतन से ज़्यादा** होता है और इसमें **क्षेत्रीय अंतरों को ध्यान** में रखा जाना चाहिए।
- **अनुच्छेद 43 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व- DPSPs):** राज्य उपयुक्त कानून आदि के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मज़दूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

जीवन निर्वाह वेतन का महत्व

- **गरीबी उन्मूलन:** यह वर्कर्स को गरीबी के चक्र से बाहर निकाल सकता है और उन्हें अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार, विश्व स्तर पर लागू किया गया जीवन निर्वाह वेतन हर साल उत्पादकता और खर्च में वृद्धि के माध्यम से अतिरिक्त **4.6 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) उत्पन्न** कर सकता है।
  - **UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट** अपने **लिविंग वेज टूल** और **फॉरवर्ड फास्टर पहल के माध्यम से** कंपनियों को जीवन-निर्वाह योग्य पारिश्रमिक प्राप्त करने में सहायता करता है।
- **महिला श्रमबल भागीदारी में सुधार:** यह सभी श्रमिकों के लिए लाभदायक है, लेकिन महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी है। महिलाएं अक्सर **बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा** जैसी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से दूर रहती हैं।

- **वैश्विक विकास लक्ष्यों के अनुरूप:** निर्वाह योग्य मजदूरी सम्मानित कार्य को बढ़ावा देकर और असमानता को कम करके संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है।

निष्कर्ष

जीवन निर्वाह वेतन (Living Wage) फ्रेमवर्क की शुरुआत भारत में कर्मियों को न्यायसंगत और पर्याप्त पारिश्रमिक सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह गरीबी कम करने और समानता को बढ़ावा देने का उपयोगी तरीका है। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रकों की लागतों में संतुलन सुनिश्चित करना और विशेषकर MSMEs जैसे व्यवसायों को सहयोग देना आवश्यक होगा।

3.8. फिनटेक क्षेत्रक (Fintech Sector)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक कंपनियों से आग्रह किया कि वे ग्रामीण भारत को न केवल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखें, बल्कि इसे संभावनाओं वाले बाजार अवसर के रूप में भी देखें।

फिनटेक सेक्टर के बारे में

- फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां वे कंपनियां होती हैं, जो **तकनीक और क्लाउड सर्विसेज के जरिए ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं** प्रदान करती हैं (जैसे; **पेटीएम, फ़ोन पे**)।
- भारत विश्व के **सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक** है।
  - इसके 2029 तक **31% की CAGR से वृद्धि के साथ लगभग 420 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान** है।
  - फिनटेक संस्थाओं की सर्वाधिक संख्या के मामले में **भारत विश्व में तीसरे स्थान पर** है।
  - भारत में **फिनटेक अपनाने की दर 87%** है, जो वैश्विक औसत 67% से काफी अधिक है।

भारत के फिनटेक क्षेत्र की भूमिका/महत्व

- **सामाजिक सेवा योजनाओं के लाभ का वितरण**: जैसे, जन धन खातों के माध्यम से **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTs)**।
- **जीवन की गुणवत्ता में सुधार**: जैसे, दूर से रहकर भी स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में मददगार, आदि।
- **निवेश में आसानी**: फिनटेक निवेश प्लेटफ़ॉर्म के 60–70% यूजर्स वास्तव में प्रथम बार निवेश करने वाले लोग होते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण**: 42% पंजीकृत फिनटेक स्टार्टअप्स में कम से कम एक निदेशक महिला हैं या महिला संस्थापक हैं।
- **विकास को गति देना**: मौजूदा व्यावसायिक सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

ग्रामीण भारत में फिनटेक सेक्टर की भूमिका:

- **वित्तीय समावेशन:** उदाहरण के लिए: **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS)।**
- **आसानी से ऋण मिलना:** उदाहरण के लिए: **क्रॉप फंड्स** जैसे एग्री-फिनटेक प्लेटफॉर्म किसानों की लेन-देन हिस्ट्री, खेती के उत्पादन आदि के आधार पर उनकी ऋण लेने की योग्यता तय करते हैं।
- **कृषि सहायता:** उदाहरण के लिए: कृषि मंत्रालय के **एग्रीमार्केट मोबाइल ऐप और फसल बीमा मोबाइल ऐप।**
- **डिजिटल भुगतान और पैसे भेजना: उदाहरण के लिए: UPI से जुड़े ऐप्स जैसे- Paytm और PhonePe** अब ग्रामीण इलाकों में लेन-देन के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।

भारत के फिनटेक क्षेत्रक की चुनौतियां

- **पूंजी जुटाने में समस्या**: डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म *Tracxn* के अनुसार, भारतीय फिनटेक सेक्टर में **2024 की प्रथम तिमाही में फंडिंग में 59% की गिरावट दर्ज** की गई। इस सेक्टर ने 2023 की प्रथम तिमाही के 1.9 बिलियन डॉलर की तुलना में 2024 की प्रथम तिमाही में केवल 795 मिलियन डॉलर जुटाए।
- **विनियामक चुनौतियां**: कई विनियामकीय संस्थाओं (SEBI, RBI, IRDAI, NPCI) का होना, नियमों में बार-बार होने वाले बदलाव और अनेक नियमों के पालन की आवश्यकता फिनटेक सेक्टर के संचालन को जटिल बनाती है।

- **सुरक्षा संबंधी खतरे और अनधिकृत तरीके से डेटा उपयोग करना**: जैसे, 2022–2023 में कुल डिजिटल धोखाधड़ी में UPI से जुड़े धोखाधड़ी की हिस्सेदारी 55% थी।
- **वित्तीय साक्षरता**: SEBI के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में भारत की केवल 27% आबादी वित्तीय मामलों में साक्षर है।
- **यूजर्स को अपने से जोड़े रखना और अनुभव**: फिनटेक सेक्टर में यूजर्स ड्रॉप-ऑफ दर बहुत अधिक है, जहां 73% नए ऐप यूजर्स एक सप्ताह के भीतर इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं या इस्तेमाल बंद कर देते हैं।
- **प्रतिभा को आकर्षित करना और अपने साथ जोड़े रखना**: कुशल पेशेवरों की कमी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के बीच प्रतिभा को अपने पास बनाये रखने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण फिनटेक कंपनियों को प्रतिभाशाली पेशेवरों को ढूंढने और अपने से जोड़े रखने में कठिनाई होती है।

निष्कर्ष

भारत में फिनटेक सेक्टर की प्रगति के लिए आवश्यक है कि बुनियादी अवसंरचना को मजबूत किया जाए, विनियामकीय अड़चनों को दूर करने के लिए एकल कानून लागू किया जाए, सुरक्षित वित्तीय इनोवेशन के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क बनाया जाए, और विदेशों से लेनदेन में भुगतानों को सुविधाजनक बनाने के लिए वैश्विक UPI गठबंधन बनाए जाएं। इससे फिनटेक सेक्टर का सुव्यवस्थित और निरंतर विकास होगा।

3.9. डिजिटल इंडिया मिशन (Digital India Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

डिजिटल इंडिया मिशन ने 10 साल पूरे किए।

डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में

- डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत **2015** में हुई थी। इसका लक्ष्य भारत को **डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था** में बदलना है।
  - यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम** है, जिसमें कई सरकारी मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। इसका समग्र समन्वय **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** करता है।
  - यह **तीन विज़न क्षेत्रों** की पहचान करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)

डिजिटल इंडिया के तहत प्रमुख उपलब्धियां

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, **भारत अब अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में विश्व में तीसरे स्थान** पर है।
- **कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर: उदाहरण के लिए- भारतनेट परियोजना** के तहत **2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट** से जोड़ा गया है।
- **डिजिटल फाइनेंस और वित्तीय समावेशन:** उदाहरण के लिए- वर्ष 2023 में वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स में भारत की **49%** हिस्सेदारी थी। **UPI अब 7 से अधिक देशों में लागू** है।
- **रणनीतिक तकनीकी क्षमताओं का विकास:** इंडियाAI मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिल रही है।
- **ई-गवर्नेंस:** कर्मयोगी भारत iGOT प्लेटफॉर्म के जरिए **नौकरशाहों को डिजिटल ट्रेनिंग** दी जा रही है। **UMANG/ उमंग ऐप** के माध्यम से **केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंच** रही हैं।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियां

- **डिजिटल डिवाइड**: 2023 तक लगभग 66.5 करोड़ भारतीय इंटरनेट से नहीं जुड़े थे (इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्ययन)।
- **साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं**: जैसे, वित्त वर्ष 2020 से 2024 के बीच साइबर फ्रॉड के 5,82,000 मामले दर्ज किए गए जिनमें लगभग 3,207 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।
- **यूजर में शिक्षा की कमी**: डिजिटल तकनीकों और ऑनलाइन सुरक्षा प्रणालियों के बारे में यूजर्स को पर्याप्त जानकारी नहीं होना एक बड़ी चुनौती है।
- **कार्यान्वयन में देरी**: केबल बिछाने की धीमी गति और अन्य लॉजिस्टिक चुनौतियों की वजह से कारण डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बढ़ाएं आ रही हैं।

निष्कर्ष

पिछले एक दशक में **डिजिटल इंडिया मिशन** ने **डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और ई-गवर्नेंस** को उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाया है। हालांकि, **डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी** जैसी चुनौतियां यह दर्शाती हैं कि सभी को समान रूप से डिजिटल सेवाएं प्राप्त करने, यूजर्स में जागरूकता फ़ैलाने और कार्यक्रमों के सही से क्रियान्वयन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.10. इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट्सी कोड (IBC), 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI) ने IBBI (इनसॉल्वेंसी रेसोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉरपोरेट पर्सनल) विनियम, 2016 में संशोधन को अधिसूचित किया

इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्ट्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (IBBI) द्वारा संशोधन

- **कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के लिए संशोधित फॉर्म: इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IPs) पर अनुपालन बोझ** कम होगा और एक मानकीकृत मासिक रिपोर्टिंग चक्र शुरू किया जाएगा।
- **रेजोल्यूशन प्लान में लोचशीलता: रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को न केवल संपूर्ण कंपनी के लिए बल्कि इसकी एक या अधिक परिसंपत्तियों की बिक्री** के लिए भी रेजोल्यूशन प्लान आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के बारे में

- यह **कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और एकल व्यक्तियों** की वित्तीय दिवालिया की पुनर्संरचना करने और दिवालियापन से जुड़े मुद्दे के समाधान से संबंधित कानूनों का एकीकरण और संशोधन करती है।
- यह **संहिता ऐसे कॉर्पोरेट व्यक्ति के लिए, जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं** किया है, को अपने व्यवसाय से स्वैच्छिक से बाहर निकलने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करती है।

IBC से जुड़ी चुनौतियां

- IBC के अंतर्गत लगभग **13,000 मामले लंबित** हैं, जिनमें से **2,073 मामलें कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रियाओं से** गुजर रहे हैं।
- IBC मामलों के निपटाने के लिए न्यायिक पीठों की संख्या कम हैं। साथ ही सही मामलों की पहचान करने एवं इन्हें समाधान के लिए स्वीकृति देने में भी देरी होती है।

- दिवाला समाधान प्रक्रिया में **वित्तीय रिकवरी दर में गिरावट** दर्ज की गई है है। **वित्तीय रिकवरी दर मार्च 2019 की 43% से घटकर सितंबर 2023 में 32%** रह गई।
- दिवाला मामलों के समाधान में **लगाने वाला औसत समय 324 दिन से बढ़कर 653 दिन** हो गया है, जबकि इसके लिए **निर्धारित समय अवधि 330 दिन** ही है।
- **ऋणदाताओं को भारी नुकसान:** 70% से अधिक मामलों में ऋणदाता संस्थाओं को अपने मूलधन में 80% का नुकसान (हेयरकट) सहना पड़ा है।

आगे की राह

- **IBBI द्वारा प्रस्तावित सुधारों को लागू करना:**
  - NCLT की पीठों की संख्या और दावा पेश करने की समय-सीमा को बढ़ाना।
  - घर खरीदारों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों (ARs)[9] को ऋणदाताओं की एक श्रेणी के लिए दिवाला प्रक्रिया में विस्तारित भूमिका प्रदान की गई है।
  - समीक्षा के पश्चात प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) विकल्प को सभी कॉर्पोरेट इकाइयों के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।
  - विशिष्ट क्षेत्रकों के लिए विशेष समाधान फ्रेमवर्क की शुरुआत करना।
  - विवाद निपटान के रूप में IBC के तहत स्वैच्छिक मध्यस्थता तंत्र को चरणबद्ध रूप से लागू करना (टी.के. विश्वनाथन समिति की सिफारिश)।

निष्कर्ष

हालांकि, IBC ने समयबद्ध प्रक्रियाओं और एग्जिट व्यवस्था के माध्यम से भारत में दिवाला समाधान प्रणाली को मजबूत बनाया है, तथापि इसमें अब भी कई गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे- केस का भारी बैकलॉग, घटती वसूली दरें और समाधान में लगने वाला अधिक समय। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्वरित सुधार आवश्यक हैं, जिनमें NCLT पीठों का विस्तार, क्षेत्र-विशेष रूपरेखाएं और स्वैच्छिक मध्यस्थता तंत्र शामिल हैं।

3.11. अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना {Research Development and Innovation (RDI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना' को मंजूरी दी

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु **कम/ शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण या पुनर्वित्त** प्रदान करना।
- **मुख्य उद्देश्य**
  - **ऐसी नई और बदलाव लाने वाली तकनीकी परियोजनाओं** को वित्त-पोषित करना, जो **विकास के अंतिम चरण में** हों। साथ ही, जल्द ही **व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल के लिए तैयार** हों।
  - **महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में सहायता करना।**
  - **डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स** की स्थापना में सहायता करना।
- **दो-स्तरीय वित्त-पोषण तंत्र**
  - **विशेष प्रयोजन निधि (SPF): अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)** के भीतर स्थापित करना। यह **निधियों के संरक्षक** के रूप में कार्य करेगी।
  - **द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधक: SPF से प्राप्त धनराशि को दीर्घकालिक रियायती ऋण या इक्विटी फंडिंग (स्टार्ट-अप के लिए)** के रूप में यहां आवंटित किया जाएगा।
- **रणनीतिक दिशा:** इसे **ANRF का गवर्निंग बोर्ड** तय करेगा, जिसकी अध्यक्षता **प्रधान मंत्री** करेंगे।
- **नोडल विभाग:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

[9] Authorized Representatives

निष्कर्ष

अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य डीप-टेक और अत्यावश्यक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। यह योजना दीर्घकालिक व कम ब्याज दर वाली वित्तीय सहायता के माध्यम से भारत के नवाचार परिवेश को मजबूत करने और तकनीकी आत्मनिर्भरता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नोट: अनुसंधान और विकास के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, 2025 Mains 365 अर्थव्यवस्था डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 12.2.1 देखें।

3.12. चीन द्वारा दुर्लभ भू-धातुओं के निर्यात पर नियंत्रण (China's Rare Earth Elements Export Control)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशुल्क/ टैरिफ बढ़ाने के जवाब में **सात दुर्लभ भू-धातुओं (REEs)[10] और मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

दुर्लभ भू-धातु (REEs) क्या हैं?

- **परिभाषा:** ये REEs महत्वपूर्ण खनिजों का एक उपसमूह हैं, जिसमें आवर्त सारणी में 17 तत्व शामिल हैं (57 से 71 तक)। इन तत्वों में **उच्च घनत्व और उच्च चालकता** जैसे समान गुण मौजूद हैं। **उदाहरण के लिए-** सेरियम (Ce), डिस्प्रोसियम (Dy), एर्बियम (Er), यूरोपियम (Eu), गैडोलीनियम (Gd), होल्मियम (Ho), लैंटानम (La), आदि।

दुर्लभ भू-धातु (REEs) के हालिया निर्यात नियंत्रण का भू-रणनीतिक महत्व

- **टैरिफ युद्ध में बढ़त हासिल करना:** अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी का प्रतिउत्तर।
- **क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर प्रभाव:** जैसे- इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणाली और जेट इंजन।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** REEs की आपूर्ति में कमी के कारण **संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, वियतनाम, जर्मनी** जैसे देशों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है।
- **चीन द्वारा REEs का सैन्यीकरण:** 2023 और 2025 के बीच, चीन ने **कई स्ट्रेटेजिक मैटेरियल्स** के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया।
- **विविधीकरण की ओर वैश्विक बदलाव:** उदाहरण के लिए, री-शोरिंग और फ्रेंड-शोरिंग।

REE के निर्यात पर चीन के नियंत्रण का भारत के हितों पर प्रभाव

- **आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** 2022 में भारत के आयात मूल्य में चीन का हिस्सा 81 प्रतिशत था।
- हरित ऊर्जा और EV महत्वाकांक्षाओं में देरी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी विनिर्माण के लिए उच्च लागत।

REEs के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के वैश्विक प्रयास

- **2019 में क्रिटिकल मिनरल्स मैपिंग इनिशिएटिव (CMMI) की शुरुआत:** इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त प्रयास से शुरू की है।
- **क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समिति:** इसे दुर्लभ भू-धातुओं जैसे क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स के उचित प्रबंधन के लिए रोडमैप बनाने का कार्य सौंपा गया है।
- **मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP):** यह एक बहुपक्षीय समूह है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

REEs के उत्पादन के लिए भारत में शुरू की गई पहलें

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की शुरुआत**: इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुरक्षित करना है।

[10] Rare Earth Elements

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** इस अधिनियम के तहत अब निजी कंपनियों को REEs सहित क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग:** जैसे कि **भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप**।
- **खोज संबंधी प्रयास: परमाणु ऊर्जा विभाग ने राजस्थान के बालोतरा में इन-सीटू रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑक्साइड (REO) का एक बड़ा भंडार** खोजा है।

निष्कर्ष

जैसा कि भारत के प्रधान मंत्री ने बल दिया, महत्वपूर्ण खनिजों और प्रौद्योगिकी के लिए विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इन संसाधनों का दुरुपयोग स्वार्थपूर्ण लाभ या भू-राजनीतिक दबाव के उपकरण के रूप में न हो।

3.13. विकास हेतु निवेश सुविधा समझौता (Investment Facilitation for Development Agreement: IFDA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में **चीन के नेतृत्व वाले IFDA के प्रस्ताव का विरोध** किया है।

IFDA के बारे में

- **उत्पत्ति:** चीन तथा कुछ अन्य विकासशील एवं अल्पविकसित देशों (LDCs) ने 2017 में पहली बार WTO में IFDA का प्रस्ताव किया था।
- **उद्देश्य:** विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और LDCs में सतत विकास को बढ़ावा हेतु, **FDI के वैश्विक प्रवाह को बढ़ाने के लिए** एक बाध्यकारी प्रावधान स्थापित करना।
- **प्लुरिलेटरल समझौता:** IFDA समझौता प्लुरिलेटरल प्रकृति का है। इसका मतलब है कि यह केवल उन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा जो इसे स्वीकार करते हैं। WTO के सभी सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं।
- **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत पर आधारित**।

भारत IFDA का विरोध क्यों कर रहा है?

- **अधिकार क्षेत्र और संरचना को लेकर चिंता:** भारत का मानना है कि **निवेश, "व्यापार" संबंधी मुद्दा नहीं है।** ऐसे में WTO के पास निवेश मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है।
- **प्लुरिलेटरल का विरोध:** भारत प्लुरिलेटरल अप्रोच को WTO के मल्टीलेटरल सिद्धांत के लिए खतरा मानता है। साथ ही **प्लुरिलेटरल अप्रोच, WTO के दोहा विकास एजेंडा के भी प्रतिकूल** है।
- **IFDA का चीन द्वारा नेतृत्व करने को लेकर चिंताएं:** चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** की वजह से कई देशों को ऋण संकट में फंसना पड़ा है। साथ ही, चीन के नेतृत्व वाली किसी पहल के पीछे हमेशा सामरिक उद्देश्य भी होता है।
- **संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:** यह समझौता विदेशी कॉर्पोरेट लॉबिंग को बढ़ावा दे सकता है और कम शक्तिशाली देशों की राष्ट्रीय विनियामक संस्थाओं की शक्तियों को सीमित करते हुए उन पर कूटनीतिक दबाव डाल सकता है।

IFDA के संभावित लाभ

- **निवेश में सुधार:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश में सुधार को बढ़ावा देता है, जिससे निवेश व्यवस्था में सुधार होता है।
- **वैश्विक मानक:** विनियामकीय अनिश्चितता को कम करने के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करता है।
- **क्षमता निर्माण:** कार्यान्वयन और लाभ के लिए अल्प विकसित देशों (LDCs) को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** WTO के अनुसार, समझौते की शर्तों के आधार पर वैश्विक कल्याण में 0.63% से 1.73% तक की वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

IFDA पर बहस निवेश सुविधा के लाभों और संप्रभुता संबंधी चिंताओं के बीच जारी तनाव को उजागर करती है। यह समझौता जहां एक ओर आर्थिक लाभ और मानकीकृत निवेश ढांचे की संभावना प्रस्तुत करता है, वहीं भारत का विरोध क्षेत्राधिकार से जुड़ी चिंताओं और चीन के नेतृत्व को लेकर सतर्कता को दर्शाता है।

3.14. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **तेलंगाना के निजामाबाद** में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में

- **मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** हल्दी से जुड़े मामलों में दिशा-निर्देश देना, विकास प्रयासों को मजबूत करना, और हल्दी क्षेत्रक के विकास व संवृद्धि के लिए स्पाइसेज बोर्ड व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करना।
- **संरचना:** अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), प्रमुख मंत्रालयों के सदस्य, तीन राज्यों से (रोटेशन आधार पर) राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि। अनुसंधान में शामिल चयनित राष्ट्रीय/ राज्य संस्थान और हल्दी किसानों व निर्यातकों के प्रतिनिधि।
- **भूमिका:**
    - अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना,
    - निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन करना,
    - हल्दी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना,
    - हल्दी की उपज में सुधार करना, और
    - बाजारों का विस्तार करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करना।

हल्दी के बारे में

- इसे आमतौर पर **"सुनहरा मसाला"** भी कहा जाता है। अच्छी जल निकासी वाली रेतीली या चिकनी दोमट मिट्टी के साथ उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में उगाई जाती है।
- इसमें **एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण** होते हैं।
- **भारत: विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक** देश है। वैश्विक हल्दी उत्पादन का **70% हिस्सा भारत उत्पादित** करता है।
- **प्रमुख राज्य:** तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
- **भारत में GI टैग वाली हल्दी:** इरोड मंजल, सांगली, वाईगाँव, लाकाडोंग।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना हल्दी के उत्पादन और व्यापार में भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। यह बोर्ड अनुसंधान, नवाचार और बाजार विस्तार को बढ़ावा देकर मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने, किसानों को सशक्त करने और इस महत्वपूर्ण 'स्वर्ण मसाले' की पूर्ण आर्थिक क्षमता को उजागर करने का प्रयास करेगा।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़
✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र ✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
2025 | ENGLISH MEDIUM 10 AUGUST | हिन्दी माध्यम 10 अगस्त
2026 | ENGLISH MEDIUM 10 AUGUST | हिन्दी माध्यम 10 अगस्त
VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

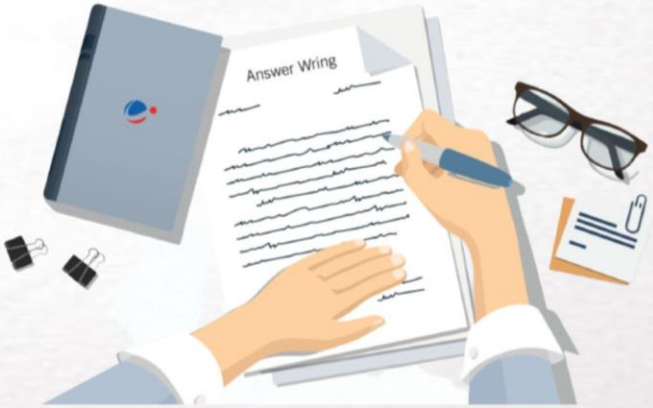

2026	ENGLISH MEDIUM 10 AUGUST	हिन्दी माध्यम 10 अगस्त

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

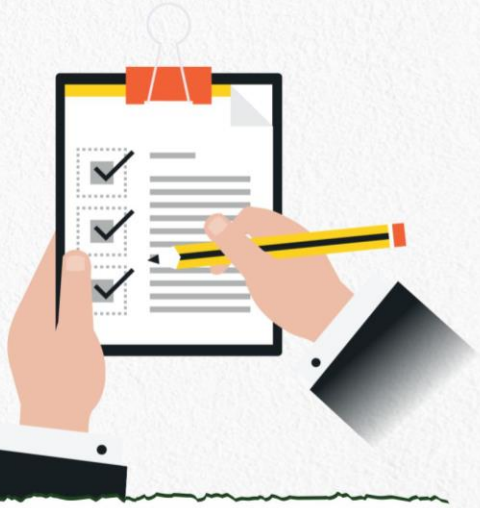

2025	ENGLISH MEDIUM 10 AUGUST	हिन्दी माध्यम 10 अगस्त

2026	ENGLISH MEDIUM 10 AUGUST	हिन्दी माध्यम 10 अगस्त

4. पर्यावरण (Environment)

4.1. परिवहन क्षेत्रक का डीकार्बोनाइजेशन: एक नज़र में (Decarbonizing Transport Sector at A Glance)

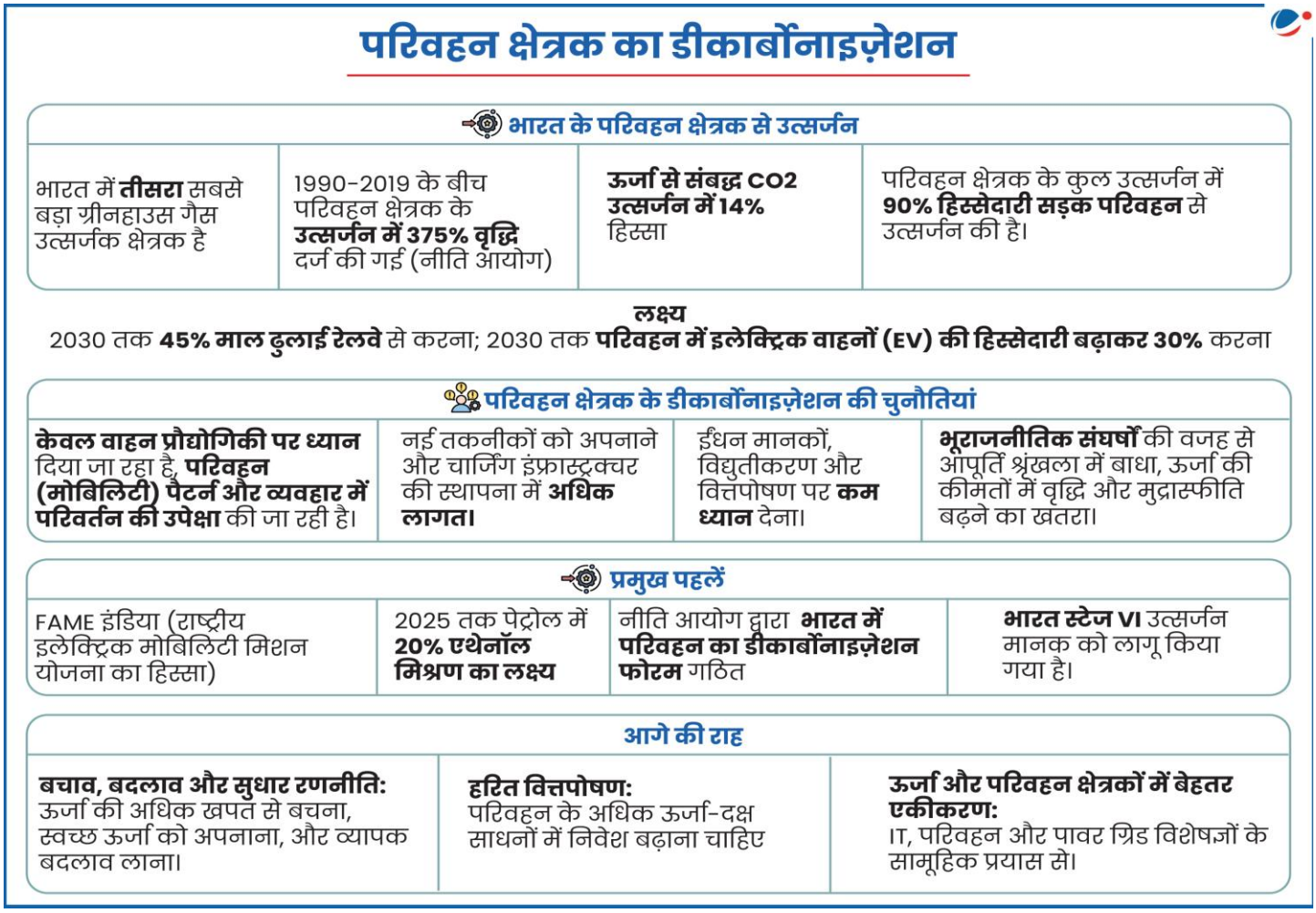

4.2. भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना" (SPMEPCI) के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए।

इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) के बारे में

- ये ऐसे वाहन हैं जो **विद्युत मोटर** द्वारा संचालित होते हैं, और जिन्हें **रिचार्जेबल बैटरी पैक से ऊर्जा** प्राप्त होती है।
- **प्रकार: बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन** (पूरी तरह से बैटरी से संचालित); **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन** (जिनमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों होते हैं); **फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन** (जो 'फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी' का उपयोग करके संचालन हेतु बिजली उत्पन्न करते हैं) आदि।
- **आंतरिक दहन इंजन वाहनों (ICE) की तुलना में EVs के लाभ:** जीरो टेलपाइप उत्सर्जन (किसी शहर में EV की बिक्री में 1% की वृद्धि से CO_2 उत्सर्जन में स्थानीय स्तर पर 0.096% की कमी आ सकती है); उच्च ऊर्जा दक्षता; रखरखाव की कम लागत; चलते वक्त अधिक आवाज नहीं; कम पंजीकरण शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कम रोड टैक्स, आदि।

भारत में ई-मोबिलिटी की स्थिति

- **4.4 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पंजीकृत** (अगस्त 2024), बाजार में प्रवेश करने वाले कुल वाहनों में 6.6% इलेक्ट्रिक वाहन।
- कुल वाहन बिक्री में **EV** का योगदान 1% से भी कम है {ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)}।
- EV उद्योग के 2030 तक लगभग 47% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है।

ई-मोबिलिटी को अपनाने में चुनौतियां

- **चार्जिंग स्टेशनों की कमी** हैं और ऐसे वाहनों को चार्ज करने में अधिक समय लगता है।
- EVs खरीदने की प्रारंभिक लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि बैटरियां महंगी होती हैं।
- EVs के उत्पादन हेतु आवश्यक **कोबाल्ट, लिथियम और निकल जैसे प्रमुख तत्वों के आयात पर अधिक निर्भरता** है।
- लगभग 90% प्रयुक्त बैटरियां या तो **असंगठित उद्योग द्वारा रीसायकल** की जाती हैं या फिर लैंडफिल और कूड़ाघरों में फेंक दी जाती हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सरकारी पहलें

- **पी.एम. ई-ड्राइव/ E-DRIVE):** इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को तेज़ी से अपनाने के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना; EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना; पर्यावरण पर परिवहन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
  - पीएम ई-ड्राइव का मुख्य फोकस **इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2Ws), इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (e-3Ws), इलेक्ट्रिक-एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक, ई-बस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) टेस्टिंग** पर है। वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन हैं।
  - उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंतिम उपयोगकर्ताओं) को **इलेक्ट्रिक वाहनों की कुछ श्रेणियों को खरीदने के लिए मांग रूपी प्रोत्साहन** प्रदान की जाती है।
  - पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान और टेस्टिंग एजेंसियों का अपग्रेड करना।
- **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना:** इसका उद्देश्य वैश्विक EV विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करना और भारत को यात्री कारों का विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है।
- **आवेदक** को विदेशों में **पूरी तरह विनिर्मित इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों (e-4W)** को कम प्रशुल्क दर पर आयात करने की अनुमति होगी।
- **अन्य:** राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP) 2020, EV30@30 अभियान आदि चलाए जा रहे हैं।

आगे की राह

- ऐसी **राष्ट्रीय नीति बनाई** जानी चाहिए जिसमें बार-बार परिवर्तन नहीं किये जाए और **वित्त-पोषण उपलब्ध कराना** चाहिए (EVs को प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत लाना चाहिए)।
- महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और संचालित करने में सहायता प्रदान की जा सकती है।
- विशेष विनिर्माण हब और औद्योगिक पार्क स्थापित करना चाहिए तथा **बैटरी मानकीकरण और मानक चार्जर की संभावनाओं पर विचार** करने के लिए शोध करना चाहिए ।

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लक्ष्यों को आर्थिक विकास के साथ जोड़कर, भारत स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहनों को अपनाने में विश्व में अग्रणी देश के रूप में उभर सकता है, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन और संधारणीय शहरी विकास सुनिश्चित कर सकता है।

4.3. रासायनिक अपशिष्ट और प्रदूषण (Chemicals Waste and Pollution)

सुर्ख़ियों के क्यों?

हाल ही में, रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का निर्णय **2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा अपनाए गए एक संकल्प** के बाद लिया गया था।

अन्य संबंधित तथ्य

- नया पैनल राष्ट्रों को **रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति-प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह** भी प्रदान करेगा।
- यह पैनल **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं पर विज्ञान-नीति मंच (IPBES)** के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहाकारी मंच है।

रासायनिक अपशिष्ट क्या है?

- **रासायनिक अपशिष्ट** से तात्पर्य औद्योगिक, कृषि, प्रयोगशाला और घरेलू प्रक्रियाओं से उत्पन्न रसायनों या उप-उत्पादों से है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं।
- इनमें **कीटनाशक, विलायक, भारी धातुएं और दवाइयां** जैसे खतरनाक पदार्थ शामिल होते हैं।
- **बेसल कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन** जैसे समझौतों के तहत इन अपशिष्टों का प्रबंधन किया जाता है।

रासायनिक अपशिष्ट से जुड़ी चिंताएं

- लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह, जैसे- पॉइजनिंग, क्रोनिक बीमारियां, कैंसर, विकास संबंधी विकार और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं।
- **पर्यावरण प्रदूषण:** जैसे, दीर्घस्थायी जैविक प्रदूषक (POPs) का जीवों में संचित होते रहना, जो खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है।
- खतरनाक अपशिष्टों को गैर-कानूनी तरीके से और ढीले नियमों वाले विकासशील देशों में निपटान या निर्यात करना।
- **रासायनिक पदार्थों से जुड़े कार्य में लोगों के लिए खतरे;** जैसे उचित प्रशिक्षण या सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के कारण इन हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने का खतरा।

भारत में रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां

- **हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016** जैसे कानूनों को सही से लागू नहीं किया जा रहा है।
- **प्रबंधन और प्रसंस्करण में अनौपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व।**
- **अवसंरचना की कमी,** जैसे खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं (TSDFs) की कम संख्या, वैज्ञानिक लैंडफिल का अभाव।
- **रासायनिक अपशिष्ट के उत्पादन, उपचार और आवाजाही** पर विश्वसनीय आंकड़ों की कम उपलब्धता, जो सही नीति-निर्माण में समस्या उत्पन्न करती है।

निष्कर्ष

भारत को अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े **कानूनों को सख्ती से लागू करना** चाहिए, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु **आधुनिक अवसंरचनाओं का निर्माण** करना चाहिए, अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करना चाहिए और अपशिष्टों की वैज्ञानिक तरीके से निगरानी को बढ़ावा देना चाहिए। रासायनिक अपशिष्टों के प्रबंधन पर विश्व के अन्य देशों के श्रेष्ठ उदाहरणों का अध्ययन करना चाहिए और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इनके अलावा, रासायनिक अपशिष्ट से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने, लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

4.4 सतत विकास (Sustainable Development)

सतत विकास पर भारत की प्रगति (2025 सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार)

- सतत विकास रिपोर्ट (2025) में पहली बार **भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर आकर SDG सूचकांक के शीर्ष 100 में शामिल** हो गया है। भारत 2021 में **120वें स्थान पर** था।
- भारत **SDG-1 से SDG-10** तक SDG उपलब्धियों को बनाए रखने के ट्रैक पर है।

भारत के प्रदर्शन के प्रमुख संकेतक (2025 SDR के अनुसार)	
SDG-1 (निर्धनता का उन्मूलन)	कुल आबादी का **5.5%** हिस्सा ऐसा है, जो प्रतिदिन $3.65 से कम पर जीवन यापन कर रहा है।
SDG-2 (शून्य भुखमरी)	कुपोषण का प्रसार- **13.7%**
SDG-3 (उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण)	मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति 100,000 जीवित जन्म पर) **80.5** है।
SDG-5 (लैंगिक समानता)	निवल प्राथमिक नामांकन दर- **99.9%**
SDG-5 (लैंगिक समानता)	महिला-पुरुष श्रम बल भागीदारी दर का अनुपात - **43%** संसद में महिलाओं द्वारा धारित सीटें - **14%**
SDG-6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता)	न्यूनतम बुनियादी पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाली आबादी- **93%**
SDG-7 (किफायती और स्वच्छ ऊर्जा)	बिजली तक पहुंच वाली जनसंख्या- **99%** खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच वाली जनसंख्या- **74%**
SDG-9 (उद्योग, नवाचार और अवसंरचना)	सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़कों तक पहुंच वाली ग्रामीण जनसंख्या- **99%** इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी- **56%**
SDG-10 (असमानता कम करना)	भारत में गिनी गुणांक **34.8**

4.4.1 सतत विकास के लिए वित्त-पोषण {Financing For Sustainable Development (SD)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विकास के लिए वित्त-पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (FFD4)** में अंतिम निष्कर्ष दस्तावेज़ **"कम्प्रोमिसो डी सेविले" (सेविले प्रतिबद्धता)** को अपनाया गया। इसका उद्देश्य **विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के दिशा में विद्यमान वित्त-पोषण की कमी को दूर** करना है।

पृष्ठभूमि

- **मॉन्टेरी कंसेंसस (2002)** ने **विकास के वित्त-पोषण पर पहला 'वैश्विक सहमति डॉक्यूमेंट"** प्रस्तुत किया था। इसमें मुख्य रूप से **आधिकारिक विकास सहायता (ODA) में वृद्धि,** सहायता का प्रभावी होना (पेरिस डिक्लेरेशन), IMF गवर्नेंस प्रणाली में सुधार, और नवोन्मेषी वित्त-पोषण तंत्र जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- इसके बाद **दोहा डिक्लेरेशन (2008)** ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बीच **मॉन्टेरी कंसेंसस की पुनः पुष्टि** की। आगे **अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (2015)** ने विकास के लिए वित्त-पोषण पर **एकीकृत राष्ट्रीय वित्त-पोषण फ्रेमवर्क्स (INFFs)[11], अल्पविकसित देशों के लिए टेक्नोलॉजी बैंक** की शुरुआत की।

[11] Integrated National Financing Framework

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण की आवश्यकता क्यों है?

- **SDGs वित्त-पोषण में कमी:** SDGs की आकांक्षाओं और उनके लिए उपलब्ध वित्त-पोषण के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अंतर हर साल **4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया है।
- **जलवायु वित्त में निवेश:** OECD, 2025 के अनुसार यदि देशों द्वारा **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)** को और सशक्त बनाया जाए, तो **ऊर्जा क्षेत्रक में निवेश 2022 से 2030 के बीच 40% तक बढ़ने की संभावना है।**
- **संपत्ति असमानता:** उदाहरण के लिए- ऑक्सफैम, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की **सबसे अमीर 1% आबादी** के पास **शेष 95% वैश्विक आबादी** से भी अधिक संपत्ति है।
- **ऋण जाल:** सतत विकास के लिए वित्त-पोषण (FSDR) रिपोर्ट, 2023 के अनुसार **40% से अधिक चरम गरीब लोग** उन देशों में रहते हैं, जो **गंभीर ऋण संकट** से जूझ रहे हैं।

सतत विकास के लिए वित्त-पोषण में बाधाएं

- **घटता राजकोषीय व्यय:** UNCTAD के अनुसार, **46 विकासशील देश** (लगभग **3.4 बिलियन लोग) ब्याज भुगतान पर स्वास्थ्य या शिक्षा से अधिक खर्च** कर रहे हैं।
- **विशेष आहरण अधिकार (SDR) का असमान आवंटन:** उदाहरण के लिए- FSDR रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, कुल SDR आवंटन में से **विकसित देशों को 66%, अफ्रीका को केवल 5.2%, और अल्प विकसित देशों को मात्र 2.5%** प्राप्त होता है।
- **भू-आर्थिक विखंडन:** उदाहरण के लिए- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार **2020 से 2024** के बीच **24,000 से अधिक नए व्यापार एवं निवेश प्रतिबंध** लगाए गए थे।
- **लैंगिक अंतराल:** उदाहरण के लिए- **विनिर्माण क्षेत्रक में कुल रोजगार में महिलाओं की 40% से भी कम** हिस्सेदारी है। इसके अलावा, महिलाएं ज्यादातर उन क्षेत्रकों में काम करती हैं, जहां **मुनाफा, तकनीकी उपयोग और वेतन भी कम** होता है।

आगे की राह

- **सेविले प्रतिबद्धता के तहत निम्नलिखित नई वित्तीय व्यवस्थाएं घोषित की गई हैं:**
  - **ऋण संकट का समाधान करने के लिए: विकास के लिए ऋण-विनिमय (स्वैप) कार्यक्रम, डेट "पॉज क्लॉज़" अलायन्स और ऋण पर सेविले फोरम।**
    - उदाहरण के लिए, इटली ने डेब्ट फॉर डेवलपमेंट स्वैप कार्यक्रम के तहत अफ्रीकी देशों के ऋण दायित्वों को विकास परियोजनाओं में निवेश में परिवर्तित करने की पहल की है।
  - **विकास प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए:**
    - **मिश्रित वित्त-पोषण का विस्तार:** उदाहरण के लिए- **SCALED नामक एक मिश्रित वित्त-पोषण प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया गया है।
    - **उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कर प्रणाली (ब्राजील और स्पेन द्वारा नेतृत्व)**
  - **राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए**
    - **स्थानीय मुद्रा में ऋण वितरण को बढ़ाना:** उदाहरण के लिए- **FX EDGE टूलबॉक्स** (इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक) और **डेल्टा लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म** (यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक)।
    - **यूनाइटेड किंगडम और ब्रिजटाउन पहल के नेतृत्व वाला एक गठबंधन:** इसका उद्देश्य **आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व-व्यवस्थित वित्त-पोषण को 2035 तक कुल वित्त के 2% से बढ़ाकर 20%** तक करना है।
    - **सतत विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु भारत की सात-सूत्रीय रणनीति:** इस सात-सूत्रीय रणनीति में बहुपक्षीय बैंकों को मजबूत करना, क्रेडिट रेटिंग की पद्धतियों में सुधार करना, घरेलू वित्तीय बाजारों का विकास करना, जमीनी स्तर पर पूंजी उपलब्ध कराना, मिश्रित वित्त-पोषण को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, सार्वजनिक विकास बैंकों को मजबूत करना और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करना SDGs के अनुरूप वित्त-पोषण को दिशा देने के लिए आवश्यक हैं।

4.5. वाहन स्क्रैपिंग (Vehicle Scrapping)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने **स्वैच्छिक वाहन-आधुनिकीकरण कार्यक्रम** या **वाहन स्क्रैपिंग नीति** शुरू की है।

भारत में वाहन स्क्रैपिंग के बारे में

- **केंद्र सरकार ने 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति** की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 15-20 साल से अधिक पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाना है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके और नए वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके।
- **भारत में वाहन स्क्रैपिंग की वर्तमान स्थिति:**
  - 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 60 से अधिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSFs) तथा 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 75 स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATSs) चालू हैं।
  - 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने **सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपाजिट** के आधार पर खरीदे गए वाहन पर मोटर वाहन कर में रियायतों की घोषणा की है।

भारत में वाहन स्क्रैपिंग के लिए उठाए गए कदम

- **वाहनों का स्वैच्छिक आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (RVSFs) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATSs) के नेटवर्क के माध्यम से अनुपयोगी और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से संचालन से हटाने के लिए बेहतर व्यवस्था और सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - **वाहन फिटनेस टेस्ट में असफल होने वाले वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा** और वाहन मालिक को प्रमाण स्वरूप एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट (स्क्रैपेज सर्टिफिकेट) प्रदान किया जाएगा।
  - **आर्थिक प्रोत्साहन:** वाहन विनिर्माता अक्सर पुराने वाहन को स्क्रैप करने वाले ग्राहकों को नए वाहन खरीदने पर छूट प्रदान करते हैं।
- **एंड-ऑफ लाइफ व्हीकल नियम, 2025:** कोई भी वाहन जो अनुपयुक्त हो जाये, उसे 180 दिनों से अधिक नहीं रखा जा सकता।
- उपर्युक्त नियमों के तहत वाहन निर्माताओं के लिए **विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR)** अनिवार्य की गई है।

वाहन स्क्रैपिंग का महत्व

- **पर्यावरणीय: प्रदूषण में कमी:** पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित पुराने वाहन अधिक प्रदूषकों को उत्सर्जित करता है।
- **आर्थिक:** लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा (ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग को बढ़ावा देगा)।
- **सर्कुलर इकोनॉमी**: स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों से उपयोगी सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देगा जिससे कच्चे माल का खनन कम होगा।
- सड़क सुरक्षा और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

भारत में वाहन स्क्रैपिंग को प्रभावी तरीके से लागू करने के समक्ष चुनौतियां

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** ऑथराइज्ड रीसाइक्लिंग सेंटर्स के सुव्यवस्थित नेटवर्क का अभाव तथा स्क्रैपिंग के कार्य में असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व बड़ी चुनौतियां हैं।
- **सर्कुलर इकॉनमी पर अधिक ध्यान नहीं देना:** मानक रीसाइक्लिंग आपूर्ति श्रृंखला नहीं होने से स्क्रैपिंग का कार्य दक्षतापूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है एवं पुराने वाहनों की उपयोगी सामग्रियों को भी नहीं प्राप्त किया जाता है।
- **आर्थिक बाधाएं:** पुराने वाहनों को बेचने पर कम मूल्य मिलते हैं। साथ ही, नए और फ्यूल एफिशिएंट वाहन की कीमत काफी अधिक है। ऐसे में विशेष आर्थिक प्रोत्साहन नहीं मिलने से लोग पुराने वाहन स्क्रैप करने से बचते हैं।
- **नियमों को सही से लागू नहीं करना:** स्थानीय स्तर पर अधिक जांच नहीं होने और भ्रष्टाचार के कारण अक्सर पुराने वाहनों के लिए फर्जी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाते हैं। इस वजह से ये वाहन नियमों को धत्ता बताते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं।

आगे की राह

- **स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण:** स्क्रैपिंग सुविधाएं स्थापित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्क्रैप किए गए वाहनों से रीसाइकल्ड सामग्री प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर बल देना चाहिए, आदि।
- **वाहन स्क्रैपिंग प्रक्रिया को आसान बनाना:** स्क्रैपिंग केंद्रों को वाहन-मालिकों के लिए वन-स्टॉप सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहिए। पुराने वाहनों के पंजीकरण रद्द करने से लेकर सामग्रियों की रीसाइक्लिंग तक की सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी।

- **स्क्रैपिंग संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करना:** पुराने वाहनों के लिए नियमित और सख्त उत्सर्जन परीक्षण लागू करना चाहिए, अधिक पुराने वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, आदि।

निष्कर्ष

सरकार, उद्योग और नागरिकों की साझेदारी पर आधारित एक समन्वित दृष्टिकोण एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर में बदल सकता है, जो स्वच्छ सड़कों और टिकाऊ, हरित भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम होगा।

4.6. सस्टेनेबल कूलिंग (Sustainable Cooling)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार **एयर कंडीशनर (AC) के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच नियंत्रित करने पर विचार** कर रही है जो सस्टेनेबल कूलिंग की आवश्यकता को उजागर करता है।

सस्टेनेबल कूलिंग के बारे

- यह वास्तव में कूलिंग यानी शीतलन के लिए जलवायु-अनुकूल रेफ्रिजरेंट का उपयोग है।

कूलिंग के लिए संधारणीय तरीकों को अपनाने की आवश्यकता क्यों है?

- **दुष्चक्र जारी रहना**: ग्लोबल वार्मिंग के कारण कूलिंग प्रोद्योगकियों (एयर कंडीशनर इत्यादि) की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे उत्सर्जन और अधिक बढ़ेगा तथा पृथ्वी का तापमान और बढ़ता जायेगा।
- कूलिंग क्षेत्र से **लगभग 66% उत्सर्जन (2022) के लिए विकासशील देश जिम्मेदार** हैं {जो 2050 तक बढ़कर 80% से अधिक हो सकता है}।
- **उच्च बाजार क्षमता:** सस्टेनेबल कूलिंग का बाजार 2050 तक प्रति वर्ष 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
- **हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) रेफ्रिजरेंट का उपयोग:** ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं, जिनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO_2 से कहीं अधिक है।
- **सभी को सामान रूप से कूलिंग प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं होना**: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर वंचित और निम्न-आय वाले समुदाय, हीटवेव के दौरान सबसे अधिक खतरे का सामना करते हैं।

सस्टेनेबल कूलिंग के लिए पहलें

- **भारत की पहलें:** इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, 2019; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता; ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा **सुपर-एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कार्यक्रम** आदि।
- **वैश्विक पहलें**
  - **ग्लोबल कूलिंग संकल्प**: इसे COP-28 में UAE द्वारा शुरू किया गया था। इसके पक्षकार देश 2050 तक अपने यहां कूलिंग सिस्टम्स से उत्सर्जन को कम से कम 68% घटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
  - **कूल कोएलिशन:** इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सभी के लिए उपयोगी और जलवायु-अनुकूल कूलिंग सिस्टम उपलब्ध कराना है।
  - **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का किगाली संशोधन: इसका उद्देश्य** शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उत्पादन और खपत को कम करना है।

सस्टेनेबल कूलिंग के लिए आगे की राह

- **विनियमन एवं सुरक्षा उपाय**: कूलिंग सिस्टम्स के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत प्रदर्शन, दक्षता और संधारणीय मानकों को लागू करना चाहिए।
- **वित्त-पोषण**: सरकारी वित्त पोषण का विस्तार करना चाहिए; निजी पूंजी और आवश्यकता-आधारित वित्तपोषण मॉडल को पन्ना चाहिए। उदाहरण के लिए **सस्टेनेबल कूलिंग अपनाने के लिए लोगों को वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए**।
- **पारंपरिक कूलिंग पद्धतियों को अपनाना**:
  - सूक्ष्म जलवायु नियंत्रण (जैसे घर में बरामदा और आंगन का निर्माण), प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग (जालियां, झरोखे और छोटी खिड़कियों का निर्माण),

- **वाष्पीकरणीय कूलिंग** (घर के पास बावड़ियां और जलाशय बनाना), पेड़-पौधें आधारित कूलिंग (आंगन और घरों के चारों ओर पेड़ और बगीचे लगाना)।

निष्कर्ष

भारत सस्टेनेबल कूलिंग के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान और ऊर्जा दक्षता संहिताओं जैसी पहलों को अपनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कूलिंग प्रौद्योगिकियां ग्लोबल वार्मिंग में योगदान न दें बल्कि समाधान का हिस्सा बनें, वैश्विक सहयोग और समावेशी वित्तपोषण आवश्यक हैं।

4.7. क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग (Climate Resilient Farming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की **संसदीय प्राक्कलन समिति ने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जलवायु अनुकूल कृषि यानी प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को बढ़ावा** देने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अन्य संबंधित तथ्य

- संसदीय समिति ने **जैविक खेती के सिक्किम मॉडल** की सफलता को स्वीकार किया।
- सिक्किम मॉडल, **किसान उत्पादक संगठन (FPO) के गठन** को बढ़ावा देता है और किसानों को जैविक पदार्थों, गुणवत्तापूर्ण बीज/रोपण सामग्री, प्रशिक्षण, सहयोग और सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए समर्थन प्रदान करता है।
- **"जैविक पर्यटन" (आर्गेनिक टूरिज्म)** से भी किसानों के लिए आय के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं।

क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के बारे में

- इसके तहत कृषि में **अनुकूलन, शमन और अन्य पद्धतियों** को शामिल किया जाता है। इसके चलते जलवायु संबंधी व्यवधानों (सूखा, बाढ़ और गर्मी आदि) का सामना करने में कृषि प्रणाली की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों, जैसे- भूमि, जल, मिट्टी और आनुवंशिक संसाधनों का **विवेकपूर्ण तथा बेहतर प्रबंधन** किया जाता है।
- **इसका महत्त्व:**
  - कृषि क्षेत्रक भारत के लगभग 14% उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। {(UNFCCC को भारत द्वारा सौंपी गई **चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (BUR-4)**}
    - जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक वर्षा सिंचित धान, गेहूं, खरीफ मक्का की पैदावार में गिरावट दर्ज की जा सकती है। (जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने संबंधी रिपोर्ट)

समिति की मुख्य टिप्पणियां/ सिफारिशें:-

विषय	अवलोकन/ मुद्दे	सिफारिशें
वित्तीय आवंटन	सीमित बजट के कारण अनुकूलन प्रयास सीमित हो जाते हैं। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।	• **जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचारों (NICRA) के लिए वित्त-पोषण** में पर्याप्त वृद्धि करनी चाहिए। • सभी संवेदनशील जिलों तक जलवायु अनुकूलन सहायता पहुंचाने के लिए **चरणबद्ध एवं चक्रीय दृष्टिकोण** को अपनाना चाहिए। • **बाजार के साथ लिंकेज** को मजबूत करना और प्राकृतिक उपज के लिए प्रीमियम मूल्य निर्धारण तंत्र विकसित करना चाहिए।
जलवायु-प्रतिरोधी बीज किस्में	• नई बीज किस्मों के उपयोग में देरी, • सीमित वितरण नेटवर्क, • राज्य स्तर पर समन्वय में अंतराल आदि।	• **विकेंद्रीकृत बीज केंद्रों** की स्थापना और **बीज ग्राम कार्यक्रमों** को बढ़ावा देना चाहिए। • **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), राज्य सरकारों और बीज कंपनियों** के बीच समन्वय बढ़ाना चाहिए।

अन्य मुख्य सिफारिशें		
जैविक प्रमाणीकरण	विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच प्रमाणीकरण के बारे में जागरूकता का अभाव।	• **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) और सहभागी गारंटी प्रणाली (PGS-India) दोनों के लिए एकीकृत जैविक लेबल** का निर्माण करना चाहिए।
जैविक कृषि में बदलाव	पारंपरिक कृषि से जैविक कृषि की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत एवं विस्तारित समर्थन प्रणाली का अभाव।	• जैविक इनपुट के लिए **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन** में वृद्धि करनी चाहिए। • **स्थानीय मार्केटिंग चैनलों को बेहतर बनाने और डिजिटल पहुंच बढ़ाने** में निवेश करना चाहिए।
सुरक्षित कीट प्रबंधन पद्धतियां	कीटनाशकों का व्यापक और गैर-जिम्मेदाराना उपयोग, जिनके अंश विविध खाद्य उत्पादों में पाए जाने लगे हैं।	• रासायनिक कीटनाशकों के स्थायी विकल्प के रूप में **ICAR-राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो (NBAIR) द्वारा विकसित जैविक कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों** को अपनाने को प्रोत्साहन देना चाहिए।

निष्कर्ष

संसदीय समिति की रिपोर्ट जलवायु-अनुकूल, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मजबूत वित्तीय, संस्थागत और बाजार समर्थन की आवश्यकता पर बल देती है। सिक्किम मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, यह बेहतर वित्तपोषण, बीज उपलब्धता अवसंरचना के निर्माण, प्रमाणन की जरूरत और कीट प्रबंधन पर बल देती है।

4.8. वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) {Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2025 में **वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के 50 वर्ष** पूरे हुए।

CITES के बारे में

- **स्थापना:** इस कन्वेंशन का विचार सबसे पहले **1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** की बैठक में आया था। **यह 1975 में लागू हुआ और यह अपनी तरह का पहला वैश्विक समझौता** था।
- **उद्देश्य:** यह सरकारों के बीच एक **स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **वन्य जीवों और पादपों के नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा** न बने।
- **सचिवालय:** इसे **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड)** से संचालित किया जाता है।
- **पक्षकार (Parties):** इसमें **185** देश या क्षेत्रीय आर्थिक संगठन शामिल हैं। **भारत ने 1976 में इसकी अभिपुष्टि** की थी।
    - हालांकि CITES **सभी पक्षकारों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी** है, लेकिन यह किसी देश के राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है, बल्कि प्रत्येक देश इसे अपने **राष्ट्रीय कानूनों** के जरिए लागू करता है।

CITES की मुख्य पहलें:

- CITES अपने परिशिष्टों के माध्यम से प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की **40,000 से अधिक प्रजातियों की रक्षा** करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **MIKE कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम **1997 में जिम्बाब्वे के हरारे में हुई 10वीं CoP बैठक** में पारित एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **अफ्रीका और एशिया में हाथियों के अवैध शिकार** की प्रवृत्तियों की निगरानी करना है। यह **साइट-आधारित प्रणाली** पर कार्य करता है।
    - भारत में MIKE स्थलों के उदाहरण हैं- चिरांग-रिपु हाथी अभयारण्य; दिहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य।
- **रणनीतिक विजन 2021–2030:** यह CITES के उन प्रयासों का मार्गदर्शन करता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वन्यजीवों का व्यापार वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करे।
- **CITES ट्री स्पेसीज प्रोग्राम (CTSP):** इसका उद्देश्य CITES में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियों के संधारणीय और कानूनी व्यापार का समर्थन करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अपराध-रोधी संघ (ICCWC)[12], 2010:** यह वन्यजीव व्यापार से संबंधित आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करता है और वन्यजीव एवं वन से जुड़े अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित समर्थन प्रदान करता है।

निष्कर्ष

CITES अपनी विकसित होती रणनीतियों, MIKE कार्यक्रम और ICCWC जैसे सहयोगी तंत्रों तथा सदस्य देशों द्वारा लागू किए गए मजबूत कानूनी प्रावधानों के माध्यम से, जैव विविधता की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता आ रहा है।

[12] International Consortium on Combating Wildlife Crime

4.9. महासागर संरक्षण (Ocean Conservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तीसरा 'संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC-3)' **'नीस ओशन एक्शन प्लान' अपनाने के साथ संपन्न** हुआ। UNOC-3 का आयोजन **फ्रांस के नीस शहर** में किया गया। यह सम्मेलन **फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित** किया गया।

एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु

- एक **वैश्विक रोडमैप** अपनाया गया जिसका उद्देश्य **SDG-14 की प्राप्ति को समर्थन** देना है। **SDG 14 का उद्देश्य महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग** सुनिश्चित करना है।
- **प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते** तैयार करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- महासागरों और उन पर निर्भर तटीय समुदायों पर **जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रभावों को कम करने** के लिए वैश्विक समन्वित कार्रवाई अपनाने की मांग की गई।

महासागर के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- **विश्व का 35% मत्स्य संसाधन असंधारणीय तरीके से दोहन** किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है, आनुवंशिक विविधता में कमी आ रही है, और यहां तक कि वाणिज्यिक व गैर-वाणिज्यिक मत्स्य संसाधनों में गिरावट दर्ज की जा रही है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर का प्रभाव विश्वभर में 1 अरब लोगों पर पड़ रहा है।
- प्रत्येक वर्ष 80 से 100 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक महासागरों में पहुंच जाता है, और **कुल समुद्री प्रदूषण का लगभग 80% प्लास्टिक अपशिष्ट** होता है।
- जून 2025 तक, केवल 8.3% महासागर को **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)** घोषित किया गया है।
- समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, **महासागरीय अम्लीकरण** जैसी कई वजहों से **जीव-जंतुओं के आश्रय** नष्ट हो रहे हैं।

महासागर संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- **30 बाय 30 लक्ष्य:** कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क(GBF) के तहत 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागरीय क्षेत्रों का संरक्षण करके जैव विविधता के ह्रास को रोकने का लक्ष्य रखा गया है।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)**: उदाहरण के तौर पर भारत में मन्नार की खाड़ी, मालवण और सुंदरबन को समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये क्षेत्र तटीय और द्वीपीय जैव विविधता के महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करते हैं।
- **BBNJ समझौता**: इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण** और संधारणीय उपयोग को विनियमित करना है।
- **क्षेत्र-आधारित अन्य प्रभावी संरक्षण उपाय**: उदाहरणस्वरूप- पवित्र तटीय उपवन, विनियमन के तहत पारंपरिक मत्स्यन क्षेत्र, नौसैनिक गतिविधियां रहित क्षेत्र जो अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता संरक्षण में सहायक होते हैं।

आगे की राह

- **वित्त-पोषण में वृद्धि**: सरकारी, अनुदान-आधारित और रियायती वित्त-पोषण, गैर-ऋण वित्तपोषण स्रोत तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों से अन्य प्रकार के रियायती वित्त-पोषण जुटाने चाहिए।
- **जैव विविधता हेतु महासागर का प्रबंधन**: समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए और वन्यजीवों के संवेदनशील आश्रयों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- **महासागर, जलवायु और जैव विविधता के अंतर्संबंधों का लाभ उठाना**: विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और राष्ट्रीय रणनीतियों के तहत समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए।
- **एकीकृत भूमि-स्वच्छ जल-समुद्र दृष्टिकोण लागू करना**: इसे स्रोत-से-समुद्र (S2S) या रिज-से-रीफ दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है।

निष्कर्ष

तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC3) के परिणाम, विशेष रूप से नीस ओशन एक्शन प्लान की स्वीकृति, इस बात का संकेत हैं कि महासागर अभिशासन के लिए सहयोगात्मक, विज्ञान-सम्मत और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को लेकर वैश्विक सहमति तेजी से मजबूत हो रही है।

4.10. वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन (Forest Ecosystem Restoration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जैव विविधता अभिसमय (CBD) के सचिवालय ने **वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पहल (FERI)**[13] के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ मनाई।

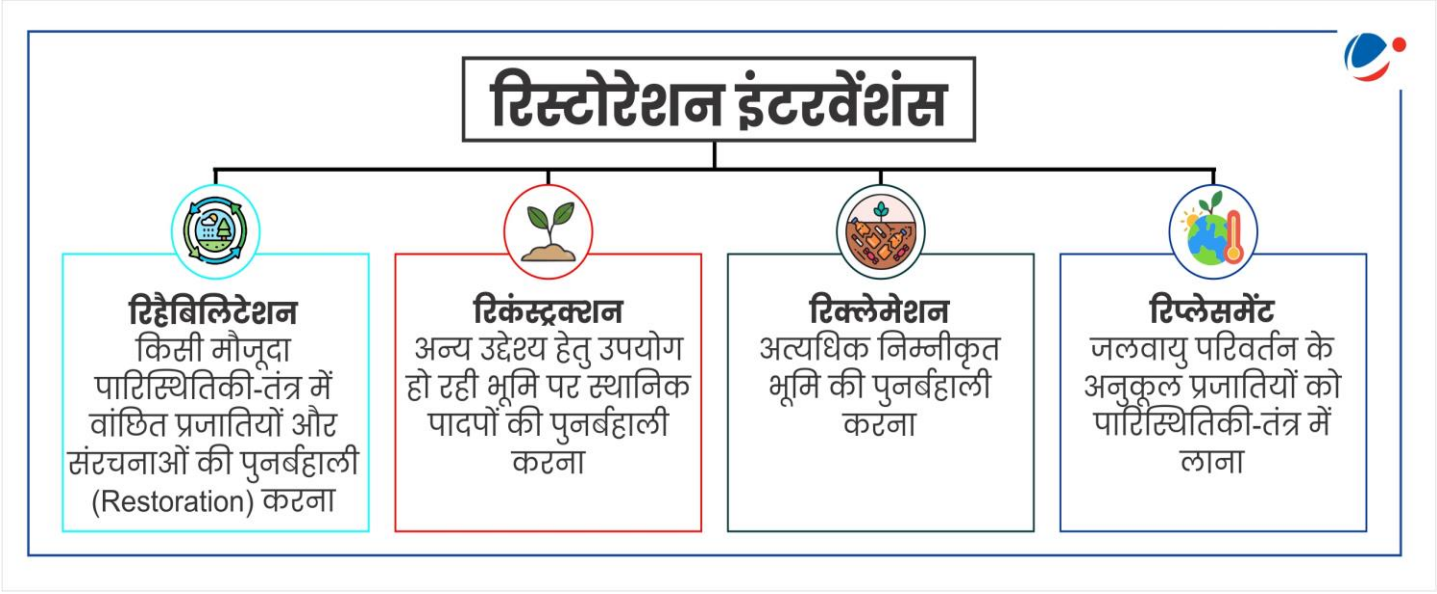

वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली के बारे में

- इसमें **निर्वनीकरण से प्रभावित वन भूमि पर पेड़ों को उगाना** और **वनों की स्थिति में सुधार करना, वृक्षों की देशज प्रजातियों की रोपाई करना**, जंगली पौधों और जानवरों का संरक्षण करना तथा मृदा और जल स्रोतों की रक्षा करना शामिल हैं। ये सभी विशेषताएं वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।

वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली की आवश्यकता

- **कार्बन पृथक्करण**: एक सामान्य वर्ष में वन और अन्य वनस्पतियां इंसान द्वारा जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्सर्जित कार्बन का लगभग 30% अवशोषित करती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा**: 5 अरब से अधिक लोग भोजन, औषधि और आजीविका के लिए वनों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों पर निर्भर हैं।
- **मृदा और जल संरक्षण**: संधारणीय वन प्रबंधन से बड़े शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 1.7 अरब से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है, जिससे उनकी खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली की चुनौतियां

- विकासशील देशों में **पुनर्बहाली प्रयासों के लिए वित्तीय निवेश की कमी** है।
- स्थानीय समुदायों का भूमि स्वामित्व स्पष्ट नहीं होने से पुनर्बहाली प्रयासों में समस्या उत्पन्न करती है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण **कुछ प्रकार के वनों और पारिस्थितिक तंत्रों को पुनर्बहाल करना कठिन** हो जाता है।
- कमजोर अभिशासन और समन्वय की कमी **पुनर्बहाली प्रयासों की** प्रगति में देरी कर सकती है।

वनों की पुनर्बहाली के लिए शुरू की गई प्रमुख वैश्विक पहलें:

- **IUCN का वन संरक्षण कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य वनों का संधारणीय प्रबंधन करना है।
- **WWF का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है।

[13] Forest Ecosystem Restoration Initiative

- **संयुक्त राष्ट्र का 'REDD+' फ्रेमवर्क:** इसका उद्देश्य वनों के संधारणीय प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण और संवर्द्धन करना है।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने **वन एवं भू-परिदृश्य बहाली तंत्र** (FLRM)[14] शुरू किया है।

निष्कर्ष

पुनः वनीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में राष्ट्रीय नीतियों में सामंजस्य, सामुदायिक भागीदारी, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, कृषि वानिकी को अपनाना और सख्त निगरानी प्रणालियां शामिल होनी चाहिए। ये सभी उपाय मिलकर संधारणीय पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं।

4.11. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) का वित्त-पोषण {Financing Disaster Risk Reduction (DRR)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

8वें वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (GPDRR) 2025 का आयोजन जिनेवा में किया गया। इसमें भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्त-पोषण प्रणालियों की स्थापना का समर्थन करने के लिए **एक समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र की कमी को उजागर** किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **GPDRR की स्थापना 2006 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने GPDRR को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा** हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में मान्यता दी है।
- **सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-30) गैर-बाध्यकारी समझौता है जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन** में अपनाया गया था।
- **इसके 7 लक्ष्य हैं और यह ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005-15) की संशोधित अगली** कड़ी है।

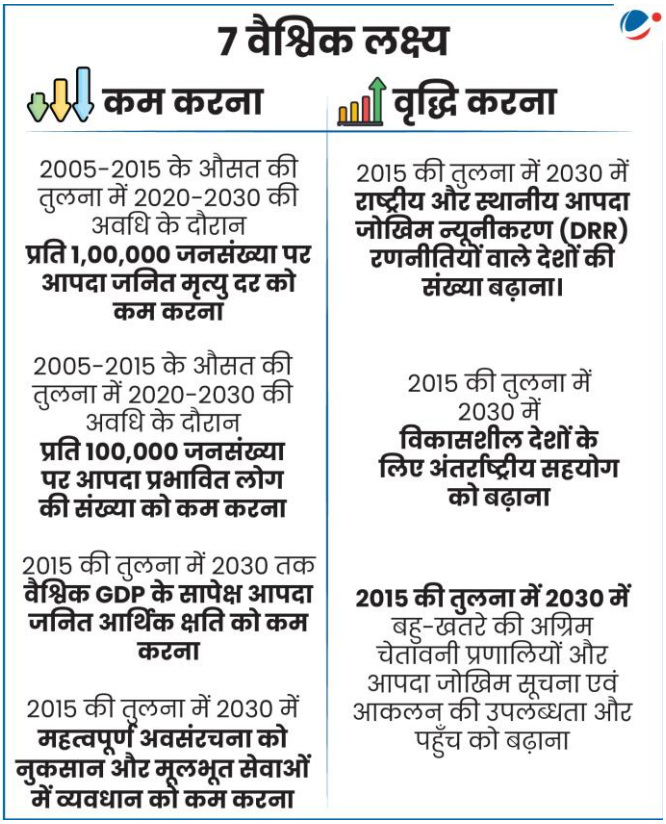

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) क्या है?

- यह ऐसे कदमों को दर्शाता है जो **नई आपदाओं की आशंका को रोकने**, **मौजूदा जोखिम को कम करने** और **बचे हुए जोखिम** का प्रबंधन करने के लिए उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य **लचीलापन** और **सतत विकास** को मजबूत करना होता है।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए प्रमुख वित्तपोषण तंत्र**
  - **संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय कोष**: जैसे, **ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF)** जो DRR का समर्थन करता है।
  - **बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs)**: जैसे, विश्व बैंक का **डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस (DRFI)** कार्यक्रम।
  - **राष्ट्रीय स्तरीय तंत्र**: राष्ट्रीय और स्थानीय बजट में DRR को शामिल करना, राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं (NAPs) आदि।
  - **द्विपक्षीय सहायता और साझेदारियां**: जैसे, USAID विभिन्न DRR कार्यक्रमों का समर्थन करता है।

[14] The Forest and Landscape Restoration Mechanism

भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) वित्त-पोषण प्रणाली

- भारत में **आपदा वित्त-पोषण** एक **पूर्व-निर्धारित और नियम आधारित व्यवस्था** के अनुसार होता है, जिसमें **राष्ट्रीय से लेकर राज्य और जिला स्तर तक** निधियां भेजी जाती हैं। यह व्यवस्था **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** द्वारा समर्थित है।
- **वर्तमान आवंटन: 15वें वित्त आयोग** के तहत DRR हेतु कुल **2.32 लाख करोड़ रुपये (लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर)** से अधिक का आवंटन किया गया है।
- **भारत के DRR वित्त-पोषण दृष्टिकोण के चार प्रमुख सिद्धांत**
  - **तैयारी, शमन, राहत** और **पुनर्बहाली** के लिए **डेडिकेटेड फाइनेंशियल विंडो।**
  - **प्रभावित लोगों और सुभेद्य समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देना।**
  - **सरकारी के सभी स्तरों - केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय - पर वित्तीय संसाधनों की की उपलब्धता।**
  - **पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों का मापन**—ये सभी खर्चों को निर्देशित करते हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वित्त-पोषण की आवश्यकता क्यों है? (GAR 2025)

- केवल **2% विकास सहायता** ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर खर्च होती है।
- पिछले दो दशकों में आपदाओं से होने वाली वित्तीय हानि दोगुनी हो गई है।
- **विकासशील देशों की उच्च सुभेद्यता-** 2023 तक **केवल 49% अल्प-विकसित देश (LDCs)** ही **मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम** से लैस थे।
- **असंधारणीय आपदा जोखिम प्रबंधन के 3 नकारात्मक चक्रों को तोड़ना आवश्यक है:**
  - **आय में गिरावट, कर्ज में वृद्धि का चक्र:** ऐसा अनुमान है कि जलवायु संबंधी आपदाओं से 2050 तक वैश्विक आय में 19% तक गिरावट आ सकती है। इससे विशेष रूप से कम आय वाले देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
  - **असंधारणीय जोखिम हस्तांतरण चक्र:** उदाहरण के लिए- भारत में बीमा कवरेज 1% से भी कम है, जिससे आपदा जोखिम साझा करने की क्षमता सीमित होती है।
  - **रिस्पांड-रिपीट:** DRR में **निवेश किया गया प्रत्येक 1 डॉलर भविष्य में आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई (recovery costs) में 15 डॉलर की बचत** करता है।

DRR हेतु पर्याप्त वित्त-पोषण जुटाने में प्रमुख चुनौतियां?

- **समर्पित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र का अभाव** है।
- सरकारें, व्यापार संगठन और वित्तीय संस्थान **जोखिम आधारित सोच को वित्तीय निर्णयों** में शामिल नहीं करते हैं।
- **राजनीतिक दृष्टि से** DRR हेतु वित्त-पोषण को **अनिश्चित घटनाओं** पर खर्च माना जाता है, जिनका **तुरंत लाभ नहीं दिखता है**।
- **अन्य:** इसमें विकासशील देशों में कमजोर संस्थागत क्षमता, राष्ट्रीय DRR रणनीतियों का अभाव आदि शामिल है।

आगे की राह

- **विनियामक फ्रेमवर्क में सुधार:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सरकारों और नियामकों को **मानक (Standards)** और **वर्गीकरण (Taxonomies)** बनाना चाहिए, जैसे यह परिभाषित करना कि **"सतत और आपदा-रोधी निवेश"** क्या होता है।
- **वित्त पर नजर रखना:** उदाहरण के लिए, **जो बजट आवंटित किया गया है**, उसमें से **जो निवेश वास्तव में उपयोग किया गया है**, उसकी **निगरानी और लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए।**
- **अभिनव वित्तीय दृष्टिकोण अपनाना:** उदाहरण के लिए- मिश्रित वित्त, **'डेब्ट-फॉर-रिज़िलिएंस स्वैप्स'**, क्रेडिट रेटिंग में आपदा जोखिमों को एकीकृत करना, ग्रीन बॉण्ड, आपदा बॉण्ड (जो वैश्विक निवेशकों को जोखिम हस्तांतरित करते हैं और पारंपरिक बीमा से परे अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं), आदि।

- **विभिन्न स्तरों पर वित्त-पोषण को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- कम लागत वाली, बार-बार आने वाली आपदाओं को राष्ट्रीय कोष या आकस्मिक क्रेडिट लाइन्स के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए। वहीं, दुर्लभ, अधिक गंभीर आपदाओं के लिए बीमा या अन्य जोखिम-हस्तांतरण समाधान अपनाने चाहिए।

निष्कर्ष

अगर हमें आपदा और पुनर्प्रतिक्रिया के दुष्चक्र को तोड़ना है, तो वैश्विक समुदाय को प्रतिक्रियात्मक खर्च से हटकर जोखिम आधारित पूर्व नियोजन को अपनाना होगा, ताकि लचीलापन को वित्तीय और नीतिगत निर्णयों के केंद्र में रखा जा सके।

4.12. आपदा-रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition For Disaster Resilient Infrastructure: CDRI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, फ्रांस में आयोजित **7वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन (ICDRI)**[15] में भारत के नेतृत्व वाले **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** में अफ्रीकी संघ शामिल हुआ।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के बारे में

- CDRI की स्थापना भारत द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन[16] में की गई थी। यह एक वैश्विक साझेदारी है। इसमें **राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, और निजी क्षेत्रक शामिल हैं।**
- **उद्देश्य:** सतत विकास सुनिश्चित करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने में सक्षम (रेसिलिएंस) अवसंरचना **प्रणालियों को बढ़ावा देना।**
- **CDRI का महत्व**
  - **संवेदनशील क्षेत्रों जैसे लघु द्वीप विकासशील देश, पर्वतीय क्षेत्र, अफ्रीका आदि में अवसंरचना प्रणालियों को आपदा और जलवायु के चुनौतियों को सामना करने लायक बनाने के लिए वित्तपोषण** और समन्वय हेतु एक वैश्विक तंत्र प्रदान करता है।
  - **तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण** प्रदान करता है, जैसे आपदा से निपटने हेतु कार्रवाई और जीवन को वापस पटरी पर लाने सहायता, नवाचार आदि।
- **प्रमुख पहलें:** इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आईलैंड स्टेटस (IRIS), DRI कनेक्ट प्लेटफार्म, इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंस एक्सलेरेटर फंड (IRAF)।

रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (आपदा-रोधी अवसंरचना) के बारे में

- यह ऐसी अवसंरचना है जो खतरनाक विपदाओं या आपदाओं को सहन और सामना कर सकती है तथा उनसे उबर सकती है।
- **आपदा-रोधी अवसंरचना की आवश्यकता क्यों है?**
  - जलवायु परिवर्तन की वजह से अवसंरचना क्षेत्रों में अनुमानित वैश्विक औसत वार्षिक हानि (AAL) लगभग **GDP के 14% तक** हो सकती है।
    - इस अनुमानित देनदारी का **आधा हिस्सा निम्न और मध्यम-आय वाले देशों (LMIC) को चुकाना** पड़ सकता है।
- अवसंरचना क्षेत्र में भी आपदा और जलवायु जोखिम का **80% खतरा बिजली, परिवहन और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों** को है।

आपदा-रोधी अवसंरचना सुनिश्चित करने की चुनौतियां

- **निजी क्षेत्र की कम भागीदारी**: वर्तमान में भारत में शहरी अवसंरचना का 75% से अधिक वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।
- **अवसंरचना का जीर्ण होना**: जैसे- भारत में पुराने पुलों का ढहना।
- **अवसंरचना अभिशासन की कमियां**: योजना और डिजाइन में कमियां, पर्याप्त मानक नहीं होना, विनियमन व्यवस्था प्रभावी नहीं होना और नियमों का सही से पालन नहीं करना, तथा कम निवेश।

[15] International Conference on Disaster Resilient Infrastructure

[16] United Nations Climate Action Summit

आगे की राह

- **अवसंरचना में निजी पूंजी निवेश** बढ़ाना चाहिए।
- आपदा रोधी अवसंरचना के लिए **मानकीकरण और प्रमाणन** व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए।
- राष्ट्रीय और स्थानीय योजनाओं में प्रकृति-आधारित अवसंरचना समाधानों का एकीकरण करना चाहिए।
- बेहतरीन **आपदा-रोधी अवसंरचना उदाहरणों की** वैश्विक डिजिटल सूची तैयार करनी चाहिए।

निष्कर्ष

CDRI के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है और इसने कई अच्छी पहलों की शुरुआत भी की है। आगे CDRI विशेषकर आपदा प्रवण क्षेत्रों में अवसंरचना प्रणालियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु कार्रवाई और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की दिशा में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

4.13. भीड़ संबंधी आपदा प्रबंधन (Crowd Disaster Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RCB की IPL जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

भगदड़ क्या है?

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के अनुसार, भगदड़ तब होती है जब भीड़ में लोग किसी खतरे या जगह की कमी के डर से अचानक एक तरफ भागने लगते हैं।

भीड़ प्रबंधन में असफलता और उसके कारण

- **भीड़ नियंत्रण में असफलता:**
  - **अत्यधिक भीड़:** चिन्नास्वामी स्टेडियम की मौजूदा क्षमता 34,600 लोगों की थी जबकि वहां 2.5 लाख लोग जमा हो गए थे।
  - **संबंधित पक्षों के बीच समन्वय की कमी:** RCB के सोशल मीडिया हैंडल ने पुलिस के साथ ठीक से समन्वय किए बिना स्टेडियम के गेट्स पर निशुल्क पास देने की घोषणा कर दी।
- **भीड़ के व्यवहार को उकसाने वाले कारण:**
  - **घबराहट और संरचनात्मक समस्याएं:** 2017 में मुंबई के एलफिंस्टन रोड स्टेशन पर भारी बारिश के दौरान एक संकरी और फिसलन भरी पैदल चलने की जगह पर पुल गिरने की अफवाह से घबराहट फैल गई थी, जिससे भगदड़ मच गई।
  - **आग/बिजली से संबंधित घटनाएं:** 1995 में हरियाणा की डबवाली फायर ट्रेजेडी में, एक टेंट वाले कार्यक्रम स्थल में आग लगने और बाहर निकलने का रास्ता संकरा होने के कारण भगदड़ मच गई थी।
  - **किसी सेलिब्रिटी की झलक पाने की होड़:** 2024 में हैदराबाद में "पुष्पा 2" के प्रीमियर के दौरान एक सेलिब्रिटी की एक झलक पाने की कोशिश में भगदड़ मच गई थी।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के भीड़ प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश:

तैयारी करना-

- **जोखिम का आकलन और योजना: फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस (FMEA)** जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके हर संभावित खतरे का आकलन करना चाहिए। इसमें खतरे की गंभीरता, उसके होने की संभावना और उसे पहचानने में होने वाली कठिनाई को मापा जाता है।

- **उदाहरण:** 2024 के T20 वर्ल्ड कप रोडशो को मुंबई में जिस तरह से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया, उससे सीख लेनी चाहिए।

- **भीड़ की संख्या से संबंधित नियम:** प्रति वर्ग मीटर में कितने लोग हो सकते हैं, यह तय किया जाना चाहिए और साथ ही यह भी तय होना चाहिए कि किस स्थिति में (जैसे बैरिकेड टूटने पर) लोगों को निकालना शुरू करना है।
  - **उदाहरण:** न्यूयॉर्क में 1,000 से ज़्यादा लोगों वाले कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित भीड़ नियंत्रण प्रबंधकों को रखना अनिवार्य है।
- **अवसंरचना का विकास:** स्टेडियम, घाट और मंदिरों जैसे स्थानों को फिर से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इनमें कई चौड़े प्रवेश/ निकास मार्ग होने चाहिए, बहुभाषी संकेतक और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली[17] होनी चाहिए।
- **सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं:** 2025 के महाकुंभ मेले में आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए **आर्टिकुलेटिंग वॉटर टावर्स (AWT)**, वॉटर एम्बुलेंस और बहु-आपदा प्रतिक्रिया वाहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं।

प्रतिक्रिया

- **सूचना प्रणाली:** भीड़ को सही दिशा देने और उन्हें देरी, रास्ते में बदलाव या किसी खतरे के बारे में तुरंत सूचित करने के लिए **मोबाइल अपडेट, लाउडस्पीकर, साइनेज और डिजिटल बोर्ड** जैसी सूचना प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **सुरक्षा के उपाय:** सुरक्षा के लिए, सभी महत्वपूर्ण जगहों पर **वॉच टावर** स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही, **वायरलेस संचार नेटवर्क** और **CCTV निगरानी** की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

भारत में भगदड़ रोकने के लिए तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- **RFID और IoT से भीड़ की ट्रैकिंग:** ये तकनीकें लोगों की आवाजाही पर नज़र रख सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी जगह पर क्षमता से ज़्यादा भीड़ न हो।
  - **उदाहरण:** कुंभ मेला और वैष्णो देवी की तीर्थयात्राओं में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए **RFID टैगिंग** का परीक्षण किया जा चुका है।
- **निगरानी और रियल-टाइम में भीड़ की मॉनिटरिंग**
  - **AI-आधारित CCTV कैमरे और ड्रोन्स: AI- आधारित** CCTV कैमरे और ड्रोन्स भीड़ के घनत्व का विश्लेषण कर सकते हैं। ये संभावित भीड़भाड़ वाले स्थानों और घबराहट में होने वाली हरकतों का पता लगाकर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं।
    - **उदाहरण:** हज यात्रा में भगदड़ को रोकने के लिए **AI-आधारित भीड़ निगरानी** का उपयोग किया जाता है।
  - **थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन:** थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन ऊपर से बड़ी भीड़ पर नजर रख सकते हैं।
  - **लाइव एरियल फीड:** हवाई निगरानी से मिलने वाली लाइव फीड कमांड सेंटर को तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है।
- **AI मॉडल का उपयोग**
  - सभी बड़ी घटनाओं के डेटा को रिकॉर्ड करके **AI मॉडल** को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये मॉडल भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
  - **प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स** का उपयोग करके अधिक भीड़ भाड़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और संकट आने से पहले ही अधिकारियों को सचेत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रभावी भीड़ प्रबंधन एक **बहुआयामी जिम्मेदारी** है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक को अपनाने की जरूरत होती है। भारत में सार्वजनिक समारोहों का आकार और संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए NDMA के दिशा-निर्देशों, विशेष रूप से जोखिम-आधारित योजना का सख्ती से पालन करना बहुत ज़रूरी है।

[17] PA system

4.14. भारत में शहरी विकास और आपदा-प्रतिरोधकता (Urban Development and Disaster Resilience in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बेंगलुरु (2024) और दिल्ली (2023) में शहरी बाढ़ जैसी आपदाओं की बढ़ती संख्या ने भारतीय शहरों की आपदाओं से निपटने की अपर्याप्त तैयारी को उजागर किया है।

आपदा प्रतिरोधी शहर क्या है?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार, आपदा प्रतिरोधी शहर:

- यह एक ऐसा शहर होता है, जहां **समझदारी से भवन निर्माण संहिता का पालन** किया जाता है और **अनौपचारिक बस्तियों को बाढ़ क्षेत्र या खड़ी ढलानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं बनाया** जाता है।
- ऐसे शहर में एक **समावेशी, सक्षम और जवाबदेह स्थानीय सरकार** होती है, जो संधारणीय शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ऐसे शहर में एक ऐसा संगठन होता है, जहां आपदा से होने वाले नुकसान, खतरों, जोखिमों और जनता की असुरक्षा पर एक **साझा व स्थानीय सूचना आधार** बनाए रखा जाता है।
- ऐसे शहर में लोगों को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर **अपने शहर की योजना बनाने, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार** दिया जाता है। साथ ही, **स्थानीय व स्वदेशी ज्ञान, क्षमताओं और संसाधनों** को महत्त्व दिया जाता है।

भारतीय शहरों की असुरक्षा

- **बड़ी आबादी के केंद्र: 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत** आबादी शहरों में रह रही होगी। अपनी प्रकृति के कारण, शहरी क्षेत्र जोखिमों को जन्म देते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** ऊष्मा द्वीप प्रभाव, **मौसम संबंधी चरम घटनाएं।**
  - अगस्त 2023 में **हिमाचल प्रदेश के शिमला** में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई थी।
- **अनियोजित शहरीकरण और मौजूदा खतरें:** शहरी परिवेश में पहले से ही कई संकट मौजूद हैं, जैसे शहरी गरीबी, शहरी रोजगार में अनौपचारिकता की अधिकता, सामाजिक असमानता आदि।

भारतीय शहरों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता निर्माण के समक्ष चुनौतियां

- **नियोजन का अभाव:** नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में 65 प्रतिशत भारतीय शहरों के पास मास्टर प्लान नहीं है।
- **जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया:** वैश्विक CO_2 उत्सर्जन में शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी 70% है। (आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट, 2022)
- **कंक्रीटीकरण:** यह शहरी बाढ़, **शहरी ऊष्मा द्वीप** जैसे खतरों को बढ़ाता है जिससे जलवायु संबंधी चरम मौसमी दशाओं को और अधिक गंभीर बना देती है तथा जोखिम कारक को बढ़ा देती है।
- **चरमराता बुनियादी ढांचा:** अधिकांश भारतीय शहरों में सीवरेज और जल निकासी प्रणालियां भारी वर्षा से निपटने में अक्षम हैं। इसके कारण प्रत्येक मानसून के मौसम में भारतीय शहरों में जलभराव और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है।
- **अन्य चुनौतियां: अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना;** जल, परिवहन, ऊर्जा जैसे संसाधनों पर अलग-अलग विभाग प्रायः अलग-अलग कार्य करते हैं; **निजी क्षेत्रक से वित्त-पोषण का अभाव।**

शहरी आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पहल/ तंत्र

- **सरकारी योजनाएं:** कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत/ AMRUT), सभी के लिए आवास (शहरी) योजना और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ, समावेशी और रहने योग्य बनाने पर केंद्रित हैं।
- **क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क: इसमें निम्नलिखित पांच श्रेणियों के संकेतक शामिल हैं:** शहरी नियोजन, हरित आवरण और जैव विविधता; ऊर्जा एवं हरित भवन; गतिशीलता व वायु गुणवत्ता; जल प्रबंधन; तथा अपशिष्ट प्रबंधन।

- **C-FLOOD**: यह **वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म** है। इसे **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** के तहत, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। यह **प्लेटफार्म ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिन पहले बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान** प्रदान करता है।
- यह बाढ़ के जल स्तर **के आधार पर 3 श्रेणियों में अलर्ट जारी करता है**:
  - **येलो अलर्ट** – जलस्तर की ऊंचाई 0.5 मीटर से कम
  - **ऑरेंज अलर्ट** – जलस्तर की ऊंचाई 1.5 मीटर से कम
  - **रेड अलर्ट** – जलस्तर की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक।
- **राज्य स्तरीय पहलें**: चेन्नई बाढ़ चेतावनी प्रणाली; कोलकाता शहर के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व-चेतावनी प्रणाली; **IFLOWS-मुंबई।**

आगे की राह

- संधारणीय शहरी विकास के लिए व्यापक शहर-स्तरीय जलवायु-कार्य योजनाएं।
- **भूमि बैंकों के निर्माण, संपत्तियों को वाणिज्यिक संगठनों को पट्टे पर देकर, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), निजी-सार्वजनिक साझेदारियां (PPPs) के माध्यम से फंड` जुटाया** जा सकता है।
- **सहभागी योजना:** जापान में आपदा प्रबंधन एजेंसियां समुदायों के साथ मिलकर आपदा के समय में क्या करना है, इसके बारे में जागरूकता सृजित करती हैं।
- **प्रकृति-अनुकूल विकास**, जैसे- खतरों के प्रभाव को कम करने और समुदायों को मजबूत बनाने के लिए ब्लू-ग्रीन अवसंरचना का निर्माण।
  - उदाहरण के लिए: सिंगापुर का **ABC कार्यक्रम** सार्वजनिक स्थलों को हरित बनाने और निजी क्षेत्रों को अपने विकास में संधारणीय सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- **डेटा-आधारित निर्णयन,** जैसे शहरी बाढ़ से निपटने के लिए रियल-टाइम हाइड्रो-मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क का उपयोग।

निष्कर्ष

आपदाओं को सहने की भारतीय शहरों की कम क्षमता वास्तव में जलवायु अनुकूल नियोजन, मजबूत अवसंरचना और समावेशी अभिशासन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। ये डेटा और सामुदायिक भागीदारी आधारित और प्रकृति-अनुकूल समाधानों द्वारा समर्थित होने चाहिए।

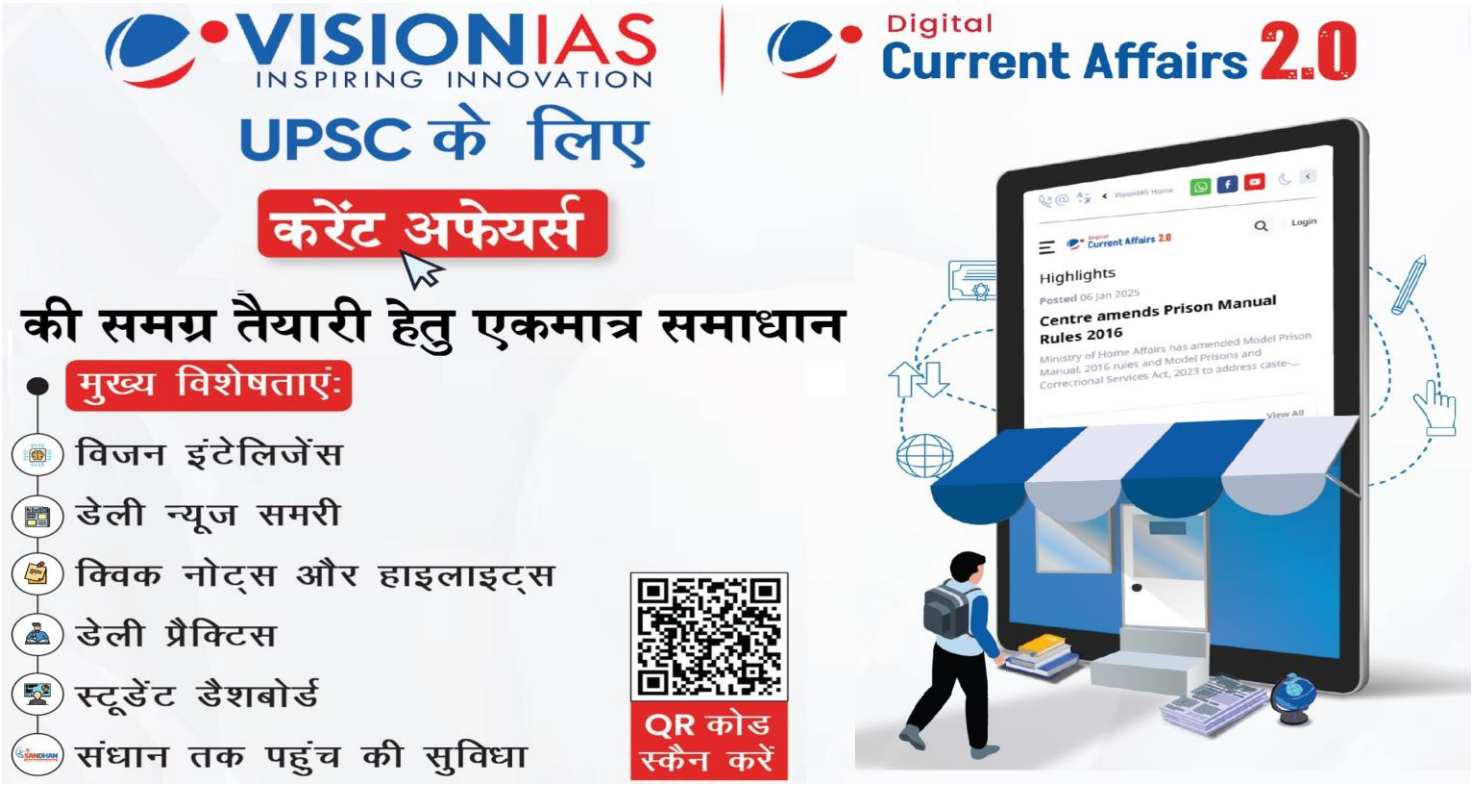

4.15. तटीय खतरे (Coastal Hazards)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन (ICDRI) 2025 की थीम थी: **"शेपिंग अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन"।**

भारत में तटीय क्षेत्रों के समक्ष विभिन्न खतरें:

- **सुनामी:** उदाहरण के लिए- **2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने** 230,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को विस्थापित हो गए। साथ ही, इसने भारत सहित 14 देशों के संबंधित तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया।
- **चक्रवात:** उदाहरण के लिए- **चक्रवात 'रिमल' (2024) ने भारत और बांग्लादेश** को काफी प्रभावित किया।
- **महोर्मि: उदाहरण के लिए-** 2023 में कच्छ और मोरबी जिलों के निचले क्षेत्रों में 2 से 2.5 मीटर ऊँची तूफानी ज्वारीय लहरें आई थी। (IMD)
- **तटीय अपरदन/कटाव:** उदाहरण के लिए- MoEFCC के अनुसार, **भारत की 33.6% तटीय रेखा** अपरदन के कारण खतरे में है।
- **समुद्री विपदाएं:** जैसे जहाज का डूबना, जहाजों का टकराना, समुद्री नितल में अटकना, जहाज में विस्फोट, तथा तेल रिसाव और इससे खतरनाक अपशिष्ट का उत्सर्जन।
    - उदाहरण के लिए: **लाइबेरियाई ध्वज वाले पोत MSC ELSA 3** के डूबने से त्रिवेंद्रम तट पर बड़ी संख्या में 'नर्डल्स' नामक प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े पाए गए।

तटीय क्षेत्रों से संबंधित सुभेद्यता

- **मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम:** तटीय क्षेत्र पूरी दुनिया में खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि दुनिया की **60% से अधिक आबादी और दो-तिहाई बड़े शहर** तटीय क्षेत्रों में स्थित है।
    - भारत में लगभग **25 करोड़ लोग समुद्र तट से 50 कि.मी. के दायरे** में रहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों में समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बाढ़, और तूफानों जैसी आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति में वृद्धि होगी।
- **आर्थिक नुकसान:** उदाहरण के लिए, **वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट (GAR)[18], 2025 के अनुसार,** चक्रवात फेनी (2019) के कारण ओडिशा में विद्युत से संबंधित लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अवसंरचना क्षतिग्रस्त हुई थी।
- **पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए खतरा:** उदाहरण के लिए- मैंग्रोव जोखिम सूचकांक के अनुसार, बार बार आने वाले **चक्रवातों और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण, वर्ष 2100 तक दुनिया के आधे मैंग्रोव को गंभीर खतरों** का सामना करना पड़ सकता है।
- **सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों पर प्रभाव:** तटीय क्षेत्र में आपदाओं के बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में सामाजिक रूप से कमजोर आबादी, जैसे बुजुर्गों, देशज मछुआरे समुदायों, आदि के लिए पहले से मौजूद असमानताओं में और वृद्धि होने की संभावना है।

भारत द्वार तटीय सुभेद्यता के शमन हेतु शुरू की गयी पहलें

- **तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना (2019):** इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना तथा मछुआरों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZMP)[19]:** यह परियोजना ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना है।

[18] Global Assessment Report

[19] Integrated Coastal Zone Management Project

- **बहु-आपदा सुभेद्यता मानचित्र[20] और तटीय सुभेद्यता सूचकांक (CVI)[21]:** भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने विभिन्न मानकों के आधार पर भारत के तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता का आकलन एवं मानचित्रण करने के लिए यह सूचकांक विकसित किया है।
- **तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (CMIS)[22]** यह एक डेटा संग्रह प्रक्रिया है। इसमें निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जाती है। यह जानकारी विशेष स्थलों पर तटीय सुरक्षा संरचनाओं के नियोजन, डिज़ाइन और निर्माण में सहायक होती है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे जलवायु जनित खतरे बढ़ रहे हैं, तटीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और नवाचार पर आधारित वैश्विक उपायों को अपनाना आवश्यक हो गया है।

4.16. सुनामी (Tsunami)

रूस के **कामचटका प्रायद्वीप** में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे **प्रशांत महासागर में कुरिल द्वीप समूह** के पास सुनामी की लहरें देखी गई।

सुनामी के बारे में

- सुनामी **अत्यधिक लंबी तरंगों की एक श्रृंखला** होती है, जो समुद्री जल के बड़े और अचानक विस्थापन के कारण बनती है। ऐसा आमतौर पर समुद्र नितल के नीचे या उसके पास आए भूकंप से होता है। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, ग्लेशियर का टूटना, उल्कापिंड और पानी के भीतर होने वाले अन्य विस्फोट (परमाणु विस्फोट सहित)।

सुनामी तरंगों की विशेषताएं:

- **वेवलेंथ:** इनकी **गति और वेवलेंथ** मुख्य रूप से **समुद्र की गहराई पर निर्भर** करती है, स्रोत की दूरी पर नहीं।
- **तरंगों की ऊंचाई (Amplitude):** गहरे महासागरीय क्षेत्रों में जहाज इन्हें अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां इनकी ऊंचाई **बहुत कम** होती है। हालांकि, जैसे-जैसे यह तरंगे **उथले पानी की ओर बढ़ती है, इनकी ऊंचाई बहुत बढ़** जाती है।

परिणाम: संपत्ति का विनाश, जीवन और आजीविका का नुकसान; मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों व ज्वारनदमुख का विनाश; मृदा और जल का प्रदूषण।

सुनामी के प्रभाव से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **वैश्विक: UNESCO-IOC सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम, सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम, वैश्विक सुनामी पूर्व चेतावनी और शमन कार्यक्रम।**
- **भारत: भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC)[23],** सुनामी के प्रबंधन पर **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा दिशा निर्देश, ऐप्स और डिवाइस का विकास:** उदाहरण के लिए समुद्र में चेतावनी और अलर्ट के लिए **GEMINI डिवाइस।**

सुनामी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश

- **बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचा:** तैयारी, शमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए **NDMA, SDMAs (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) एवं DDMAs (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)** जैसे बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचे को अनिवार्य किया गया है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आकलन: प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** विकसित करना और खतरे व सुभेद्यता का आकलन करना।

[20] Multi-Hazard Vulnerability Maps

[21] Coastal Vulnerability Index

[22] Coastal Management Information System

[23] Indian Tsunami Early Warning Centre

- **प्रभावी शमन उपाय:** भूमि उपयोग योजना बनाना; प्राकृतिक अवरोध विकसित करना; आदि।
- **जन जागरूकता और प्रशिक्षण:** सभी हितधारक समूहों में **जन जागरूकता, शिक्षा एवं व्यापक प्रशिक्षण** को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

सुनामी आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए मजबूत अवसंरचना निर्माण करने, पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, समुदायों में जागरूकता फैलाने और करवाई क्षमता बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सतत प्रयासों की आवश्यकता है।

5. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

5.1. लोगों को AI विकास के केंद्र में रखना (Putting People at The Centre of The AI Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने 'मानव विकास रिपोर्ट, 2025' जारी की। यह रिपोर्ट **'ए मैटर ऑफ चॉइस: पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई'** शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट ने इस विकसित हो रहे AI-परिदृश्य में लोगों को केंद्र में रखने पर जोर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह मानवता है, न कि मशीनें, जिसे यह तय करना चाहिए कि कौन सी तकनीकें सफल हों और किस उद्देश्य के लिए।

AI और मानवता का विशेष संबंध

- जनरेटिव AI तीव्र, लचीले और बार-बार प्रयोग किए जा सकने वाले तरीकों से **व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिणाम तैयार** करता है, वह भी बड़े पैमाने पर। यह पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के "सभी के लिए एक जैसा समाधान (one size fits all)" वाले तरीके से बिल्कुल अलग है।
- अत्यंत-महत्वपूर्ण स्थितियों में जहां AI आउटपुट के व्यापक निहितार्थ होते हैं, मानवीय इनपुट अत्यंत मूल्यवान हो जाता है क्योंकि मानव स्वयं उस निर्णय से जुड़ा होता है और वह स्थिति की **सही समझ और संदर्भ** को भी समझ सकता है।
- जो AI सिस्टम **स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता** रखते हैं (उन्हें *हाइली एजेन्टिक AI* कहा जाता है), उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें समाज में **कैसे और कितनी समझदारी से एकीकृत** किया गया है।

AI के कारण मानव विकास के समक्ष चुनौतियां और जोखिम

- **मौजूदा असमानताओं को और बढ़ाना:** AI सिस्टम एक तरह से **"आईने"** की तरह काम करते हैं। वे जिस समाज में निर्मित किए जाते हैं, उसी समाज की **सोच, संरचना और असमानताओं** को **दर्शाते व बढ़ाते** हैं। इससे कई बार **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह** होने लगता है, और कुछ वर्गों के सापेक्ष **भेदभावपूर्ण नतीजे** सामने आते हैं।
- **मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग:** AI व्यक्ति की सोच, भावनाएं और पसंद-नापसंद को समझकर उसके हिसाब से स्टेटमेंट जनरेट कर सकता है। इसके कारण AI कभी-कभी गलत या भ्रमित करने वाली जानकारी (Hallucinate) भी दे सकता है और अपनी भाषा से इतना प्रभावित कर सकता है कि वह व्यक्ति को आसानी से अपने प्रभाव में ले सकता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे AI आपकी मानसिक प्रवृत्ति पहचानकर वैसे शब्द जनरेट करता है, जो आपको ज्यादा प्रभावित करें (Hypersuasion), लेकिन कभी-कभी ये जानकारी गलती से भी हो सकती है।
- **संज्ञानात्मक क्षमता पर प्रभाव:** AI का ज्यादा इस्तेमाल हमारी सोचने-समझने (Critical thinking) की क्षमता को कम कर सकता है। खासकर, बार-बार सुझाव देने वाले सिस्टम हमारी स्वयं की सोच एवं प्रमाणिकता और स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **टेक्नो-नियतिवाद:** टेक्नो-नियतिवाद का अर्थ है कि तकनीक और समाज के बीच के रिश्ते को बहुत आसान और सीधा समझ लेना। जैसे यह मान लेना कि जब कोई नई तकनीक आती है, तो इससे जो भी सामाजिक बदलाव होते हैं, वो जरूर और अवश्य होंगे। इससे ऐसा लगता है जैसे मनुष्यों की भूमिका मायने नहीं रखती, जो कि गलत है और इससे समाज में बदलाव लाने की हमारी क्षमता को कमजोर किया जाता है।
- **शक्ति का केंद्रीकरण:** AI सप्लाई चेन पर कुछ चुनिंदा बड़ी टेक कंपनियों का वर्चस्व है, जिससे प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ता है और व्यापक स्तर पर नवाचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

AI-संवर्धित मानव विकास के मार्ग

- **पूरकता वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण:** एक ऐसे परिवेश को बढ़ावा देना, जहां AI मानव श्रम, सामाजिक संवाद और AI गवर्नेंस में कामगारों की भागीदारी को बढ़ाए, श्रम बाजार के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करे, आदि।
- **उद्देश्य के साथ नवाचार को बढ़ावा देना:** नवाचार प्रोत्साहन को सामाजिक रूप से वांछनीय और निजी तौर पर लाभदायक परिणामों दोनों को बढ़ावा देने के लिए संरेखित करना; AI के डिजाइन, विकास और उपयोग के प्रत्येक चरण में मानवीय अभिकर्तृत्व (Agency) की केंद्रीयता, आदि।

- **महत्वपूर्ण क्षमताओं में निवेश: 3Is फ्रेमवर्क-** डिजिटल उपकरणों और कौशल तक सार्वभौमिक पहुंच में निवेश (Investment) करना; लोगों को AI के जोखिमों एवं अवसरों के बारे में सूचित (Inform) करना; तथा AI के डिजाइन व विकास में सभी उम्र, जेंडर, नृजातियों और पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल (Include) करना।

निष्कर्ष

एक पूरकता वाली अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देकर; स्पष्ट प्रयोजन के साथ नवाचार को बढ़ावा देकर, और मानव क्षमताओं में रणनीतिक रूप से निवेश करके, समाज प्रभावी ढंग से लोगों की पसंदों एवं संभावनाओं का विस्तार कर सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण विश्व स्तर पर नए विकास मार्गों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हर कोई AI-संवर्धित दुनिया में प्रगति कर सकेगा।

5.2. सांस्कृतिक विनियोग (Cultural Appropriation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **इतालवी लक्जरी ब्रांड प्राडा** पर भारत की पारंपरिक भौगोलिक संकेतक (GI) टैग वाली **कोल्हापुरी चप्पलों** से मिलती-जुलती फ्लैट लेदर सैंडल बेचने के लिए सांस्कृतिक विनियोग का आरोप लगाया गया।

सांस्कृतिक विनियोग क्या है?

- सांस्कृतिक विनियोग का आशय किसी **प्रभावशाली समूह द्वारा किसी हाशिए पर मौजूद संस्कृति के पहलुओं** को ऐसे तरीके से अपनाना है, जिसे **अनादरपूर्ण या शोषणकारी** माना जाता है अर्थात् उनका मूल अर्थ नष्ट हो जाता है या उनके महत्व का अनादर होता है।
  - **बहुसंख्यक समूह** के सदस्यों का **अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति से आर्थिक या सामाजिक रूप से लाभ कमाना** सांस्कृतिक विनियोग कहलाता है।
- **अन्य उदाहरण:**
  - **अमेरिकी ब्रांड स्टारबक्स का "गोल्डन लाटे" या गोल्डन मिल्क भारतीय आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हल्दी दूध (टरमरिक मिल्क)** के समान है।
  - **इतालवी ब्रांड गुच्ची** द्वारा फूलों की कढ़ाई वाला जैविक लिनन **कफ्तान** बेचना, जो **भारतीय कुर्ते** जैसा दिखाई देता है।

सांस्कृतिक विनियोग के लिए जिम्मेदार कारक

- **संरक्षण तंत्र का अभाव:** वर्तमान में मौजूद बौद्धिक संपदा (IP) प्रणालियां व्यक्तिगत नवाचार के लिए डिज़ाइन की गई हैं, न कि सामूहिक विरासत के संरक्षण के लिए।
- **GI टैग से संबंधित मुद्दे:** GI अधिकार मुख्य रूप से **'क्षेत्रीय प्रकृति'** के होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, ये उस देश (या क्षेत्र) तक सीमित हो जाते हैं, जहां उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, कोई स्वचालित 'वैश्विक' या 'अंतर्राष्ट्रीय' GI अधिकार मौजूद नहीं है (जैसे-**GI** टैग वाले **कोल्हापुरी चप्पल** और इटली मामला) ।
- **डिजिटल मार्केटप्लेस की खामियां:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक विनियोग के आरोप लगाए जाने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं, जबकि पुनर्विक्रय बाजार और डिजिटल पुनरुत्पादन बड़े पैमाने पर अनियंत्रित बने हुए हैं।
- **प्रवर्तन और जागरूकता का अभाव:** महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक परिवार पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, लेकिन **GI फ्रेमवर्क** के तहत केवल **95 व्यक्ति ही आधिकारिक तौर पर अधिकृत GI उपयोगकर्ता** के रूप में पंजीकृत हैं।

सांस्कृतिक विनियोग में शामिल नैतिक आयाम

- **कांट के नैतिकता के सिद्धांत (कैटेगोरिकल इंपेरेटिव) का उल्लंघन: सहमति के बिना** सांस्कृतिक तत्वों का विनियोग समुदायों को **केवल साध्य (लाभ) के एक साधन के रूप में** मानता है, न कि अपने आप में **एक साध्य के रूप में।**
- **उपयोगितावाद:** कंपनियों के लिए अल्पकालिक लाभ, हाशिए पर मौजूद समुदायों की **सांस्कृतिक गरिमा, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को दीर्घकालिक नुकसान** पहुंचाते हैं।
- **कारीगरों की आजीविका का क्षरण:** सांस्कृतिक विनियोग **अमर्त्य सेन के 'क्षमता दृष्टिकोण'** (Capability Approach) का उल्लंघन करता है। इससे कारीगरों और सांस्कृतिक समुदायों को स्वतंत्रता, गरिमा एवं आर्थिक अवसरों से वंचित किया जाता है।

वैश्वीकरण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को कैसे प्रभावित किया है?

सकारात्मक प्रभाव:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र जैसे **सितार और तबले** का **पश्चिमी पॉप व फ्यूजन संगीत** में उपयोग किया जाता है।
- **वैश्विक पहचान: योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत** जैसी भारतीय कला शैलियों ने दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है।

नकारात्मक प्रभाव:

- **संस्कृति का समांगीकरण (Homogenisation): नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम** जैसे वैश्विक मनोरंजन प्लेटफॉर्म युवा संस्कृति को आकार दे रहे हैं। अक्सर इनसे **स्थानीय कलाओं और लोक कथाओं को नुकसान** होता है।
- **सांस्कृतिक क्षरण:** पश्चिमी परिधान तेजी से **साड़ी** और **धोती-कुर्ता** जैसे पारंपरिक भारतीय परिधानों की जगह ले रहे हैं।

निष्कर्ष

प्राडा के कोल्हापुरी चप्पल विवाद में देखा गया सांस्कृतिक विनियोग, हाशिए पर मौजूद समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और कारीगरों की आजीविका को संरक्षित करने के लिए मजबूत वैश्विक बौद्धिक संपदा सुरक्षा एवं नैतिक प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

5.3. विविधता, समानता और समावेशन (Diversity, Equity, and Inclusion: DEI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मेटा, अमेज़न जैसी कंपनियां DEI पहलों को समाप्त कर रही हैं। इससे पहले, अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने भी अपने विविधता कार्यक्रमों पर रोक लगाने या उन्हें सीमित करने का निर्णय लिया था।

विविधता, समानता और समावेशन (DEI) पहलों से क्या आशय है?

- DEI एक व्यापक शब्दावली है, जिसका उपयोग उन नीतियों और पहलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो व्यक्तियों के **विविध समूहों के प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी को बढ़ावा** देती हैं, जैसे- जेंडर, नस्ल, सेक्शुअल ओरिएंटेशन आदि।
- कार्यस्थल पर DEI का अभाव कार्यस्थल पर भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है तथा प्रथाओं के समरूपीकरण के माध्यम से अंतर्निहित सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ा सकता है। इससे AI जैसी प्रौद्योगिकियों में मौजूदा पूर्वाग्रहों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** अमेज़न के एक एल्गोरिदम युक्त भर्ती टूल के खिलाफ लैंगिक भेदभाव के आरोप।

कार्यस्थल पर DEI का महत्व

- **भेदभाव न करना:** यह एक **मौलिक मानवाधिकार है,** जो गुणवत्तापूर्ण नियोजन और श्रमिक कल्याण के लिए आवश्यक है।
- **व्यवसाय विकास:** यह **रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा** देता है। साथ ही, यह कंपनियों में प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करता है और कंपनी में उनके बने रहने को बढ़ाता है। इससे कर्मचारी के जुड़ाव और कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रोत्साहन मिलता है।
  - **उदाहरण के लिए:** विविधता वाली कंपनियों द्वारा किसी नए बाजार पर पकड़ बनाने की 70% अधिक संभावना होती है और साल-दर-साल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की 45% अधिक संभावना होती हैं(हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू)।
- **प्रभावशाली निर्णय-प्रक्रिया:** विविधतापूर्ण टीमें 87% तक बेहतर निर्णय लेती हैं (फोर्ब्स अध्ययन)।
- **ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन) से जुड़ाव:** DEI के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता उसकी दीर्घकालिक संधारणीयता और जिम्मेदारीपूर्ण व्यावसायिक प्रथाओं का सूचक है।

DEI को बढ़ावा देने वाली पहलें

- **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 सिद्धांतों में से सिद्धांत क्रमांक 6:** कंपनियों को **नियोजन और व्यवसाय** के संबंध में **भेदभाव को समाप्त** करना चाहिए।
- **मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा-पत्र: अनुच्छेद 1 (समानता** - सभी व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेते हैं और गरिमा व अधिकारों में समान होते हैं।); **अनुच्छेद 2** (किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा)।
- जेंडर और दिव्यांगता पर लागू **नेशन वर्कप्लेस कोटा/ टार्गेट्स,** जैसे कि **ऑस्ट्रिया, जर्मनी** में अपनाया गया है।
- **AI की भूमिका:** AI का उपयोग छिपे हुए पूर्वाग्रहों की पहचान करने और कार्यस्थलों को अधिक समावेशी बनाने में सहायक हो सकता है। **उदाहरण के लिए:** AI आधारित सेंटिमेंट एनालिटिक्स के जरिए कर्मचारियों के फीडबैक का विश्लेषण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

हालांकि, अल्पकालिक दबावों के चलते कुछ संगठन DEI प्रयासों को कम कर सकते हैं, लेकिन इसका नवाचार, प्रतिभा आकर्षण, कर्मचारियों के कल्याण और अंततः सामाजिक प्रगति पर नकारात्मक रूप से दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। DEI को प्राथमिकता देना केवल नैतिक दायित्व ही नहीं, बल्कि भविष्य की सफलता और एक समावेशी वैश्विक समुदाय के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है।

5.4. सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज **2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% (94 करोड़ से अधिक)** हो गया है। इसमें पिछले एक दशक में **45% की अभूतपूर्व वृद्धि** हुई है।

सामाजिक सुरक्षा/ संरक्षण क्या है?

- **परिभाषा:** सामाजिक सुरक्षा (Social security) वह संरक्षण है, जिसे कोई समाज व्यक्तियों एवं परिवारों को **स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और आय संबंधी सुरक्षा की गारंटी** देने के लिए प्रदान करता है। इसे विशेष रूप से **वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, कार्यस्थल पर चोट लगने या मातृत्व** के मामलों में प्रदान किया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा के **तीन स्तंभ हैं (सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा और श्रम बाजार कार्यक्रम),** जो आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता में मदद करते हैं।

भारत में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?

- **विशाल अनौपचारिक कार्यबल:** 90% से अधिक कामगार अनौपचारिक हैं, जिनके पास बुनियादी सुरक्षा का अभाव है।
- **आर्थिक आघातों के प्रति संवेदनशीलता:** जैसे कोविड-19, जलवायु संबंधी आपदाएं।
- **गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक:** अपर्याप्त कवरेज वाला तेजी से बढ़ता हुआ वर्ग।
- **वृद्ध होती जनसंख्या:** वृद्धजनों की आबादी में वृद्धि (2050 तक कुल जनसंख्या के 20% से अधिक होने का अनुमान)।
- **लैंगिक अंतराल:** सामाजिक सुरक्षा के अभाव से महिलाएं असमान रूप से प्रभावित होती हैं।
- **गरीबी और असमानता:** अपर्याप्त सुरक्षा जाल पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को बनाए रखता है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें

- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PM-SYM) (वृद्धावस्था संरक्षण) (18-40 वर्ष):** लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा समान अंशदान।
- **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) (18 से 50 वर्ष):** किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- **अटल पेंशन योजना: (18-40 वर्ष):** 1000-5000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- **अन्य:** प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) (18 से 70 वर्ष), सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण, आदि।

आगे की राह

- **एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना:** उदाहरण के लिए- कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक राष्ट्र-एक कार्ड।
- **ई-श्रम को मजबूत करना:** रियल-टाइम अपडेट, पोर्टेबिलिटी, आधार के साथ एकीकरण आदि।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** आउटरीच, बीमा और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए।
- **सहभागी दृष्टिकोण:** सेवा वितरण में स्थानीय निकायों और नागरिक समाज को शामिल करना।
- **संधारणीय वित्त-पोषण मॉडल:** उदाहरण के लिए- प्लेटफॉर्म्स और नियोक्ताओं पर सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाना।
- **जेंडर और दिव्यांगता संबंधी समावेशन:** सुभेद्य वर्गों को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष

विकास की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे, बिखरे हुए और अलग-अलग क्षेत्रकों पर आधारित उपायों की जगह एकीकृत एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। डिजिटल सुविधाओं, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और वित्तीय नवाचार का सही उपयोग करके, भारत एक सच्चे समावेशी कल्याणकारी देश की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

5.5. राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संगठनों की भूमिका (Role of Social Organizations in Nation Building)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल हीं में, लोक सभा अध्यक्ष ने देश और समाज के विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया।

सामाजिक संगठन क्या हैं?

- **सामाजिक संगठन** का अर्थ है कि समाज में लोग और समूह किस तरह से एक-दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कैसे आपस में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये संगठन **औपचारिक** (जैसे धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, श्रमिक संघ आदि) या **अनौपचारिक** (जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी समूह आदि) हो सकते हैं।

राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संस्थाओं की भूमिका

सामाजिक संस्थाएं	राष्ट्र निर्माण में भूमिका
परिवार	यह **सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों और अच्छे नैतिक व्यवहारों को सिखाने वाली ऐसी प्राथमिक पाठशाला है,** जो अधिक सामंजस्यपूर्ण व समावेशी समाज बनाने में मदद करती है।
धार्मिक संस्था	यह **नैतिक रूपरेखा** प्रदान करती है और करुणा, क्षमा एवं दान जैसे मूल्यों को मजबूत करती है। साथ ही, **सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक सामंजस्य** को बढ़ावा देती हैं; **धर्मार्थ व कल्याणकारी कार्यों से गरीबी को कम** करने में मदद कर सकती है आदि।
शैक्षिक संस्था	यह **ज्ञान एवं कौशल सीखाने,** और कड़ी मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क व मूल्यों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों को विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने आदि में मदद करती है।
गैर-सरकारी संगठन	• **नीतियों को दिशा देना और प्रभाव डालना:** उदाहरण के लिए- RTI अधिनियम को प्रभावित करने में मजदूर किसान शक्ति संगठन (NGO) की भूमिका रही है। • **जागरूकता एवं क्षमता निर्माण:** जैसे- लैंगिक मुद्दों में सेवा/ SEWA (ट्रेड यूनियन) की भूमिका। • **बेहतर सेवा वितरण:** उदाहरण- शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम NGO की भूमिका। • **लोकतंत्र को मजबूत करना:** जैसे- राजनीति को अपराध मुक्त करने के प्रयास में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की भूमिका।

निष्कर्ष

इस प्रकार, प्रत्येक सामाजिक संस्था व्यक्तियों के जीवन के साथ-साथ समुदायों के सामूहिक ताने-बाने को भी आकार देने में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देती है। इन संस्थाओं के महत्व को पहचानना और समझना, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने के लिए तथा संधारणीय, समावेशी व अनुकूलनशील समाजों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.6. छात्रों द्वारा आत्महत्या (Student Suicides)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले** में सुनवाई के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते संकट से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों (जैसे- स्कूल, कोचिंग संस्थान, आदि) के लिए संविधान के **अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 141 के तहत 15 अंतरिम दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।
- न्यायालय ने कहा कि भारत के युवाओं में व्याप्त यह संकट देश के एजुकेशनल इकोसिस्टम में गहरी **"संरचनात्मक अस्वस्थता"** की ओर इशारा करता है।
- NCRB के अनुसार, **2022** में भारत में **13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्याएं** की थी, जो **सभी तरह की आत्महत्याओं का 7.6%** है। इनमें से 2,200 से अधिक **सीधे तौर पर परीक्षा में असफलता** से जुड़ी थीं।

भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में वृद्धि के कारण

- **सामाजिक और पारिवारिक कारक:** इसमें माता-पिता की उच्च अपेक्षाएं, साथ ही साथियों से तुलना, बचपन का आघात, दुर्व्यवहार (यौन, शारीरिक व भावनात्मक), धमकाना, ऑनलाइन उत्पीड़न, आदि शामिल हैं।
  - एकल परिवारों की ओर बढ़ता रुझान पारंपरिक सहायता प्रणालियों में कमी और अकेलेपन में वृद्धि का कारण बन सकता है।
- **शैक्षणिक दबाव और शिक्षा प्रणाली:** विशेष रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों (जैसे- IIT, IIM) में प्रवेश के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा; अंकों, रैंकिंग और सफलता की संकीर्ण परिभाषा (अक्सर इसे शैक्षणिक उपलब्धि और विशिष्ट करियर अपनाने के साथ जोड़ना) पर ज़ोर देने से उत्पन्न असफलता का भय; मजबूरी में करियर चुनना; आदि।
- **मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां:** अवसाद, एंग्जायटी जैसी अज्ञात मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां; पढ़ाई के लिए घर से दूर रहने वाले छात्रों हेतु भावनात्मक और संस्थागत सहायता का अभाव; मादक द्रव्यों का सेवन; आदि।
- **संस्थागत मुद्दे:** मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मौन रहने और हीन भावना की व्यापक संस्कृति; अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना {कोचिंग सेंटर्स सहित कई शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षित कर्मियों (परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों) का अभाव}; आदि।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रमुख न्यायिक दिशा-निर्देश (विधायी ढांचा विकसित होने तक बाध्यकारी)

- **शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य नीति:** यह उम्मीद, मनोदर्पण और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति जैसे राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप है।
- **मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर्स की नियुक्ति:** 100 या अधिक छात्रों वाले संस्थानों के लिए कम-से-कम एक योग्य काउंसलर होना चाहिए।
- ये परफॉरमेंस, पब्लिक शेमिंग करने और कठिन शैक्षणिक लक्ष्यों के आधार पर **बैच को अलग करने पर प्रतिबंध** लगाते हैं।
- **हेल्पलाइन नंबर (टेली-मानस सहित)** को परिसरों और छात्रावासों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- **सभी कर्मचारियों** को संकट प्रतिक्रिया और चेतावनी संकेतों की पहचान पर **वर्ष में दो बार मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण** प्राप्त करना होगा।
- SC/ST/OBC/EWS, LGBTQ+ और दिव्यांग छात्रों के लिए **समावेशी व गैर-भेदभावपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं** को अपनाना होगा।
- संस्थानों द्वारा यौन उत्पीड़न, रैगिंग और पहचान आधारित भेदभाव के लिए **गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली** स्थापित की जाएगी। साथ ही, प्रभावित छात्रों के लिए **तत्काल मनोवैज्ञानिक सहायता सुनिश्चित करनी होगी।**
- **रुचि-आधारित करियर परामर्श और पाठ्येतर गतिविधियों** को बढ़ावा देकर **परीक्षा-केंद्रित तनाव को कम** करने का प्रयास करना होगा।

निष्कर्ष

छात्र आत्महत्याओं की समस्या को हल करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व सहायक सेवाओं को बढ़ावा देना, परिवार और समाज से मजबूत समर्थन, तथा एक ऐसी सोच की ज़रूरत है जो सफलता की संकीर्ण परिभाषा की बजाय विद्यार्थियों के कल्याण एवं मानसिक संतुलन को प्राथमिकता दे।

नोट: *मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, 2025 Mains 365 सामाजिक मुद्दे डॉक्यूमेंट का आर्टिकल 6.3. देखें।*

5.7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 {National Education Policy (NEP), 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के पांच वर्ष पूरे हुए। **NEP 2020 भारतीय लोकाचार** में निहित शिक्षा प्रणाली के जरिए शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन की परिकल्पना करती है। इससे भारत को एक **समतामूलक और जीवंत ज्ञान आधारित समाज** में बदलने में योगदान मिलेगा।

NEP 2020 - मुख्य विशेषताएं

- **सार्वभौमिक पहुंच:** प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य:** 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात (GER) 100% करना।
- **योग्यता-आधारित शिक्षण:** 5+3+3+4 प्रणाली के साथ नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना NCF-SE (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- स्कूली शिक्षा) को लागू करते हैं।
- **अनुकूलन:** व्यावसायिक और अकादमिक स्ट्रीम्स के बीच अनुकूलनशीलता को बढ़ाना। निर्बाध सुधारों के लिए **एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC)** की शुरुआत करना।
- **बहुभाषावाद:** कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 व उससे आगे तक **शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन**।
- **मूल्यांकन सुधार: राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख/ PARAKH {समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण** की स्थापना करना।
- **समावेशिता:** सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (SEDGs) पर ध्यान केंद्रित करना। महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए **जेंडर समावेशन कोष।** SEDGs की बड़ी आबादियों वाले अंचलों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZs) घोषित किया जाएगा।
- **संस्थागत सुधार:** बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERUs), राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (NRF), और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना।
- **प्रमुख पहलें: 'लाइट बट टाइट'** विनियमन नीति। गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक और शिक्षक एवं पेशेवर शिक्षा। बहु-विषयक दृष्टिकोण और एकाधिक प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण।

प्रमुख लक्ष्य और निवेश

50%	6%	100%
2035 तक उच्चतर शिक्षा में GER (2018 में 26.3%)	शिक्षा क्षेत्रक में सार्वजनिक निवेश (GDP का %)	2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए GER का लक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रमुख उपलब्धियां

- **पाठ्यक्रम में सुधार: 5+3+3+4 संरचना और NCF-SE (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा- स्कूली शिक्षा)** अनुभवात्मक एवं योग्यता-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
  - CBSE बोर्ड परीक्षा में **50% योग्यता-आधारित प्रश्न** शामिल किए गए हैं। कुछ विषयों को **2 स्तरों (मानक और उच्चतर)** पर प्रस्तुत किया गया है।
- **बुनियादी कौशल: निपुण (NIPUN) भारत** और **विद्या प्रवेश** जैसी पहलें 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ से अधिक छात्रों तक पहुंच चुकी हैं।
- **समावेशिता:** 1.15 लाख से अधिक **SEDG (सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह)** छात्र और 7.58 लाख छात्राएं आवासीय विद्यालयों में नामांकित हैं। **प्रशस्त (PRASHAST) ऐप** दिव्यांगता स्क्रीनिंग में सहायता प्रदान करता है।

- **शिक्षकों का प्रशिक्षण: निष्ठा (NISHTHA) पहल** के तहत 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: 72% स्कूलों** में अब इंटरनेट उपलब्ध है। **विद्यांजलि, DIKSHA** (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग), **पीएम ई-विद्या (PM e VIDYA), ई-जादुई पिटारा** (AI-संचालित खेल-आधारित शिक्षा), **AI बॉट** (कथा सखी, टीचर तारा) जैसी पहलें चल रही हैं।
- **परीक्षण: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) (2022) अब स्नातक में प्रवेश** के लिए एक प्रमुख मार्ग है।
- **शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण: IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद** ने क्रमशः **ज़ांज़ीबार, अबू धाबी और दुबई** में अपने अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित किए हैं। इसके साथ ही **यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन** ने भारत में अपना कैंपस खोला है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 ने कई महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। लेकिन, केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत मतभेद, त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में कठिनाइयां, और उच्चतर शिक्षा आयोग जैसी प्रमुख संस्थाओं के गठन में देरी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का समाधान लचीली कार्यान्वयन रणनीतियों और तीव्र संस्थागत सुधारों के माध्यम से करना जरूरी है, ताकि NEP, 2020 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

5.8. STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित) में महिलाएं (Women in Stem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2024 में पहली बार पिछले दस सालों में ऐसा हुआ है कि **12वीं कक्षा में विज्ञान विषय (28.14 लाख) लेने वाली लड़कियों की संख्या आर्ट्स (27.24 लाख) लेने वाली लड़कियों की संख्या से ज़्यादा थीं।**

वर्तमान स्थिति

- हालांकि, अब भी विज्ञान विषय अपनाने में लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, लेकिन यह **अंतर धीरे-धीरे कम** हो रहा है। 2024 में विज्ञान स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों में से **46% लड़कियां** थीं।
- ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) 2021–22 के अनुसार, **उच्चतर शिक्षा में विज्ञान विषय को 52.1% लड़कियों** ने अपनाया था।
- **मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी लड़कों के बराबर है** और इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में भी उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

STEM में महिलाओं की अधिक भागीदारी की आवश्यकता क्यों है:

- STEM में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करना।
- तेज़ी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में लैंगिक विविधता सुनिश्चित करना।
- लैंगिक और वेतन अंतराल को कम करना और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना।
- STEM क्षेत्रों में महिलाओं की अग्रणी भूमिकाएं न केवल पारंपरिक लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देती हैं, बल्कि युवा लड़कियों को ऐसे करियर चुनने के लिए प्रेरित भी करती हैं।

चुनौतियां:

- **दोहरी भूमिका की समस्या:** महिलाओं के पेशेवर फैसले अक्सर उनकी घरेलू जिम्मेदारियों से प्रभावित होते हैं।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव:** नेतृत्व वाले पदों पर महिलाओं की कम मौजूदगी के कारण कार्यस्थल पर प्रदर्शन मूल्यांकन में '**ग्लास सीलिंग**' जैसा प्रभाव देखा जाता है।
- **लैंगिक रूढ़िवादिता:** विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रकों को अक्सर पुरुष-प्रधान माना जाता है। साथ ही, यह धारणा भी बनी रहती है कि महिलाएं गणित एवं विज्ञान में बौद्धिक रूप से कमजोर होती हैं।
- **सुविधाओं की कमी:** यात्रा भत्ता, रहने की व्यवस्था और मातृत्व हितलाभ जैसी सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं STEM करियर से दूर रहती हैं।
- **रोल मॉडल की कमी:** STEM क्षेत्रों में प्रेरणादायक महिला आदर्शों की कमी के कारण लड़कियों को इस दिशा में प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

STEM में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलें

- **विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में महिलाएं (WISE)-किरण:** महिलाओं को करियर ब्रेक के बाद कार्यस्थल पर लौटने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन्स (गति/ GATI) कार्यक्रम:** सभी के लिए विशेष रूप से महिलाओं हेतु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणित (STEMM) के क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना।
- अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना **(SERB - POWER)**।
- **SWATI/ स्वाति** (महिलाओं के लिए विज्ञान- एक प्रौद्योगिकी और नवाचार) पोर्टल।

आगे की राह

- **मार्गदर्शन और सहायता:** प्रत्येक संगठन में स्थिर मार्गदर्शन और सहायता नेटवर्क स्थापित करना चाहिए।
- **समानता और समावेशन:** प्रत्येक संस्थान में 'समानता और समावेशन कार्यालय' के निर्माण को अनिवार्य बनाना चाहिए।
- **प्रतिनिधित्व:** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला वैज्ञानिक करियर संबंधी पहलों, भर्तियों, बजट प्रस्तावों आदि के लिए पैनल में शामिल हों।
- **बाल देखभाल:** परिसर में एक डे-केयर सेंटर स्थापित करना चाहिए।
- **कार्यस्थल संस्कृति:** STEM में महिलाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए एक सहायक व समावेशी कार्यस्थल संस्कृति का सृजन करना चाहिए।
- **दूरस्थ अवसर:** STEM में महिलाओं के लिए अवसरों को खोलने हेतु ऑनलाइन शिक्षण, प्रमाणन और दूरस्थ कार्य को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष:

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक समावेशी और नवाचारी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं STEM क्षेत्रकों में न केवल प्रवेश करें बल्कि उसमें आगे भी बढ़ें, निरंतर नीतिगत समर्थन, सांस्कृतिक बदलाव और संस्थागत सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

5.9. ब्लू-ग्रे कॉलर नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी (Women's Participation in Blue-Grey Collar Jobs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उदयती फाउंडेशन और क्वेस कॉर्प द्वारा जारी **"ब्लू-ग्रे कॉलर कार्यबल में महिलाओं की स्थिति 2025"** शीर्षक वाली रिपोर्ट में उन प्रणालीगत बाधाओं का विश्लेषण किया गया है, जो भारत में ब्लू-ग्रे कॉलर नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी और उन्हें उसमें बने रहने के समक्ष बाधा उत्पन्न करती हैं।

ब्लू-ग्रे कॉलर कार्य के बारे में

- **ब्लू-कॉलर कार्य:** यह श्रम-गहन नौकरियों को संदर्भित करता है, जिनका भुगतान आमतौर पर प्रति घंटे के आधार पर किया जाता है। इनमें आमतौर पर अकुशल या अर्ध-कुशल श्रमिक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए- निर्माण कार्य, हाउसकीपिंग, खनन, और घरेलू या स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
- **ग्रे कॉलर कार्य:** ये ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर नौकरियों के बीच के अंतराल को खत्म करते हैं। इनमें शारीरिक या परिचालन संबंधी कार्य शामिल होते हैं। इसके लिए कुछ तकनीकी कौशल या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए- खुदरा, FMCG, विनिर्माण या IT जैसे क्षेत्रकों में सेल्स और कस्टमर एग्जीक्यूटिव की भूमिका।
- वित्त वर्ष 2020-2021 और वित्त वर्ष 2023-24 में औपचारिक ब्लू-ग्रे कॉलर रोजगार में **67% की वृद्धि** हुई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **महिलाओं की कम भागीदारी:** 5 में से केवल 1 (19%) ब्लू-ग्रे कॉलर कर्मचारी महिलाएं हैं।
- **नौकरी छोड़ने की उच्च दर:** सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं में से 1 वर्ष से कम अनुभव वाली 52% महिलाएं अगले 12 महीनों में अपनी नौकरी छोड़ने की योजना बना रही हैं, जबकि 2 वर्ष से अधिक अनुभव वाली महिलाओं में यह दर केवल 3% है।
    - पिछले छह महीनों में नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं में से 67% वर्तमान में कार्यबल से बाहर हैं।

महिलाओं में नौकरी छोड़ने की उच्च दर के लिए उत्तरदायी कारक

- **कम आय और उच्च अवसर लागत:** ब्लू-ग्रे कॉलर भूमिकाओं में महिलाओं का वेतन अपने पुरुष समकक्षों के वेतन के लगभग 70% के बराबर ही होता है।
    - लगभग **80% कर्मचारी ₹2,000 प्रति माह या उससे भी कम बचत** कर पाते हैं, जो जीवन निर्वाह और न्यूनतम वेतन के बीच के अंतराल को दर्शाता है।
- **खराब कार्य संस्कृति:** कार्यस्थल पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी महिलाओं द्वारा कार्यबल से बाहर निकलने, उसमें बने रहने और वापस लौटने को प्रभावित करती है।
- **अपर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा:** हर तीन में से एक महिला कर्मचारी कार्यस्थल को असुरक्षित मानती है, खासकर जब वहां CCTV, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं न हों।
- **अपर्याप्त सुविधाएं:** विशेष रूप से विनिर्माण और फील्ड संबंधी कार्यों में महिलाओं को स्वच्छ शौचालय, सुरक्षित विश्राम स्थल जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जिससे वे नौकरी छोड़ने पर मजबूर होती हैं।
- **रुकी हुई करियर प्रगति और कौशल की कमी:** महिलाओं में करियर में आगे बढ़ने की इच्छा तो होती है, लेकिन **उचित प्रशिक्षण और अप-स्किलिंग के अवसरों की कमी** के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिससे उनमें असंतोष बढ़ता है।
- **यात्रा संबंधी समस्या:** खराब कनेक्टिविटी, असुरक्षित और अनियमित परिवहन व्यवस्था, विशेषकर अंधेरा होने के बाद आना-जाना महिलाओं के कार्यस्थल तक पहुंचने को कठिन बनाते हैं। इससे वे कई करियर में प्रगति संबंधी अवसरों से भी वंचित रह जाती हैं।
- **कानूनी बाधाएं:** कई **कानून महिलाओं के लिए रात्रिकालीन कार्य पर प्रतिबंध** लगाते हैं, जिससे वे विविध क्षेत्रकों में काम ही नहीं कर पाती हैं।
    - उदाहरण: **दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954** के अनुसार, गर्मियों में महिलाएं **रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक** और सर्दियों में **रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक** काम नहीं कर सकती हैं।

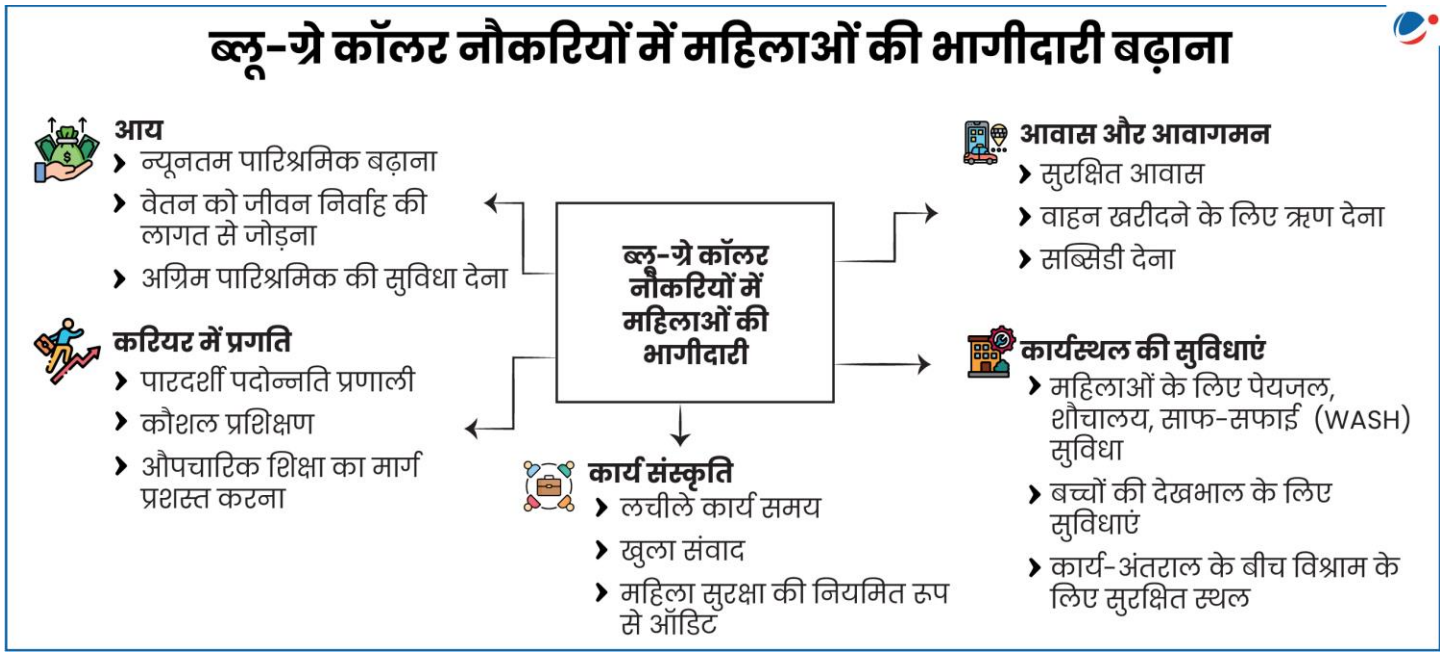

निष्कर्ष

यदि महिलाओं के लिए **जीवन निर्वाह वेतन** (जिससे भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें) सुनिश्चित किया जाए, तो ब्लू-ग्रे कॉलर नौकरियों में उनकी भागीदारी से जुड़ी अवसर लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है और महिला श्रमबल की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।

केवल उचित वेतन ही नहीं, बल्कि यदि सुरक्षित और सुलभ अवसंरचना, लक्षित कौशल विकास, तथा वास्तव में लैंगिक-संवेदनशील कार्य परिवेश के लिए नीतियों को रणनीतिक रूप से लागू किया जाए, तो भारत महिला कार्यबल की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। इससे उनकी स्थायी भागीदारी सुनिश्चित होगी, समावेशी राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ेगी और लैंगिक समानता की दिशा में ठोस प्रगति होगी।

5.10. भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस (Sports Governance in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025** को मंजूरी दी। यह नीति मौजूदा **राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी।** मौजूदा नीति का उद्देश्य **राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की क्षमता का उपयोग** करना है।

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP), 2025 या खेलो भारत नीति के 5 मुख्य स्तंभ

- **वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता:** इसमें **जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर** तक खेल कार्यक्रमों को मजबूत करना; **राष्ट्रीय खेल महासंघ** की क्षमता एवं प्रशासन को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं।
- **आर्थिक विकास: खेल पर्यटन, स्टार्ट-अप्स और उद्यमिता** के माध्यम से खेलों की **आर्थिक क्षमता को बढ़ावा** देना आदि।
- **सामाजिक विकास:** महिलाओं, कमजोर वर्गों आदि की भागीदारी के माध्यम से **सामाजिक समावेशन** सुनिश्चित करना।
- **एक जन आंदोलन के रूप में खेल:** आम जन की भागीदारी को बढ़ावा देना, फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल सुविधाओं तक हर एक की पहुंच सुनिश्चित करना आदि।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकरण:** इसमें **खेलों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल** करना, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना आदि शामिल है।

रणनीतिक फ्रेमवर्क

- **गवर्नेंस:** यह कानूनी फ्रेमवर्क सहित एक **मजबूत विनियामक प्रणाली** ढांचे के माध्यम से किया जाएगा।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा वित्त-पोषण एवं सहायता:** इसमें **सार्वजनिक निजी भागीदारी और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** जैसे वित्त-पोषण के नवीन तंत्रों का उपयोग किया जाएगा।

- **अन्य:** इसमें **AI और डेटा एनालिटिक्स, राष्ट्रीय स्तर की निगरानी रूपरेखा** आदि सहित **उभरती प्रौद्योगिकियों** का उपयोग करना शामिल है।

भारत में खेल इकोसिस्टम

- **खेल 7वीं अनुसूची के तहत, राज्य सूची का विषय है।**
  - हालांकि, **केंद्र सरकार** अपनी अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों के **पूरक के रूप में सहायता** प्रदान करती रहती है।
- **भारत की केवल 6% आबादी ही खेलों में भाग लेती हैं।** संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह अनुपात लगभग 20% है और जापान में तो यह 60% तक है।

भारत के खेल इकोसिस्टम की चुनौतियां

- **प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान में कमियां**: दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने पेरिस ओलंपिक में केवल 117 एथलीटों को भेजा। वहीं इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 594, फ्रांस के 572 और ऑस्ट्रेलिया के 460 एथलीट शामिल हुए थे।
- **संसाधन की कमी:** भारत का खेल बजट संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन जैसे देशों की तुलना में कम है। आवंटित फंड का कम उपयोग भी बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए- मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, **खेलो इंडिया योजना** के लिए 2019-20 में **आवंटित 500 करोड़ रुपये में से केवल 318 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए।**
- **अवसंरचना की कमी:** खेल अवसंरचना की कमी है, विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों तथा बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में।
  - अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाली **अधिकांश खेल सुविधाएं** हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक जैसे **कुछ राज्यों में ही केंद्रित हैं।**
- **गवर्नेंस संबंधी समस्याएं:** भारत की खेल गवर्नेंस प्रणाली पर राजनेताओं और नौकरशाहों का प्रभुत्व बना हुआ है। खेल गवर्नेंस प्रणाली पर अक्सर भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण में संलिप्तता के आरोप लगते रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए- जनवरी 2023 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली कई खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के तत्कालीन अध्यक्ष और महासंघ के कोचों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
- **एथलीटों के प्रबंधन में कमी:** उदाहरण के लिए- विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल के दिन 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार भारत ने एक निश्चित रजत और संभावित स्वर्ण पदक को खो दिया।
- **अन्य चुनौतियां:** खेल के अवसरों और दी जा रही सरकारी सहायता के बारे में जागरूकता की कमी है, उत्कृष्ट श्रेणी के कोचिंग स्टाफ की कमी है, लैंगिक असमानताएं मौजूद है, निजी क्षेत्रक का सहयोग नहीं मिल पाता है, आदि।

भारत में खेल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **बजटीय सहायता:** केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन 2014-15 से 2023-24 के बीच लगभग दोगुना हो गया है।
- **खेलो इंडिया कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम जमीनी स्तर और शीर्ष स्तर पर एथलीटों की पहचान करने और उनके विकास के लिए शुरू किया गया है।
- **खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (कीर्ति/KIRTI) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए 9 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों को लक्षित करना है।
- **खेल गतिविधियों को मुख्यधारा में लाना:** फिट इंडिया मूवमेंट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को शामिल किया गया है।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष योजना:** यह योजना **एथलीटों के एक ऐसे विकासात्मक समूह** को फंड देती है जो ओलंपिक खेलों में पदक की संभावित दावेदार होते हैं। कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस कोष में योगदान कर सकते हैं।
- **टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS):** भारत के शीर्ष एथलीटों को वित्त पोषण, विशेष उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, शीर्ष स्तरीय कोचिंग और मासिक भत्ता सहित व्यापक सहायता प्रदान की जाती है।
- **एक स्कूल-एक खेल नीति:** रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूलों के लिए यह पहल शुरू की है। इसके तहत संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहचाने गए कम से कम एक खेल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है।

भारत में खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में आगे की राह

- **मानसिकता में बदलाव लाना:** माता-पिता को उन लाभों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को मिलते हैं। जैसे- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में वरीयता।
  - इसके अलावा, कॉर्पोरेट्स को अपने कर्मचारियों को सेहतमंद रखने के लिए खेल को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए।

- **खेल प्रतिभा पूल को बढ़ाना**
  - **युवा प्रतिभा को बढ़ावा देना:** स्कूलों और **समुदाय-आधारित खेल कार्यक्रमों में अधिक टूर्नामेंट आयोजित करने, पोषण सहायता प्रदान करने और** खेलों में आने वाले **सामाजिक अवरोधों और लैंगिक असमानता को दूर करने पर बल** देना चाहिए।
    - **केरल सरकार** की **'एक पंचायत, एक खेल का मैदान'** पहल एक ऐसा मानक है, जिसे राज्यों में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जा सकता है।
  - **एक राज्य-एक खेल नीति:** खेलों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और खेल अभिरुचि पैदा करने के लिए क्षेत्र-विशेष के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - राजस्थान सरकार ने **'ग्रामीण ओलंपिक'** जैसे स्थानीय खेल मेगा इवेंट आयोजित किया है। ऐसे इवेंट को पूरे देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **खेल महासंघों की गवर्नेंस संरचना में सुधार:** शीर्ष पदों पर स्वतंत्र भर्ती की प्रक्रिया अपनानी चाहिए तथा खेल महासंघों के कार्यों और नीति निर्माण, दोनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** पोषण विशेषज्ञों और एथलीटों के सहायक स्टाफ के लिए प्रदर्शन मापदंड लागू करना और अंतिम क्षण में गलत प्रबंधन के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक का उद्देश्य भारत के खेल क्षेत्रक में समावेशी विकास, बेहतर प्रशासन तथा जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से सुधार लाना है। हालांकि, यह सफलता सही क्रियान्वयन, सांस्कृतिक बदलाव, और अवसंरचना व प्रतिभा में निरंतर निवेश पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक, 2025

राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस विधेयक, 2025 लोक सभा में पेश किया गया। यह विधेयक खेल संस्थाओं के गवर्नेंस में सुधार लाने, खेलों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और खेल महासंघों से जुड़े विवादों एवं मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र

- **राष्ट्रीय खेल शासी निकाय:** निम्नलिखित निकायों को उनके संबंधित मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के लिए **राष्ट्रीय खेल शासी निकाय** के रूप में स्थापित किया जाएगा:
  - **राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (NOC):** यह भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
  - **राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (NPC):** यह पैरालंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है।
  - **अन्य निकाय: राष्ट्रीय खेल संघ (NSF), क्षेत्रीय खेल संघ (RSF) आदि।**
- **राष्ट्रीय खेल बोर्ड:** इसे किसी भी खेल संगठन को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा (बॉक्स देखें)।
- **राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल:** यह राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की कार्यकारी और एथलीट समितियों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की देखरेख करेगा।
- **राष्ट्रीय खेल अधिकरण:**
  - यह अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाएगा और खेल-संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करेगा। इसका खर्च **भारत की संचित निधि** से वहन किया जाएगा।
  - **अधिकरण** के दायरे में आने वाले मामलों पर **सिविल कोर्ट्स का अधिकार-क्षेत्र नहीं** होगा।
- **आचार संहिता:** प्रत्येक राष्ट्रीय खेल शासी निकाय को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आचार संहिता बनानी होगी।
- **सुरक्षित खेल नीति और शिकायत निवारण:** इसका उद्देश्य महिला एवं नाबालिग एथलीट्स जैसे सुभेद्य समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

5.11. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 (Swachh Survekshan 2024-25)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 **विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां वार्षिक संस्करण** है। इस वर्ष की थीम थी – **रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल (3Rs)।**

स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में

- **प्रारंभ:** इसे **2016 में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** के अंतर्गत शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा शहरों एवं कस्बों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के महत्त्व के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- **शामिल संस्थाएं:** यह सर्वेक्षण प्रतिवर्ष **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा आयोजित किया जाता है।
    - शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा प्रस्तुत डेटा का फील्ड आकलन **थर्ड पार्टी एजेंसी** द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- **घटक:**
    - **स्वच्छ सर्वेक्षण:** ULBs द्वारा प्रदान किए गए डेटा, दस्तावेज़ मूल्यांकन और फील्ड आकलन पर आधारित।
    - **प्रमाणन:** ODF+/ ODF++/ वाटर+ दर्जे के आधार पर, जिनमें 80% और 20% का वेटेज निर्धारित है।

पुरस्कारों से संबंधित मुख्य तथ्य (2024-25)

- **जनसंख्या आधारित पांच स्तरीय वर्गीकरण:** मिलियन प्लस शहर (10 लाख से अधिक आबादी), बड़े शहर (3–10 लाख), मध्यम शहर (50,000–3 लाख), छोटे शहर (20,000–50,000) और बहुत छोटे शहर (20,000 से कम)।
- **पुरस्कार: निम्नलिखित 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए:**
    - **सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ (नई श्रेणी):** वे शहर जिन्होंने अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर असाधारण प्रदर्शन किया।
        - **इंदौर, सूरत और नवी मुंबई** ने प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया।
    - **पांच स्तरीय जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर: अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ** शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे।
    - **विशेष श्रेणियां:** गंगा नगर, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ आदि।
    - **राज्य स्तरीय पुरस्कार:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के **34 शहरों को प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज़ अवॉर्ड** से सम्मानित किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बेहतर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारक

- **3Rs सिद्धांत पर ज़ोर:** अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम करने तथा मौजूदा संसाधनों के पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण के तरीके खोजने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करना, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था की व्यापक अवधारणा के अनुरूप हो।
- **अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति: इंदौर** जैसे शहरों में अपशिष्ट पृथक्करण के लिए छह-डिब्बे वाली प्रणाली (six-bin system) तथा **सूरत** में सीवेज जल का उपचार कर उसे बेचना अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवीन पद्धतियों को प्रदर्शित करते हैं।

- **बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा:** शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों के लिए एक अलग लीग, सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत ने उन्हें उच्च मानकों को बनाए रखने और सर्वोत्तम रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रेरित किया है।

निष्कर्ष

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ने शहरों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा दिया है, अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचार को प्रोत्साहित किया है और जनभागीदारी को भी बढ़ाया है। इससे शहरी भारत में स्वच्छता और सफाई के स्तर में समग्र सुधार देखने को मिला है।

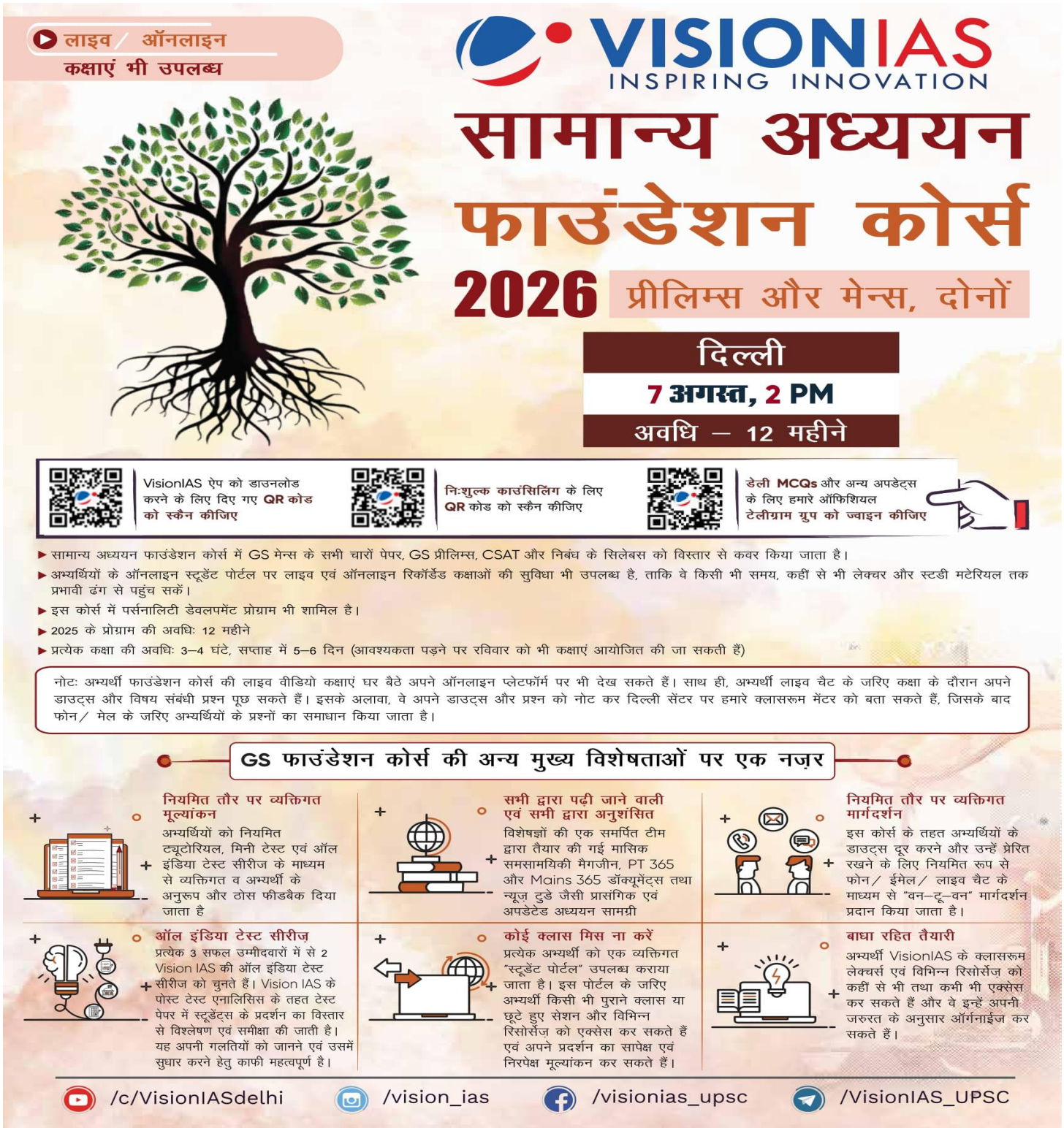

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

6.1. नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) उपग्रह {NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) Satellite}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार/ NISAR) उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।

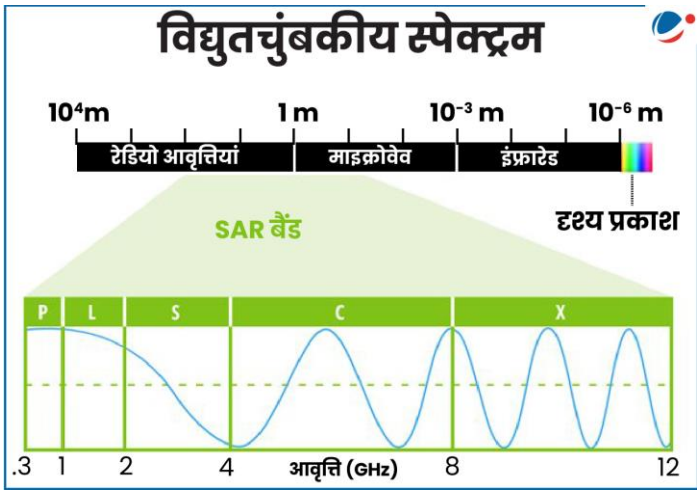

अन्य संबंधित तथ्य

यह **पहला ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग मिशन है, जो भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग** में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

निसार (NISAR) के बारे में

- **भू-प्रेक्षण उपग्रह (EOS):** यह **प्रत्येक 12 दिनों** में द्वीपों और चयनित महासागरों सहित वैश्विक भूमि एवं बर्फ से ढकी सतहों की इमेजिंग करेगा। यह **प्रत्येक 97 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा** करेगा।
- **वजन:** 2,392 किलोग्राम
- **प्रक्षेपण यान:** इसे इसरो के **भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV)-F16 से प्रक्षेपित** किया गया है।
- **कक्षा: सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा**
  - यह पहली बार है, जब GSLV रॉकेट को **743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO)** में उपग्रह स्थापित करने के लिए उपयोग किया गया है।
    - सामान्यत: GSLV का उपयोग **जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (कक्षा)** में उपग्रह स्थापित करने के लिए किया जाता है। यह कक्षा **पृथ्वी से 35,786 किमी** ऊपर है।
    - **सूर्य तुल्यकालिक कक्षा (SSO):** सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा एक विशेष प्रकार की **ध्रुवीय कक्षा** है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह **ध्रुवीय क्षेत्रों पर से गमन करते हुए, सूर्य के साथ समकालिक** होता है। इसका अर्थ यह है कि उपग्रह हमेशा समान स्थानीय समय पर समान स्थान के ऊपर से गुजरता है।
- **प्रमुख पेलोड्स:**
  - **सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR):** यह **L (नासा) और S (इसरो) दोनों बैंड्स पर संचालित होने वाला ड्यूल बैंड** सिंथेटिक एपर्चर रडार है।
    - **एल बैंड (L Band):** भू-भौतिकीय निगरानी, बायोमास और वनस्पति मानचित्रण के लिए उपयोग किया जाता है।
    - **एस बैंड (S Band):** SAR आधारित भू अवलोकन और कृषि निगरानी के लिए तेजी से उपयोग में लाया जा रहा है।

अन्य प्रमुख विशेषताएं

- **स्वीप SAR तकनीक:** इससे विस्तृत और अलग-अलग भूभाग की हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज ली जा सकती हैं।
- **अपेक्षित मिशन उपयोग अवधि:** कम-से-कम 5 वर्ष
- **ओपन-डेटा नीति:** इस उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी वैज्ञानिक समुदाय के लिए नि:शुल्क उपलब्ध होगी, जिससे विकासशील देशों को लाभ होगा।

SAR के बारे में

- SAR एक उपकरण है, जो **पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड** करता है और **रडार मोशन के माध्यम से हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज** जनरेट करता है। यह अपने पथ में आने वाले विविध स्थानों से प्राप्त **रडार संकेतों को** प्रोसेस करता है, जिससे एक बड़ा "सिंथेटिक" एपर्चर बनता है।

- **ऑप्टिकल इमेजरी** एक ऐसी तकनीक है, जो सूर्य या किसी स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा को कैमरे से कैद करती है। यह एक पैसिव तरीका है। वहीं, **SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार** एक एक्टिव तकनीक है, जिसमें खुद उपग्रह से ऊर्जा की किरणें पृथ्वी पर भेजी जाती हैं और पृथ्वी की सतह से टकराकर लौटने वाली तरंगों के आधार पर एक इमेज बनाई जाती है। इससे पहाड़, वन, समुद्री बर्फ और मृदा में नमी की दशाओं जैसी चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं।

यह "सिंथेटिक" क्यों है?

- किसी निर्धारित तरंग दैर्ध्य के लिए, जितना लंबा रडार का एंटीना होगा, उतना उच्चतर स्थानिक रेजोल्यूशन होगा।
- अगर हमें 10 मीटर का स्थानिक रेजोल्यूशन चाहिए तो हमें लगभग 4,250 मीटर लंबे एंटीने की आवश्यकता होगी, जो संभव नहीं है।
    - इसलिए वैज्ञानिकों ने SAR तकनीक विकसित की है।
    - इसमें छोटा एंटीना कई अलग-अलग जगहों से डेटा जुटाता है और कंप्यूटर इन सबको ऐसे जोड़ता है कि मानो एक बहुत बड़ा एंटीना इस्तेमाल हुआ हो। इसी वजह से इसे "सिंथेटिक" कहा जाता है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया गया बड़ा एंटीना।

निष्कर्ष

निसार उपग्रह भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में मजबूत साझेदारी का उदाहरण है। इसमें दो अलग-अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, उन्नत इमेजिंग तकनीक और ओपन-डाटा नीति शामिल है। इससे पूरे विश्व में पर्यावरण की निगरानी, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत मदद मिलेगी।

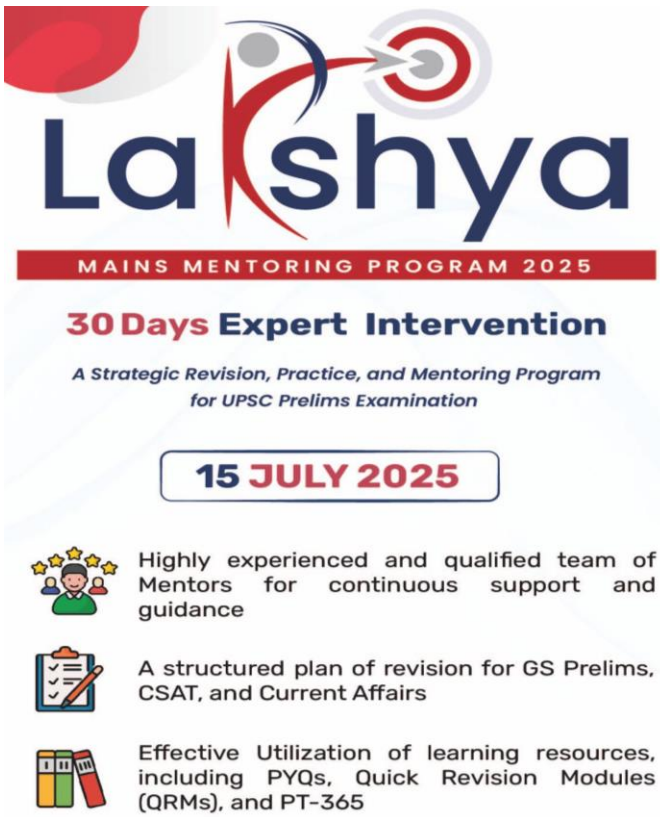

7. नीतिशास्त्र (Ethics)

7.1. महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के जीवन मूल्य (Values Of Mahatma Gandhi and Sree Narayana Guru)

परिचय

श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी मनाई गई। यह संवाद **12 मार्च, 1925** को महात्मा गांधी की केरल यात्रा के दौरान **केरल के शिवगिरी मठ** में आयोजित हुआ था। यह संवाद **वायकोम सत्याग्रह**, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दमितों के उत्थान आदि विषयों पर केंद्रित था।

श्री नारायण गुरु के बारे में (1856-1928)

- उनका जन्म **केरल के तिरुवनंतपुरम के निकट चेंबाज़ंती गाँव में** हुआ था।
- उन्होंने समाज सुधार को आगे बढ़ाने के लिए 1903 में **श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (SNDP)** की स्थापना की।
- उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को आगे बढ़ाया।
- उन्होंने **अरुविप्पुरम में एक शिवलिंग की प्रतिस्थापना** की थी।

विभिन्न पहलुओं पर श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के विचार

पहलू	श्री नारायण गुरु	महात्मा गांधी
सामाजिक सुधार	• नारायण गुरु का मानना था कि **जाति अप्राकृतिक, मनुष्यों द्वारा बनाई गई** है। उन्होंने **"एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर"** का उद्घोष किया। उन्होंने धीमी, शिक्षाप्रद प्रक्रिया को अपनाने की वकालत की, जैसे- **"जाति के बारे में न पूछो, न बताओ और न सोचो"।**	• **गांधीजी अस्पृश्यता के विरोधी थे।** फिर भी, वे **वर्णाश्रम व्यवस्था** में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि **विभिन्न वर्ण** (लोगों के वर्ग) स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आते हैं।
धार्मिक विचार	• उन्होंने स्वीकार किया कि सभी धर्म मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं।	• गांधीजी ने **सभी धर्मों को सत्य तक पहुंचने के समान मार्ग** माना। उन्होंने ऐसे **राजनीति का विरोध किया जो धर्म से अलग हो।**
मंदिरों में प्रवेश एवं सामाजिक समानता	• उन्होंने सभी जातियों के लिए **मंदिरों के द्वार खोलने** का कार्य किया।	• **उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलनों** समर्थन किया और दमितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।
शिक्षा	• उन्होंने शिक्षा को **मानवीय प्रगति और समृद्धि का एकमात्र साधन** माना। उन्होंने **महिलाओं** को समान अवसर देने की वकालत की और पूरे केरल में **कई विद्यालयों की स्थापना** की।	• उन्होंने **बुनियादी शिक्षा (नई तालीम या वर्धा बेसिक शिक्षा योजना) की वकालत** की, जिसमें **शारीरिक श्रम और कारीगरी को बौद्धिक विकास** के साथ जोड़कर **आत्मनिर्भरता और गरिमा** का विकास किया जाता है। उन्होंने **व्यावसायिक और साहित्यिक दोनों तरह के प्रशिक्षण पर जोर** दिय।

7.2. एकात्म मानववाद (Integral Humanism)

परिचय

1960 के दशक के मध्य में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की स्वतंत्रता के बाद के विकास के लिए एक स्वदेशी वैचारिक ढांचा प्रस्तुत किया, जिसे **एकात्म मानववाद** (एकात्म मानव दर्शन) कहा गया। **एकात्म मानववाद का दर्शन** हमें एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में मानवीय गरिमा, सद्भाव और एकजुटता के आंतरिक मूल्य की याद दिलाता है।

एकात्म मानववाद दर्शन के बारे में

- **एकात्म मानववाद का लक्ष्य** व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए **प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना** है। यह **मानव जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के एकीकरण** पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना है।
- **एकात्म मानववाद के केंद्र में पुरुषार्थ की अवधारणा** निहित है। इसमें **मानव अस्तित्व के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने वाले चार मूलभूत उद्देश्य हैं- धर्म** (धार्मिकता), **अर्थ** (धन/ समृद्धि), **काम** (सुख/ इच्छा) और **मोक्ष** (मुक्ति)।
- 'एकात्म मानववाद' का सिद्धांत इस सोच से उत्पन्न हुआ कि स्वतंत्र भारत को **पश्चिमी विचारधाराओं** की बजाय **भारत की अपनी परंपराओं और मूल्यों** पर आधारित विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
- **तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित**:
  - समष्टि की प्रधानता, न कि उसके किसी भाग की;
  - धर्म की सर्वोच्चता; और
  - समाज की स्वायत्तता।

समकालीन समय में एकात्म मानववाद के मूल सिद्धांत

- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (भारतीयता):** स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और जीवनशैली का सम्मान और साथ ही आधुनिक प्रगति को भी आत्मसात करना।
- **सामाजिक एकीकरण और सद्भाव:** जातिगत भेदभाव के उन्मूलन का आह्वान।
- **अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उत्थान):** समाज के सबसे गरीब वर्गों का पहले उत्थान होना चाहिए।
  - **'सभी के लिए शिक्षा'** और **'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी'** जैसे विचार उनके आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा में समाहित थे।
- **नैतिक शासन:** आदर्श राज्य (धर्म राज्य) की अवधारणा।
- **विकेंद्रीकरण:** आत्मनिर्भर ग्राम-आधारित अर्थव्यवस्था, अपने स्वयं के विकास का प्रबंधन करने की अनुमति।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में (1916-1968)

- वे एक भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे।
- **पुस्तकें:** सम्राट चंद्रगुप्त, जगद्गुरु शंकराचार्य, पॉलिटिकल डायरी, आदि।
  - वे साप्ताहिक **पांचजन्य** और दैनिक पत्रिका **स्वदेश** के संपादक भी थे।
- **गांधीजी से समानताएं:** पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन गांधीजी के सर्वोदय (सभी का कल्याण), ग्राम स्वराज, अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय के विरोध जैसे विचारों से मेल खाते हैं।

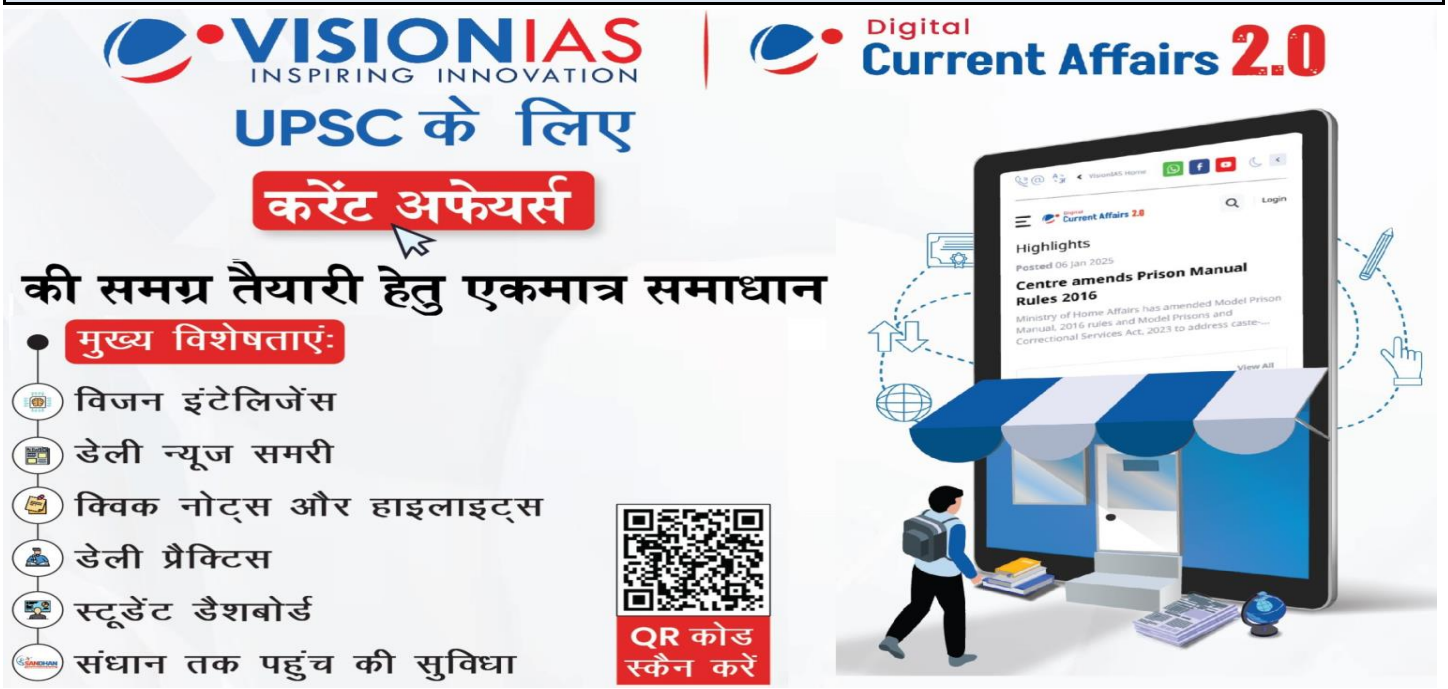

7.3. आवारा कुत्तों के नियंत्रण में नैतिक पहलू (Ethical Considerations In Stray Dog Control)

परिचय

2019 की पशुधन गणना के अनुसार, भारत में लगभग 1.5 करोड़ आवारा कुत्तों की आबादी है। कुत्तों के काटने व रेबीज के मामले में भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में 37 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में, आवारा कुत्तों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है।

आवारा कुत्तों के नियंत्रण से संबंधित नैतिक मुद्दे

- **करुणा बनाम लोक व्यवस्था:** कुछ नागरिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाने में करुणा दिखाते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इससे क्षेत्रीय आक्रामकता और लोक असुविधा बढ़ती है।
- **पशु कल्याण बनाम लोक सुरक्षा:** आवारा कुत्तों को जीवन और गरिमा का अधिकार है, लेकिन समुदायों को भी कुत्तों के काटने और रेबीज से सुरक्षा का अधिकार है।
- **पारिस्थितिक वहन क्षमता बनाम आबादी नियंत्रण:** यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य कुत्तों को खाना खिलाकर उनकी संख्या को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशु आबादी नियंत्रण के अनैतिक उपाय भी अपना रहे हैं।
- **परित्याग:** पालतू जानवरों का परित्याग भी एक नैतिक चुनौती है, क्योंकि मानवीय समाज में सामाजिक-आर्थिक बदलावों ने कुत्तों की पारंपरिक भूमिकाओं (जैसे- शिकारी या पशु चराने वाले) को काफी हद तक अप्रासंगिक बना दिया है, जिससे मनुष्य और कुत्ते के संबंधों में **उपयोगितावादी पक्ष कमजोर पड़ा है।**
- **भेदभावपूर्ण व्यवहार:** कुछ उच्च नस्ल के जानवरों को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हुए परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है, जबकि आवारा कुत्तों का सामाजिक तिरस्कार किया जाता है।
- **पशु नियंत्रण के तरीके:** पकड़ने, बड़े पैमाने पर मारने और इच्छामृत्यु जैसे तरीकों के उपयोग से नैतिक चिंताएं उठती हैं। इनके स्थान पर नैतिक विकल्पों, जैसे "ट्रैप-न्यूटर-रिटर्न (TNR)" जैसे कार्यक्रमों पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित
पशु कल्याण संगठन/ एक्टिविस्ट	• आवारा पशुओं को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। • बचाव और पुनर्वास। • मानवीय व्यवहार की वकालत करना तथा जिम्मेदार पालतू पशु स्वामित्व को बढ़ावा देना।
पालतू जानवरों के मालिक	• समय पर टीकाकरण सहित अपने पालतू जानवरों की जिम्मेदारी लेना। • सामुदायिक पहलों का समर्थन करना तथा पालतू जानवरों के अनुचित व्यवहार के मामले में हस्तक्षेप करना।
स्थानीय अधिकारी	• आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना। • आवारा कुत्तों का प्रभावी टीकाकरण एवं नसबंदी करना।
सरकार	• पशु नियंत्रण के लिए उपयुक्त नीतियां और कानून बनाना। • कुत्ते के काटने और रेबीज के मामलों के इलाज के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। • बेहतर सह-अस्तित्व के लिए पशु कल्याण संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक संघों को सहायता प्रदान करना।

विभिन्न नैतिक दृष्टिकोण

- **उपयोगितावाद (Utilitarianism):** उपयोगितावादी दृष्टिकोण समाज के व्यापक हित को प्राथमिकता देता है, इसलिए इसमें कुत्तों के प्रबंधन के लिए मानव-केंद्रित रणनीति का समर्थन शामिल है।
- **कर्तव्यवाद (Deontology):** यह दृष्टिकोण जानवरों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने पर बल देता है, जैसे कि उनका उचित देखभाल और उनके जीवन के अंतर्निहित मूल्य का सम्मान करना।
- **सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics):** यह सहानुभूति, करुणा और जिम्मेदार तरीके से पालतू पशु पालन जैसी नैतिक विशेषताओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **अधिकार-आधारित नैतिकता (Rights-based Ethics):** इस दृष्टिकोण में आवारा कुत्तों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त माने जाते हैं, और नैतिक आचरण का तात्पर्य उनके इन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करना होता है।
- **उदारवादी दृष्टिकोण (Libertarian view):** कुत्तों को हमारे परिवेश से हटाकर कचरे के ढेरों में फेंकना उनके जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

भारत में आवारा कुत्तों से संबंधित प्रावधान

- **संविधान: अनुच्छेद 243(W) नगर पालिकाओं** को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने का आदेश देता है। वहीं, **अनुच्छेद 51A(g)** के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वे "जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का भाव" रखें।
- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA), 1960:** आवारा कुत्तों की हत्या PCA, 1960 के तहत एक दंडनीय अपराध है। यह अधिनियम उन्हें यातना देना या पीड़ा पहुँचाने वाले तरीकों से ले जाना, क्रूरता की श्रेणी में शामिल करता है।
- **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI):** पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए PCA, 1960 के तहत 1962 में स्थापित एक वैधानिक सलाहकार निकाय।
- **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960:** इसके तहत बनाए गए **पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023** का उद्देश्य बंध्याकरण के माध्यम से आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और टीकाकरण द्वारा रेबीज के प्रसार को रोकना है।
  - इन नियमों में सामुदायिक जानवरों को भोजन देने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें **रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs) या स्थानीय निकायों** को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
- **न्यायालय के निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा एवं अन्य वाद (2014) में अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार)** की व्याख्या करते हुए कहा कि यह अधिकार जानवरों को भी प्राप्त है। इसमें मानवीय आवश्यकता की स्थिति में जीवन का हनन भी शामिल हो सकता है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि **कानून के अनुसार आवारा कुत्तों की रक्षा** की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही प्रशासन को आम लोगों की चिंता को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि सड़क पर चलने-फिरने में कुत्तों के हमलों से बाधा न आए।

आगे की राह

- **पशु नियंत्रण उपाय:** उचित टीकाकरण और बंध्याकरण अभियानों सहित नीतिगत उपायों का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही, पशु अपशिष्ट का प्रबंधन भी किया जाना आवश्यक है।
  - मानव-कुत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए जो ब्लॉक और जिला स्तर पर केंद्रित हो। इसे सभी संबंधित हितधारकों की सलाह और सहभागिता से बनाया जाना चाहिए।

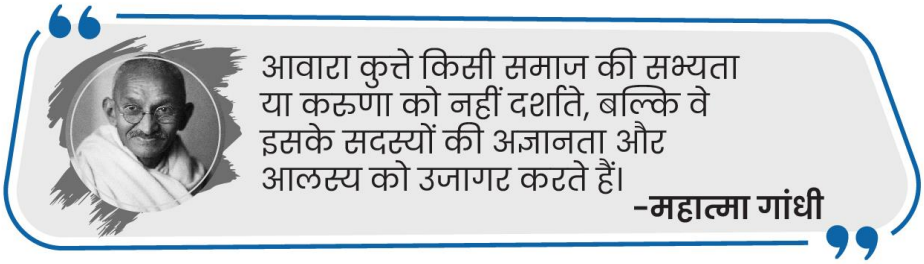

- **ढांचागत सहयोग:** विशेष फीडिंग ज़ोन, पशु चिकित्सा सुविधाएं और पशु कल्याण हेतु कार्यरत नागरिक समाज संगठनों को सहयोग उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण और शिक्षा:** संभावित एवं वर्तमान पालतू पशु मालिकों को पालतू जानवरों के व्यवहार, उनके विकास चक्र, तथा उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **नए संबंधों का विकास:** कुत्तों में अत्यधिक विकसित संज्ञानात्मक और सामाजिक संप्रेषण क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें सेवा कुत्तों, नशीले पदार्थों का पता लगाने वाले कुत्तों और बम सूंघने वाले कुत्तों जैसी भूमिकाओं में विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में सक्षम बनाती हैं।

7.4. घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर वैश्विक बहस को समझना {Understanding The Global Debate on Lethal Autonomous Weapons Systems (Laws)}

परिचय

घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियां (LAWS) उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है, जो **मानवीय हस्तक्षेप** के बिना लक्ष्यों की **पहचान** कर सकती हैं और उन पर **हमला** कर सकती हैं।

- वर्तमान में, **घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं** है।
- **नैतिक प्रश्न:** क्या हम नैतिक रूप से मानवीय नैतिक अभिकर्तृत्व (Agency) और गरिमा से समझौता किए बिना जीवन-मृत्यु के निर्णय मशीनों को सौंप सकते हैं?

घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर नैतिक बहस

LAWS के पक्ष में तर्क

- **परिणाम-उन्मुख जस्टिफिकेशन (परिणामवादी):** LAWS से सटीकता में सुधार हो सकता है, जिससे नागरिकों को होने वाली क्षति कम हो सकती है।
  - **उदाहरण के लिए-** उन्नत लक्ष्यीकरण वाली एक स्वायत्त मिसाइल बड़े पैमाने पर नागरिकों या संपत्ति की हानि को कम कर सकती है।
- **नैतिक श्रेष्ठता:** LAWS मानवीय त्रुटि को कम कर सकते हैं; सैन्य अभियानों के नैतिक मूल्यों को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) का बेहतर अनुपालन कर सकते हैं।
- **क्षति को न्यूनतम करना:** खतरनाक अग्रिम मोर्चे के अभियानों से सैनिकों को हटाकर, स्वायत्त हथियार संघर्ष में जानमाल की हानि को कम कर सकते हैं।

LAWS के विपक्ष में तर्क

- **मानवीय निर्णय का अभाव:** LAWS, यद्यपि सटीक होते हैं, लेकिन उनमें जटिल व परिवर्तनशील स्थितियों में मानव की तरह नैतिक आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है।
- **जवाबदेही संबंधी मुद्दे:** स्वायत्त हथियारों की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही तय करना एक जटिल कार्य है।
  - "कौन जवाबदेह है? क्या यह विनिर्माता है? या वह व्यक्ति जिसने एल्गोरिदम को प्रोग्राम किया है?" **– निकोल वान रूइजेन**
- **मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाना:** उन सैनिकों की गरिमा को नुकसान जिन्हें निशाना बनाया जाता है, तथा उन नागरिकों की जिन्हें मौत के खतरे में डाल दिया जाता है।
- **युद्ध में हिंसा का सामान्यीकरण:** युद्ध के मैदान से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय दूरी बढ़ाने से हिंसा का प्रयोग आसान हो जाता है।

मानव-मशीन (LAWS) को मिलाकर उपयोग करने से जुड़ी नैतिक चिंताएं

- **स्वचालन संबंधी पूर्वाग्रह:** जहां मनुष्य एक स्वायत्त मशीन के संचालन में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं।
- **आश्चर्य:** जहां एक मनुष्य को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती कि मशीन किस तरह काम कर रही है या उस समय जब उसे मशीन से नियंत्रण वापस लेने की जरूरत होती है।
- **नैतिक अंतर्रोध:** जहां मानव ऑपरेटर नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को एक वैध प्राधिकारी के रूप में मशीन पर स्थानांतरित कर देता है।

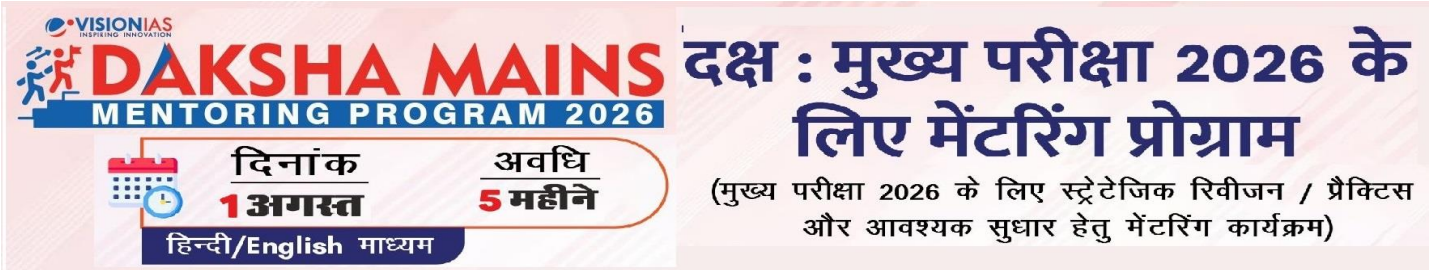

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest

Congratulations

to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024** from various programs of **Vision IAS**

Shakti Dubey

Harshita Goyal

GS Foundation Classroom Student

Dongre Archit Parag

GS Foundation Classroom Student

Shah Margi Chirag

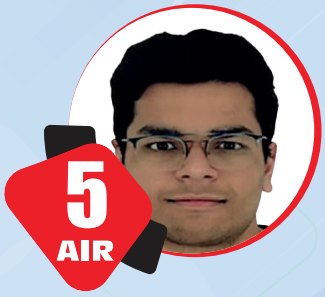

Aakash Garg

Komal Punia

Aayushi Bansal

Raj Krishna Jha

Aditya Vikram Agarwal

Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

Ankita Kanti

Ravi Raaz

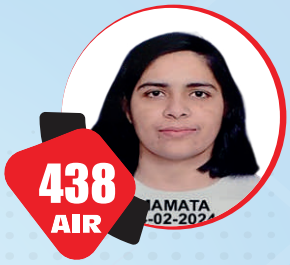

Mamata

Sukh Ram

Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
DELHI
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi – 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi – 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची